भारतीय रिज़र्व बैंक / RESERVE BANK OF INDIA

संपदा विभाग / Estate Department

कोलकाता / Kolkata

निविदा आमंत्रण सूचना

(निविदा आईडी: 2026_RBI_289121_1)

(केवल गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस - सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट (सीपीपी) पोर्टल के माध्यम से)

पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण, पहली मंजिल, बीएमओपी, आरबीआई, कोलकाता

1. पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण, पहली मंजिल, बीएमओपी, आरबीआई, कोलकाता के लिए दो भागों (भाग-I और II) में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की अनुमानित लागत ₹16,66,992/- है और इसे कार्य आदेश जारी होने के 10वें दिन से 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना है।
2. यह एक सीमित निविदा माँग है जो केवल उन बोलीकर्ताओं/विक्रेताओं के लिए है जो 2024 -27 की अवधि के लिए सूचीबद्ध विक्रेताओं की सूची के ट्रेड – सी1: सिविल वर्क्स श्रेणी – III: ₹10 (दस) लाख से ₹25 (पच्चीस) लाख के तहत इस तरह के कार्यों के लिए आरबीआई के साथ सूचीबद्ध हैं। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे भाग लेने से पहले इस निविदा के लिए अपनी पात्रता की जांच कर लें।
3. ई-निविदा दस्तावेज सीपीपी पोर्टल यानी https://etenders.gov.in/eprocure/app पर 27 अगस्त 2026 को उपलब्ध होंगे। इस ई-निविदा को अनिवार्य रूप से सीपीपी पोर्टल यानी https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से भरा/ऑनलाइन जमा किया जाना आवश्यक है। ई-निविदा भरने और जमा करने की अंतिम तिथि 16 सितंबर 2026 को 11:00 Hrs. तक है। ई-निविदा का भाग I, 17 सितंबर 2026 को या उसके बाद 12:00 Hrs. पर खोला जाएगा। विक्रेताओं द्वारा ई-निविदा जमा करने की प्रक्रिया पर विस्तृत दिशानिर्देश निविदा की अनुसूची (SOT) और ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देशों में उल्लिखित हैं।
4. भरे हुए और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज (यानी केवल भाग-I) निर्धारित प्रारूप में सीपीपी पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। ई-निविदा के भाग-I में प्रस्तावित कार्य के लिए बैंक की मानक तकनीकी और वाणिज्यिक शर्तें और निविदाकर्ताओं का कवरिंग लेटर शामिल होगा। आवेदकों/निविदाकर्ताओं को निविदा में उल्लिखित सभी अनुबंध/दस्तावेज उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से अपलोड करने होंगे।
5. सहायक दस्तावेजों के साथ ई-निविदा दस्तावेज के भाग I की जांच के बाद, यदि कोई निविदाकर्ता आवश्यक पात्रता नहीं रखता है, तो बैंक द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए उनके ई-निविदा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पात्र निविदाकर्ता का भाग-II (मूल्य बोली) एक दिन बाद की तारीख में खोला जाएगा।
6. बैंक न्यूनतम ई-निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी ई-निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी ई-निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

दिनांक: 27 अगस्त 2026

स्थान: कोलकाता

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

पश्चिम बंगाल और अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह

निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

I.	ई-निविदा सं.	2026_RBI_289121_1
II.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल के माध्यम से मूल्य बोली https://etenders.gov.in/eprocure/app
III.	अनुमानित लागत	₹16,66,992/- जीएसटी सहित
IV.	कार्य पूरा करने की समय अवधि	90 दिन
V.	बयाना धन जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**शून्य**
VI.	सीपीपी पोर्टल/आरबीआई की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तिथि	27 अगस्त 2026, 18:00 बजे से
VII.	भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) और भाग-II (मूल्य बोली) प्रस्तुत करने के लिए ई-निविदा की प्रारंभिक तिथि	4 सितंबर 2026 को 17:00 बजे
VIII.	प्री-बिड मीटिंग की तिथि और समय	2 सितंबर 2026 11:00 बजे सुबह **स्थान**: 3 मंजिल, संपदा विभाग सम्मेलन कक्ष, आरबीआई, कोलकाता
IX.	आरबीआई की वेबसाइट/सीपीपीपी पर पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तिथि	4 सितंबर 2026
X.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि और समय	लागू नहीं
XI.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	16 सितम्बर 2026 11:00 बजे सुबह तक
XII.	a. भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि और समय b. भाग II के खुलने की तिथि (मूल्य बोली)	17 सितंबर 2026 दोपहर 12:00 बजे के बाद निविदा का भाग II केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाएगा जो भाग I प्रस्तुतियों की जांच पर पात्र पाए जाते हैं। पात्र बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से अलग से सूचित किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता

ई-निविदा के लिए

पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण पहली मंजिल बीएमओपी आरबीआई कोलकाता
भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)

बोली लगाने वाले का नाम _____

पता_____

प्री-बिड बैठक की तारीख: 2 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे
स्थान: संपदा विभाग, आरबीआई, 15, एनएस रोड, कोलकाता

ई-निविदा जमा करने की आखिरी तारीख और समय: 16 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे तक

निविदा अनुसूची (एसओटी)

I.	ई-निविदा संख्या	2026_RBI_289121_1
II.	निविदा का तरीका	ई-खरीद प्रणाली (ऑनलाइन भाग I – तकनीकी-व्यावसायिक बोली और भाग II - सीपीपी पोर्टल https://etenders.gov.in/eprocure/app के माध्यम से मूल्य बोली
III.	अनुमानित लागत	जीएसटी सहित ₹16,66,992/-
IV.	कार्य पूरा होने की समय अवधि	90 दिन
V.	बयाना राशि जमा (केवल एनईएफटी/डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी के माध्यम से)	**शून्य**
VI.	सीपीपी पोर्टल /आरबीआई वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए ई-निविदा दस्तावेज की उपलब्धता की तारीख	27 अगस्त, 2026 को शाम 7:00 बजे से
VII.	भाग-I (तकनीकी-व्यावसायिक बोली) और भाग-II (मूल्य बोली) जमा करने के लिए ई-निविदा की आरंभ तिथि	4 सितंबर, 2026 17:00 बजे से
VIII.	प्री-बिड बैठक की तारीख और समय	2 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे **स्थान**: तीसरी मंज़िल, संपदा विभाग कॉन्फ्रेंस रूम, आरबीआई, कोलकाता
IX.	आरबीआई वेबसाइट/सीपीपी पर प्री-बिड बैठक के कार्यवृत्त प्रकाशित करने की तारीख	4 सितंबर, 2026
X.	ईएमडी जमा करने की आखिरी तारीख और समय	लागू नहीं
XI.	निविदा जमा करने की आखिरी तारीख और समय	16 सितंबर, 2026 सुबह 11:00 बजे तक
XII.	क. भाग-I (टेक्नो-कमर्शियल बिड) खुलने की तारीख और समय ख. भाग II (प्राइस बिड) खुलने की तारीख	17 सितंबर, 2026 को दोपहर 12:00 बजे के बाद निविदा का भाग II सिर्फ़ उन बोलीकर्ता के लिए खोला जाएगा जो भाग I प्रस्तुतीकरण की स्क्रूटनी में पात्र पाए जाएंगे। पात्र बोलीकर्ता को ईमेल से अलग से इन्फॉर्म किया जाएगा।

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, कोलकाता ने यह दस्तावेज उन लोगों को कार्य के बारे में पृष्ठभूमि जानकारी देने के लिए तैयार किया है जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं। हालांकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और मानता है कि यह सही है, फिर भी न तो भारतीय रिज़र्व बैंक और न ही इसकी कोई प्राधिकारी या उनके कोई भी अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी के पूरा होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे वह साफ़ तौर पर हो या छिपा हुआ।

यह जानकारी पूरी नहीं है। जो लोग इच्छुक हैं, उन्हें खुद पूछताछ करनी होगी और जवाब देने वालों को लिखकर पुष्टि करनी होगा कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा जमा करते समय सिर्फ़ आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी गई है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसकी किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए अबाध्यकारी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास यह अधिकार है कि वह कार्य को आगे न बढ़ाए या कार्य का कॉन्फ़िगरेशन न बदले, इस दस्तावेज में दिखाए गए टाइमटेबल को न बदले या लागू होने वाले प्रक्रिया या प्रक्रिया को न बदले। इसके पास यह भी अधिकार है कि वह इस मामले में दिलचस्पी दिखाने वाली किसी भी पार्टी के साथ आगे चर्चा करने से मना कर दे।

लोगों या संस्थाओं को किसी भी तरह के खर्च का कोई प्रतिपूर्ति नहीं दिया जाएगा। भविष्य में निविदा में कोई भी बदलाव / सुधार, अगर कोई हो, तो सिर्फ़ आरबीआई वेबसाइट और सीपीपी पोर्टल पर बताया जाएगा और अखबार में नहीं छापा जाएगा।

ई-निविदा के बारे में ज़रूरी निर्देश

यह आरबीआई का एक ई-खरीद कार्यक्रम है। ई-खरीद सर्विस प्रोवाइडर/संविदाकर्ता सेंट्रल पब्लिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app

निविदा का प्रक्रिया : बोलीकर्ता मैनुअल किट होम पेज पर उपलब्ध है।

A) नए बोलीकर्ता के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में वेंडर का सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण शामिल है जो नि:शुल्क है। https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी टेक्निकल जानकारी के लिए 24 x 7 हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे कंट्री कोड के तौर पर +91 लगाएं।

ई-मेल समर्थन:

प्रकाशित हुए निविदा से जुड़े किसी भी मामले या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीकर्ता से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा अमंत्रण प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी - support-eproc@nic.in

नीति संबंधी - cppp-doe@nic.in

आरबीआई संपर्की व्यक्ति विवरण: -

नाम: किरण पॉल (सहायक महाप्रबंधक)
ईमेल: kiranpaul@rbi.org.in
मोबाइल नंबर: 9674033358

नाम: अंबिका चाकी, प्रबंधक
ईमेल: ambikac@rbi.org.in

मोबाइल नंबर: 8763682204

नाम: पार्थ प्रतिम पॉल (प्रबंधक - टीई)
ईमेल: pppaul@rbi.org.in
मोबाइल नंबर: 9163713817

महत्वपूर्ण टिप्पणी

यह एक सीमित निविदा पूछताछ है। केवल वे बोलीकर्ता /विक्रेता जो भारतीय रिज़र्व बैंक में सिविल कार्य (₹10 लाख से ₹25 लाख) श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2024-27 की पैनलबद्ध विक्रेताओं की सूची में सम्मिलित हैं, ही इस निविदा में भाग लेने के पात्र हैं। बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे भाग लेने से पूर्व अपनी पात्रता की जाँच कर लें।

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

कोलकाता – 700001

कार्य का नाम: बीएमओपी में पुराने डीएडी साइड की दूसरी मंज़िल पर शौचालय ब्लॉक का नवीनीकरण

सामग्री की सूची

क्रमांक	ब्यौरा	संख्या
1	**अनुक्रमणिका**	
2	**निविदा का प्रारूप**	
3	**करार की शर्तें**	
4	**बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश**	
5	**संविदा की सामान्य शर्तें**	
	(i) **संविदा की शर्तें**	
	(ii) **संविदा की विशेष शर्तें**	
6	**यहां पहले संदर्भित परिशिष्ट**	
7	**तकनीकी निर्देश**	
8	अनुसूचियों की सूची (i) अनुसूची ए-सुरक्षा कोड (ii) अनुसूची बी- अग्नि सुरक्षा कोड (iii) अनुसूची सी - अनुमोदित ब्रांड/विनिर्माताओं के मटीरियल की सूची (iv) अनुसूची डी- साइट पर रखे जाने वाले दस्तावेज की सूची	
9	(ए) बयाना राशि जमा / बोली के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा - **अनुबंध**-I, (बी) जमानत राशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा - **अनुबंध**-II (सी) कम्प्यूटरीकृत एमबी का प्रोफार्मा - **अनुबंध**-III (घ) भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीकर्ता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप- **अनुबंध**-IV (ई) सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा निषेध के संबंध में वचनबद्धता के लिए प्रोफार्मा- **अनुबंध**-V (च) जिन कार्यों के लिए निविदाकर्ता ने कम / अनुपयोगी दरें बताई हैं, उनके लिए संविदा के निष्पादन हेतु बैंक गारंटी का प्रोफार्मा-अनुबंध-VI	
10	मात्राओं की अनुसूची	

निविदा का प्रारूप

सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
कोलकाता – 700001

स्थान:
दिनांक:

प्रिय महोदय,

ज्ञापन में आगे दिए गए कार्यों से संबंधित रेखाचित्रों, विनिर्देशों, डिजाइनों और मात्राओं की अनुसूची की जांच करने के बाद और उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों के स्थल की जांच करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के बाद, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्यों को उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट समय के भीतर संलग्न मात्राओं की अनुसूची में उल्लिखित दरों पर और सभी मामलों में निविदा की शर्तों, करार की शर्तों, विशेष शर्तों, अनुसूची या मात्रा और संविदा की शर्तों में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइनों, रेखाचित्रों और लिखित निर्देशों के अनुसार और ऐसी सामग्रियों के साथ निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जैसा कि प्रदान किया गया है, और अन्य सभी मामलों में ऐसी शर्तों के अनुसार जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(ए)	कार्य का वर्णन	बीएमओपी में पुराने डीएडी साइड में दूसरी मंज़िल पर शौचालय ब्लॉक का नवीनीकरण
(बी)	अनुमानित लागत	₹16,66,992/-
(सी)	बयाना राशि	शून्य
(डी)	हर बिल से रिटेंशन मनी डिपॉज़िट के तौर पर काटा जाने वाला परसेंटेज, अगर कोई हो,	प्रत्येक बिल से 5%
(ई)	प्रदर्शन बैंक गारंटी	संविदा मूल्य का 5%
(एफ)	कार्य पूरा करने के लिए दिया गया समय	10 वें दिन से 90 दिन। हालांकि, दर निविदा के भाग। के खुलने की तारीख से एक साल तक वैध रहेंगे।
(जी)	परिसमापन हर्जाना	लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी हर हफ़्ते अनुमानित लागत के 0.25% की दर से होगी, जो संविदा वैल्यू के ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक होगी।

1. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारा ई-निविदा, **ई-निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों तक बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए** वैध **रहेगा** और वैधता का यह समय, बैंक और हमारे बीच लिखित में आपसी सहमति से तय समय के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. इसके अलावा, अगर मैं/हम बताए गए तरीके से कार्य शुरू नहीं कर पाता/पाती हूँ, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके बाद आने वाले लोग, कानून में मौजूद किसी भी दूसरे अधिकार या उपाय पर बिना किसी नुकसान के, उस परफ़ॉर्मेंस गारंटी को पूरी तरह से ज़ब्त करने के लिए आज़ाद होंगे। वह परफ़ॉर्मेंस गारंटी निविदा दस्तावेज में बताए गए सभी कामों को उसमें दिए गए नियमों और शर्तों पर पूरा करने की गारंटी होगी।
3. इसके अलावा, मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि अगर ऊपर बताई गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी ज़ब्त हो जाती है, तो मुझे/हमें कार्य के पुनर्निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा।
4. मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेज, ड्रॉइंग्स और कार्य से जुड़े दूसरे रिकॉर्ड्स को गुप्त/गोपनीय दस्तावेज मानूंगा/रखूंगी और उनसे मिली जानकारी/जानकारी किसी और को नहीं दूंगा, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे मैं/हम इसे बताने के लिए अधीकृत हूं/हैं या जानकारी का इस्तेमाल किसी भी ऐसे तरीके से नहीं करूंगा जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा को नुकसान हो।
5. अगर यह निविदा स्वीकार कर लिया जाता है, तो मैं/हम इसके साथ जुड़ी संविदा की शर्तों के नियमों और शर्तों को मानने और पूरा करने के लिए सहमत हूँ, जहाँ तक वे लागू हों, या उनका उल्लंघन करने पर शर्तों में बताई गई रकम ज़ब्त करके भारतीय रिज़र्व बैंक को दे देंगे।

6. मैं/हम समझते हैं कि आप बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी ई-निविदा को पूरी तरह या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार रखते हैं।

7. ई-निविदा दस्तावेज पर सही तरीके से हस्ताक्षर करके, भरकर और ऑनलाइन दो हिस्सों में अलग-अलग जमा/अपलोड किए जाते हैं। भाग I में सभी कमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस और टेक्निकल डिटेल्स होते हैं और भाग II में सिर्फ़ बैंक के प्रोफ़ॉर्मा में प्राइस बिड होती है।

8. हमारे बैंकर्स हैं (नाम और पूरा पता):

(i)	
(ii)	

हमारी फर्म के भागीदार के नाम हैं: -

(i)	
(ii)	

हस्ताक्षर करने के लिए अधीकृत फर्म के पार्टनर का नाम।	
या	
संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ़ अटॉर्नी रखने वाले व्यक्ति का नाम। (पावर ऑफ़ अटॉर्नी की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी संलग्न करें)	

आपका विश्वासी,

बोली लगाने वाले के हस्ताक्षर और मुहर

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

<u>करार की शर्तें</u>

करार की शर्तें, दिन _____ को भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय मुम्बई – 400 001 में है (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा) के एक पक्ष और दूसरे पक्ष के _____ (जिसे आगे "संविदाकर्ता" कहा जाएगा) के बीच बनायी गईं।

जहाँ,
बैंक "**पुलिस गार्ड रूम प्रथम तल बीएमओपी आरबीआई कोलकाता का नवीनीकरण" करने को इच्छुक है** बैंक के इंजीनियर से या उसके निर्देश पर किए जाने वाले कार्य को दिखाने और बताने वाले ड्राइंग और बिल ऑफ़ क्वांटिटीज़ तैयार करवाए गए हैं।

और जहाँ,
संविदाकर्ता ने यहां निर्धारित शर्तों और विशेष शर्तों और संविदा की मात्रा और शर्तों की अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अधीन और उनके अनुसार निष्पादन करने के लिए सहमति दे दी है (जिनमें से सभी को सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" कहा जाएगा) उक्त चित्रों में दिखाए गए और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित कार्यों और मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित दर पर निष्पादित करने के लिए सहमति दे दी है, जो उसमें तय राशि या उसके तहत देय अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे इसके बाद "उक्त संविदा राशि" कहा जाएगा)।

अब यह इस प्रकार सहमति बनी है

1. बताई गई शर्तों में बताए गए समय और तरीके से भुगतान की जाने वाली संविदा रकम के बदले में, संविदाकर्ता बताई गई शर्तों के तहत, बताई गई ड्रॉइंग में दिखाए गए और बताई गई स्पेसिफिकेशन्स और क्वांटिटीज़ के अनुसूची में बताए गए कार्य को पूरा करेगा।

2. बैंक संविदाकर्ता को बताई गई संविदा रकम या कोई दूसरी रकम, जो देनी होगी, शर्तों में बताए गए समय और तरीके से देगा।

3. कार्य पूरा करने, कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता, मटीरियल की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति और पूरा होने वगैरह से जुड़ी शर्तों में "बैंक के इंजीनियर" शब्द का मतलब डिप्टी जनरल मैनेजर (टेक्निकल), या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तय किया गया कोई दूसरा व्यक्ति होगा। जहाँ तक संविदा के खंड 34 के तहत प्रावधान के ऑपरेशन का सवाल है, यानी आर्बिट्रेशन के ज़रिए विवादों के सेटलमेंट से जुड़ा खंड, "बैंक के इंजीनियर" शब्द को भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता के संपदा विभाग के महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी के तौर पर पढ़ा जाएगा।

3. बताई गई शर्तें और उसके परिशिष्ट को इस करार का हिस्सा माना जाएगा और समझा जाएगा, और इसमें शामिल पार्टियां अपनी-अपनी तरफ से बताई गई शर्तों का पालन करेंगी, उनके लिए खुद को समर्पित करेंगी और बताई गई शर्तों में दिए गए करार को अपनी-अपनी तरफ से पूरा करेंगी।
4. यहां बताए गए प्लान, करार और दस्तावेज इस संविदा का आधार होंगे।

यह संविदा न तो एकमुश्त तय संविदा है और न ही कार्य का टुकड़ा संविदा है, बल्कि यह "**पुलिस गार्ड रूम, पहली मंज़िल, बीएमओपी आरबीआई कोलकाता के नवीनीकरण" से जुड़े कार्य को पूरा करने के लिए एक संविदा है।** असल में मापी गई मात्रा के हिसाब से, मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों पर या बताई गई शर्तों में दिए गए अनुसार भुगतान किया जाएगा।

5. संविदाकर्ता सिविल कार्य, सैनिटरी कार्य और फिटिंग लगाने, परमानेंट पानी की सप्लाई, बिजली लगाने, फिटिंग और दूसरे कामों से जुड़े सभी कामों को शर्तों में बताए गए तरीके से करने के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा, और ऐसे कार्य पूरे होने के बाद दीवारों, फर्श वगैरह को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा।

6. बैंक इस संविदा पर बिना किसी नुकसान के, कार्य के किसी भी आइटम को जोड़कर या हटाकर, या उसके कुछ हिस्सों को करवाकर, ड्राइंग और कार्य के नेचर को बदलने का अधिकार अपने पास रखता है।

7. संविदाकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह की कोई भी जानकारी, मटीरियल और डिटेल्स, जो इस करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान संविदाकर्ता के पास या जानकारी में आ सकती हैं, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताएगा और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता संविदा के विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। संविदाकर्ता बैंक की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और किसी भी कार्य को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने की इजाज़त नहीं देगा, या उसे डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। संविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के डिस्क्लोज़र की वजह से बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह निश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी को न बताने की जिम्मेदारियां पूरी तरह से पूरी हों। किसी भी वजह से इस करार के खत्म होने या खत्म होने के बाद भी, अप्रकटन और गोपनीयता के संबंध में संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

8. इस संविदा में समय को सबसे ज़रूरी माना जाएगा और संविदाकर्ता इस बात से सहमत है कि वह साइट मिलने के तुरंत बाद या शर्तों के अनुसार फॉर्मल कार्य आदेश जारी होने की तारीख के 10 वें दिन से कार्य शुरू कर देगा, जो भी बाद में हो और समय बढ़ाने के नियमों के तहत, तय समय में संपूर्ण कार्य पूरा करेगा।

9. इस संविदा के तहत बैंक द्वारा सभी भुगतान सिर्फ़ कोलकाता में किए जाएंगे।

10. इस करार से जुड़े या उससे जुड़े सभी झगड़े कोलकाता में ही हुए माने जाएंगे और उन्हें तय करने का अधिकार सिर्फ़ कोलकाता की अदालतों के पास होगा।

11. इस संविदा के कई हिस्से संविदाकर्ता ने पढ़ लिए हैं और उन्हें पूरी तरह समझ लिया है।

12. संविदाकर्ता/एजेंसी कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के तहत प्रावधान के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगी। बैंक परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और संविदाकर्ता/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
    (a) संविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ लैंगिक उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय शिकायत कमेटी ध्यान देगी।
    (b) अगर घटना में संविदाकर्ता का कर्मचारी शामिल है, तो संविदाकर्ता को किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होना होगा, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत।
    (c) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्य की जगह पर लैंगिक उत्पीड़न से बचाव और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
    (d) संविदाकर्ता को बैंक की जगह पर कार्य करने वाले अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची देनी होगी।

13. संविदाकर्ता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और श्रम अधिनियम का पालन करना होगा। अगर संविदाकर्ता ने कानूनी नियमों/ज़रूरतों का पालन करने में कोई गलती की है, तो कार्य में किसी भी कानूनी संस्था द्वारा जारी/लगाए गए नोटिस/ जुर्माना का भुगतान संविदाकर्ता को करना होगा, बैंक पर कोई दावा नहीं करना होगा।

बैंक और संविदाकर्ता ने इन और इनकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं, जो ऊपर लिखे गए दिन और साल के हैं। (अगर संविदाकर्ता पार्टनरशिप या कोई व्यक्ति है)।

जिसके सबूत के तौर पर बैंक ने अपने सही अधीकृत अधिकारियों के ज़रिए इन पर हस्ताक्षर किए हैं और संविदाकर्ता ने इस पर अपनी कॉमन सील लगवाई है और ये दो डुप्लीकेट/ ये तोहफ़े और इनकी दो डुप्लीकेट अपनी तरफ़ से बनवाए हैं, ऊपर लिखे पहले दिन और साल में, (अगर संविदाकर्ता एक कंपनी है)।

<u>हस्ताक्षर खंड</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द
के हाथों

श्री .....
(नाम और पदनाम)

गवाहों की उपस्थिति में

(1) .....
पता.....
(2) .....
पता.....

गवाह

हस्ताक्षरित और सुपुर्द
की उपस्थिति में
(1) .....
पता.....
(2) .....
पता.....

अगर पार्टी पार्टनरशिप फर्म या कोई व्यक्ति है, तो सभी भागीदार या सभी की ओर से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

गवाह

की सामान्य मुहर:
को ..... की उपस्थिति में आयोजित बैठक में इसके निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यहां लगाया गया है
(1) .....

(2) .....

जिन निदेशकों ने इन पर हस्ताक्षर किए हैं, उनकी मौजूदगी में। (1)... ..... (2)...	अगर संविदाकर्ता अपनी कॉमन सील के तहत हस्ताक्षर करता है, तो हस्ताक्षर खंड आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन में सीलिंग खंड से मैच करना चाहिए।
संविदाकर्ता द्वारा श्री _____ और विधिवत नियुक्त अटॉर्नी के हस्ताक्षर से और सुपुर्द किया गया।	अगर संविदाकर्ता पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर हाथ से हस्ताक्षर कर रहा है, चाहे वह कंपनी हो या कोई व्यक्ति

बोली लगाने वालों के लिए सामान्य नियम और निर्देश

"**पुलिस गार्ड रूम पहली मंज़िल का नवीनीकरण बीएमओपी आरबीआई कोलकाता**" के लिए ऑनलाइन ई-निविदा आमंत्रित हैं

1. निविदा सीपीपी पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से जमा किए जाएंगे।
2. दो बिड सिस्टम में बिड: - ई-निविदा दो हिस्सों में (भाग I जिसमें सही तरीके से भरा हुआ निविदा भाग I, ईएमडी, टेक्निकल बिड/डिटेल्स, लिटरेचर वगैरह शामिल हैं और भाग II जिसमें सही तरीके से भरा हुआ ई-निविदा भाग II शामिल है) निविदा/बिड ऑनलाइन जमा करने की तारीख और समय के बाद डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके ई-निविदा के तौर पर ऑनलाइन जमा करना होगा। किसी भी हालत में निविदा जमा करने की तय तारीख और समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिड सिर्फ़ ऑनलाइन जमा की जाएंगी और फिजिकल फॉर्म में मिली बिड पर विचार नहीं किया जाएगा।

निविदा भाग-I खुलने की तारीख से तीन महीने के समय तक बैंक निविदा स्वीकार कर सकता है। इस समय को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकता है और संविदाकर्ता इस समय के दौरान निविदा को कैंसिल या वापस नहीं ले सकते। बताए गए दर निविदा भाग-I खुलने की तारीख से एक साल के लिए मान्य होंगे।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक सबसे कम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए खुद को बाध्य नहीं करता है और बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी निविदा को, पूरे या कुछ हिस्से में स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अपने पास रखता है।

5. निविदाकर्ता बयाना राशि के रूप में ₹ NIL/- की राशि का भुगतान अनुसूचित बैंक के पक्ष में एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या बैंक गारंटी (बीजी) द्वारा करेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक**, कोलकाता का, कोलकाता में देना होगा** और अगर ज़रूरी हुआ तो ईएमडी के लिए बैंक गारंटी को सही तरीके से बढ़ाया जाएगा। ऐसा निविदा (भाग-I) जिसके साथ ऐसी बयाना राशि नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर निविदा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो बयाना राशि निविदा देने वाले को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। ईएमडी का भुगतान एनईएफटी से किया जाएगा, एनईएफटी के विवरण: बेनिफिशियरी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता; IFSC: RBIS0KLPA01 (बाएं से 5वें और 10वें स्थान पर नंबर ज़ीरो); अकाउंट नंबर 187503001। ट्रांज़ैक्शन नंबर (स्कैन की हुई कॉपी) के साथ पैसे भेजने का प्रूफ संलग्न/अपलोड करना होगा। बोलीकर्ता को यह भी सलाह दी जाती है कि वे पैसे भेजने का प्रूफ़ ट्रांज़ैक्शन नंबर (स्कैन की हुई कॉपी) के साथ estatekolkata@rbi.org.in पर भेजें, नहीं तो ईएमडी एक शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी इर्रिवोकेबल बैंक गारंटी के रूप में बैंक के स्टैंडर्ड प्रोफ़ॉर्मा में जमा की जाएगी, जो ई-निविदा फ़ॉर्म में उपलब्ध है, इसे खुद संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, तीसरी मंज़िल, 15 NS रोड, कोलकाता – 700 001 में जमा करना होगा।

(b) किसी भी हालत में, बयाना राशि ऊपर 5(a) में बताए गए फ़ॉर्म के अलावा किसी और फ़ॉर्म में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ईएमडी की जब्ती

इन स्थितियों में ईएमडी ज़ब्त कर ली जाएगी:

- अगर वेंडर/संविदाकर्ता कमर्शियल बिड खुलने के बाद बिड वापस ले लेता है
- अगर वेंडर/संविदाकर्ता तय समय में उसे दिया गया कार्य शुरू नहीं कर पाता है।

ईएमडी की वापसी

- निविदाकर्ता के अलावा बाकी सभी निविदाकर्ता का बयाना राशि, बिड की वैधता (बढ़ी हुई वैधता सहित) खत्म होने पर या सफल निविदाकर्ता को कार्य मिलने पर, जो भी पहले हो, वापस कर दिया जाएगा।
- सफल निविदा देने वाले द्वारा जमा की गई अर्नेस्ट मनी या तो जमानत राशि के तौर पर रखी जाएगी या निविदा में तय रकम के लिए सफल निविदा देने वाले से परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी मिलने पर वापस कर दी जाएगी।

(ग) बयाना राशि ₹शून्य/- एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में **भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता** के पक्ष में अनुसूचित बैंक पर आहरित, कोलकाता में देय, निविदा को खुला रखने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए अप्रयुक्त रहेगी।

(d) **जमानत राशि के तौर पर परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी)**: काम मिलने पर, सफल निविदा देने वाले को संविदा की कीमत का 5% (पांच प्रतिशत) किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) के तौर पर देना होगा, जो बैंक द्वारा बताए गए फॉर्म में **अनुबंध II के अनुसार** संविदा को पूरा करने के लिए जमानत राशि के तौर पर होगा। यह परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (PBG) काम के लगभग पूरा होने तक वैध रहेगी। निविदा जमा करते समय बयाना राशि (ईएमडी) के तौर पर दी गई बैंक गारंटी, PBG जमा करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

(i) ऐसी निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) कार्य आदेश जारी होने के 10 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत की जानी चाहिए।

(ii) प्रदर्शन बैंक गारंटी देरी से जमा करने का शुल्क संविदाकर्ता के बिल से बैंक दर पर वसूल किया जाएगा।

(e) **रिटेंशन मनी (आरएम)**: ऊपर दी गई परफॉर्मेंस बैंक गारंटी के अलावा, संविदाकर्ता द्वारा संविदा को ठीक से पूरा करने के लिए और सिक्योरिटी के तौर पर, आरबीआई संविदाकर्ता को किए जाने वाले हर भुगतान से रिटेंशन मनी के तौर पर किए गए कार्य की कीमत का 5% काट लेगा। इस कुल रकम (परफॉर्मेंस बैंक गारंटी + रिटेंशन मनी) को सिक्योरिटी डिपॉजिट कहा जाएगा। आरबीआई कार्य के लगभग पूरा होने के बाद परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और दोष दायित्व अवधि के दौरान बताई गई कमियों को ठीक करने के बाद बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जारी करेगा। आरबीआई द्वारा रखी गई रकम पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

(f) **कम / बहुत कम / ऐसे कार्य के आइटम के लिए कॉशन मनी:-** अगर ज़रूरत हो, तो बैंक इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि निविदा देने वाला, जिसे कार्य देने पर विचार किया जा रहा है, उन कार्य के आइटम के लिए संविदा पूरा करने के लिए बैंक (फाइनेंशियल) गारंटी जमा करे जिनके लिए निविदा देने वालों ने निविदा के मूल्यांकन के दौरान कम / ऐसे दर बताए हैं जो कार्य के आइटम के लिए ठीक से नहीं किए गए हैं। निविदा देने वाले को, अगर संविदा मिलता है, तो कम / बहुत कम / ऐसे कार्य के आइटम के लिए, बैंक के पास कुछ तय रकम (कॉशन मनी) के लिए बैंक (फाइनेंशियल) गारंटी (किसी भी अनुसूची कमर्शियल बैंक द्वारा जारी की जाएगी) जमा करना होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि संविदाकर्ता कम / बहुत कम / ऐसे कार्य के आइटम को स्पेसिफिकेशन के अनुसार, अच्छी गुणवत्ता के मटीरियल का इस्तेमाल करके और तय समय में पूरा करने के लिए कमिटमेंट निश्चित कर सके। संविदा मिलने के 10 दिनों के अंदर सफल निविदा देने वाले से जिस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यह बैंक गारंटी ली जा सकती है, वह **अनुबंध VI** के अनुसार होगा।

6. इस संविदा की शर्तों के तहत संविदाकर्ता द्वारा बैंक को दिए जाने वाले सभी मुआवज़े या दूसरी रकम, अगर रकम इजाज़त देती है, तो उसके बयाने और जमानत राशि से काटी जा सकती है और संविदाकर्ता को, जब तक कि ऐसी डिपॉज़िट ऐसी कटौतियों के बाद दस दिनों के अंदर देने लायक न हो जाए, काटी गई रकम कैश में चुकानी होगी।

7. संविदाकर्ता संविदा किसी और को नहीं देगा। वह बैंक की लिखित सहमति के बिना संविदा का कोई भी हिस्सा सबलेट नहीं करेगा। इन शर्तों को तोड़ने पर, बैंक का इंजीनियर संविदाकर्ता को संविदा रद्द करने का लिखित नोटिस देगा, जिसके बाद जमानत राशि बैंक को ज़ब्त हो जाएगा, और संविदाकर्ता के खिलाफ उसके दूसरे उपायों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

8. संविदाकर्ता को सारा कार्य बैंक के इंजीनियर की ड्राइंग, डिटेल्स और इंस्ट्रक्शन्स के हिसाब से ही करना होगा। अगर बैंक के इंजीनियर और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की राय में डिज़ाइन में बदलाव करना है और वे चाहते हैं कि संविदाकर्ता वह कार्य करे, तो संविदाकर्ता बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के वह कार्य करेगा। ऐसे मामलों में बैंक के इंजीनियर/बैंक का फैसला आखिरी होगा और उस पर आर्बिट्रेशन नहीं होगा।

9. हर कार्य और स्पेसिफिकेशन्स के लिए संभावित क्वांटिटी का एक अनुसूची इन स्पेशल कंडीशंस के साथ दिया गया है। संभावित क्वांटिटी के अनुसूची में बैंक के इंजीनियर अपनी मर्ज़ी से कुछ कमी, कटौती या बढ़ोतरी कर सकते हैं। हर निविदा में न सिर्फ़ दर होने चाहिए, बल्कि कार्य के हर आइटम की वैल्यू भी एक अलग कॉलम में लिखी होनी चाहिए और अलग-अलग आइटम के लिए बताई गई सभी रकमों का टोटल करके पूरे निविदा की कुल वैल्यू दिखानी चाहिए।

10. संविदाकर्ता को अपनी ज़िम्मेदारी और अपने खर्च पर निविदा डालने और संविदा करने के लिए ज़रूरी सारी जानकारी लेनी होगी और ड्राइंग की जांच करनी होगी, <u>कार्य की जगह का निरीक्षण करना होगा, सभी लोकल हालात, कार्य तक पहुंचने के तरीके, कार्य का नेचर और उससे जुड़ी सभी बातों से खुद को परिचित करना होगा</u>।

11. दर में कार्य शुरू होने से पहले और कार्य पूरा होने के दौरान और बाद में साइट को साफ करने, फेंसिंग, होर्डिंग, प्लांट और इक्विपमेंट, स्टोरेज शेड, रात और दिन में निगरानी और लाइटिंग (रविवार और छुट्टियों सहित), टेम्परारी, जनता की सुरक्षा और आस-पास की सड़कों, गलियों, तहखानों, वॉल्ट, ओवन, फुटपाथ, दीवारों, घरों, बिल्डिंग और दूसरी सभी बनावट, चीज़ों या चीज़ों के सभी चार्ज शामिल होंगे और संविदाकर्ता ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी किसी भी या सभी सेंटरिंग, मचान, स्टेजिंग वगैरह को हटा देगा और कार्य के दौरान और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए खराब हुई सभी चीज़ों और चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दिए गए दर साइट पर मापे जाने वाले पूरे कार्य के लिए माने जाएंगे। दर भी पक्के होंगे और एक्सचेंज में बदलाव, लेबर की शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी तरह की शर्तों के अधीन नहीं होंगे। संविदाकर्ता को अपने कोट में, अगर लागू हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल प्राधिकारी द्वारा लगाया गया कोई भी दूसरा टैक्स और/या दूसरी लेवी शामिल करनी होगी। दर में लागू GST शामिल होगा। GST या दूसरी टैक्स ड्यूटी या लेवी, चाहे वह अभी हो या भविष्य में, के संबंध में बैंक कोई भी क्लेम स्वीकार नहीं करेगा, सिवाय इसके कि संविदा पीरियड के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल प्राधिकारी द्वारा इसमें कोई बदलाव किया गया हो।

12. संविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कुछ और न कहा जाए, निविदा पूरी तरह से आइटम दर के आधार पर है और उसका ध्यान इस बात पर दिलाया जाता है कि हर आइटम के दर सही, कार्य करने लायक और खुद चलने वाले होने चाहिए। क्वांटिटी के अनुसूची में दी गई मात्राएँ लगभग कार्य की कुल सीमा दिखाती हैं, लेकिन वे किसी भी हद तक अलग हो सकती हैं और उन्हें छोड़ा भी जा सकता है, जिससे संविदा की कुल कीमत बदल सकती है। इस वजह से कोई क्लेम नहीं माना जाएगा। हालाँकि, कार्य के असल में पूरा होने के दौरान अगर कार्य के किसी भी आइटम की मात्रा निविदा की मात्रा से 25% से ज़्यादा हो जाती है, तो प्रोजेक्ट के बैंक इंजीनियर की प्राधिकारी से निविदा की मात्रा से 25% से ज़्यादा की गई ऐसी वस्तुओं की मात्रा को कार्य का एक अतिरिक्त आइटम माना जाएगा, जिसके लिए संविदाकर्ता CPWD द्वारा किए गए दर एनालिसिस के आधार पर या असल लागत के आधार पर नए दर जमा करेगा, साथ ही एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, संविदाकर्ता के ओवरहेड और प्रॉफिट के लिए 15% और जोड़ेगा। ऐसे सभी कामों के दर, जो अभी के दर हैं, निविदा में दिए गए एस्केलेशन फ़ॉर्मूले (अगर कोई हो) के हिसाब से मटीरियल और लेबर दर की कीमतों में बढ़ोतरी या कमी होने पर प्राइस एडजस्टमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. कार्य पूरा करने के लिए **90 दिन का समय दिया गया है**, जो कार्य आदेश जारी होने के 10 वें दिन से माना जाएगा। हालांकि, दर निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से एक साल तक वैध रहेगा। अगर संविदाकर्ता तय समय में कार्य पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे हर हफ़्ते की देरी के लिए अनुमानित लागत का 0.25% लिक्विडेटेड डैमेज देना होगा, जो संविदा की रकम का ज़्यादा से ज़्यादा 10% होगा। संविदाकर्ता को कार्य शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड कार्य प्रोग्राम तैयार करना होगा और कार्य मिलने की तारीख से 10 दिनों के अंदर जमा करना होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर से मंज़ूरी लेनी होगी।

14. सफल संविदाकर्ता कार्य पूरा करने के लिए ज़रूरी कार्य के किसी भी या सभी आइटम को करने के लिए मजबूर है, भले ही ऐसे आइटम क्वांटिटी और दर में शामिल न हों। ऐसे अतिरिक्त आइटम और उनके क्वांटिटी के बारे में इंस्ट्रक्शन का अनुसूची बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखकर जारी किया जाएगा।

15. सफल संविदाकर्ता को बैंक द्वारा नियुक्त किए गए दूसरे संविदाकर्ता के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि कार्य कम से कम देरी के साथ और बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार आसानी से हो सके।

16. संविदाकर्ता को यह ध्यान रखना होगा कि सारा कार्य बैंक के इंजीनियर के बताए गए स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से और लोकल पब्लिक प्राधिकारीज़ और बैंक की ज़रूरतों के हिसाब से ही किया जाएगा और किसी भी वजह से कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।

17. सफल निविदा पाने वाले को कार्य के लिए ज़रूरी सारा सामान खुद ही लेना होगा। सफल संविदाकर्ता जो सैंपल और लिटरेचर जमा करेंगे, उन्हें कार्य पूरा होने तक अपने पास रखना होगा। अगर जमा नहीं किया जाता है, तो बैंक से मंज़ूर किया हुआ सामान जमा करना होगा। इलस्ट्रेशन के लिए बताए गए सभी सामान का सैंपल और उस पर डिटेल्ड लिटरेचर सफल संविदाकर्ता को जमा करना होगा।

18. संविदाकर्ता को साथ में दिए गए सेफ्टी कोड के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

19. अगर सफल संविदाकर्ता संविदा की किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसका जमानत राशि ज़ब्त कर लिया जाएगा।

20. अलग-अलग मिलते-जुलते ब्रांड अनुमोदित मटेरियल अनुसूची पर बताए गए हैं। ब्रांड का चुनाव पूरी तरह से बैंक की मर्ज़ी पर है। सिर्फ़ ऐसे ब्रांड को ही दिए गए विनिर्माता के स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से कार्य में इस्तेमाल करने/खपत करने की इजाज़त होगी। संविदाकर्ता को कोटेशन देते समय इस शर्त का ध्यान रखना होगा।

21. कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. क्रमांक 6/18/2019-पीपीडी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के माध्यम से डाले गए जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, इसके लिए जारी सार्वजनिक खरीद आदेश, और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीकर्ता अपने लेटर हेड पर वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति **संलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित** प्रस्तुत करेंगे। यदि बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो उसकी निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/जमानत राशि को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती

22. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने/हमने ठेकेदारों के मार्गदर्शन के लिए उपरोक्त निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है।

स्थान: संविदाकर्ता के नाम और सील के साथ हस्ताक्षर

तारीख: पता:

ईमेल:

फ़ोन:

संविदा की सामान्य शर्तें

शर्त की व्याख्या	1. संविदा (जैसा कि आगे बताया गया है) में इन शर्तों, स्पेसिफिकेशन्स, क्वांटिटीज़ के अनुसूची और संविदा करार को बनाते हुए, नीचे दिए गए शब्दों और एक्सप्रेशन का वही मतलब होगा जो उन्हें दिया गया है, सिवाय इसके कि जहाँ विषय या अवधारणा के लिए कुछ और ज़रूरी हो:
("बैंक")	इसका मतलब होगा भारतीय रिज़र्व बैंक और इसमें उसके असाइनी और उत्तराधिकारी शामिल होंगे।
(ख) साझेदारी फर्म के मामले में "संविदाकर्ता"	"संविदाकर्ता" का तात्पर्य ..... और ..... साझेदारों से है, जिनका नाम और शैली ..... है और जिनका व्यवसाय स्थान ..... है और इसमें उक्त फर्म के तत्कालीन साझेदार और मृतक साझेदार के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
व्यक्तिगत मामले में	"संविदाकर्ता" से तात्पर्य श्री .... से है जो ..... के नाम और शैली में व्यापार करता है और इसमें उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कंपनी के मामले में	"संविदाकर्ता" से तात्पर्य .....से है, जो .....19... ..... / 20..... के तहत निगमित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में है। और इसमें उनके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
(ग) "इंजीनियर"	शैल का मतलब है वह व्यक्ति जिसे बैंक ने संविदा के लिए इंजीनियर के तौर पर कार्य करने के लिए अपॉइंट किया है और शर्तों में उसका नाम वैसा ही रखा गया है।
(घ) "साइट"	इसका मतलब संविदा के कार्य की साइट से है, जिसमें कोई भी बिल्डिंग और उस पर बनाया गया सामान और कोई भी दूसरी ज़मीन (इसमें शामिल है) जो बैंक ने संविदाकर्ता के इस्तेमाल के लिए दी है।
(ई) "यह संविदा"	इसका मतलब होगा करार के आर्टिकल, स्पेशल कंडीशंस, कंडीशंस (भाग I और II), निविदा, एक्सेप्टेंस लेटर, परिशिष्ट, क्वांटिटीज़ का अनुसूची और स्पेसिफिकेशन और ऐसे दूसरे दस्तावेज जो एक्सेप्टेंस लेटर या करार के आर्टिकल में साफ तौर पर शामिल हों और इसके साथ संलग्न हों और सही तरीके से हस्ताक्षर किए गए हों।
(च) विनिर्देश "	इसका मतलब है संविदा में शामिल कामों की स्पेसिफिकेशन और उसमें कोई भी बदलाव या कुछ जोड़ना जो संविदाकर्ता ने किया हो या प्रस्तुत किया हो और इंजीनियर ने मंज़ूरी दी हो।

इसका मतलब है निविदा का हिस्सा बनने वाले कीमत वाले और पूरे किए गए मात्रा के बिल

(छ) "मात्राओं का बिल/अनुसूची" इसका मतलब है संविदाकर्ता का बैंक को कार्य पूरा करने और उसमें किसी भी कमी को ठीक करने के लिए प्राइस वाला ऑफर, जो संविदा के नियमों के अनुसार हो, जैसा कि लेटर ऑफ़ एक्सेप्टेंस में माना गया है।

(ज) "निविदा" इसका मतलब है बैंक द्वारा निविदा की औपचारिक स्वीकृति

(i) "स्वीकृति पत्र"

(च) लिखित सूचना या लिखित नोटिस का मतलब है लिखित, टाइप या प्रिंटेड अक्षरों में भेजा गया नोटिस (जब तक कि वह खुद न दिया गया हो या यह साबित न हो कि वह मिल गया है) रजिस्टर्ड पोस्ट से, पाने वाले के आखिरी जाने-पहचाने प्राइवेट या बिज़नेस पते या रजिस्टर्ड कार्यालय पर भेजा गया हो और उसे तब मिला हुआ माना जाएगा जब आम तौर पर डाक से भेजा जाता।

(च) दिवाला अधिनियम मतलब प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी अधिनियम या प्रोविंशियल इन्सॉल्वेंसी अधिनियम या ऐसे ओरिजिनल में बदलाव करने वाले किसी अधिनियम द्वारा बताए गए किसी भी इन्सॉल्वेंसी अधिनियम से होगा।

(छ) "निवल मूल्य" अगर संविदा की रकम तय करने में संविदाकर्ता ने निविदा में मौजूद आइटम के कुल योग में कोई रकम जोड़ी या घटाई है, चाहे वह परसेंटेज के तौर पर हो या किसी और तरह से, तो निविदा में किसी भी आइटम की नेट कीमत वह रकम होगी जो निविदा में उस आइटम की कीमत के तौर पर दिखाई देने वाले असली आंकड़े में उसी तरह का परसेंटेज या उसी हिसाब की रकम जोड़कर या घटाकर मिली हो। बशर्ते कि संविदाकर्ता द्वारा जोड़ी या घटाई गई रकम का परसेंटेज या हिस्सा तय करते समय, किसी भी प्राइम कॉस्ट आइटम की कुल रकम और प्रोविजनल रकम को निविदा की कुल रकम में से घटाया जाएगा। संविदा या अकाउंट्स के बारे में इस्तेमाल होने पर "नेट रेट्स" या "नेट प्राइसेस" शब्द का मतलब इस तरह से तय किए गए रेट्स या कीमतें माना जाएगा।

(एच) "कार्य" **पुलिस गार्ड रूम की पहली मंज़िल का नवीनीकरण बीएमओपी आरबीआई कोलकाता**

संविदा की शर्तें

संविदा का दायरा

खंड 1. संविदाकर्ता इस संविदा के अनुसार और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों और उनकी संतुष्टि के अनुसार हर तरह से यह कार्य करेगा और पूरा करेगा। बैंक का इंजीनियर अपनी मर्ज़ी से और समय-समय पर आगे ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, डिटेल्स निर्देश और एक्सप्लेनेशन जारी कर सकता है, जिन्हें आगे से एक साथ "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा, इन मामलों में: -

(a) कार्य की डिज़ाइन, गुणवत्ता या क्वांटिटी में बदलाव या बदलाव या किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या बदलना।

(b) ड्रॉइंग्स में या क्वांटिटीज़ के अनुसूची और/या ड्रॉइंग्स और/या स्पेसिफिकेशन के बीच कोई भी अंतर।

(c) संविदाकर्ता द्वारा साइट पर लाए गए किसी भी सामान को साइट से हटाना और उसकी जगह कोई दूसरा सामान रखना।

(d) संविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कार्य को हटाना और/या दोबारा करना।

(e) वहां कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य से निकालना।

(f) किसी भी छिपे हुए कार्य के निरीक्षण के लिए खोलना।

(g) के तहत किसी भी दोष को संशोधित करना और उसे ठीक करना इसके खंड 19।

संविदाकर्ता को बैंक इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार कोई भी कार्य तुरंत मानना होगा और उसे ठीक से पूरा करना होगा, बशर्ते कि बैंक इंजीनियर द्वारा संविदाकर्ता या उसके प्रतिनिधि को कार्य के बारे में दिए गए बोलकर दिए गए निर्देश और सफाई, अगर उनमें कोई बदलाव हो, तो संविदाकर्ता को सात दिनों के अंदर लिखकर पुष्टि करना होगा, और अगर बैंक इंजीनियर अगले सात दिनों के अंदर लिखकर इससे सहमत नहीं होते हैं, तो उन्हें संविदा के दायरे में बैंक इंजीनियर के निर्देश माना जाएगा।

बैंक द्वारा स्वीकृत किए जाने वाले बदलाव

खंड 2. संविदाकर्ता को बदलावों के लिए एक स्टेटमेंट जमा करना होगा, जिसमें रेट्स, वाउचर वगैरह के एनालिसिस के साथ क्वांटिटी और रेट्स दिए गए हों। बैंक द्वारा जांच और फाइनल मंज़ूरी के बाद रेट्स एक सप्लीमेंट्री निविदा बनेंगे। बैंक इन बदलावों के भुगतान के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक कि वह इन स्टेटमेंट्स को मंज़ूरी नहीं दे देता।

ड्रॉइंग, मात्राओं की अनुसूची और करार

खंड 3. संविदा दो कॉपी में पूरा किया जाएगा और बैंक के इंजीनियर, बैंक और संविदाकर्ता को अपने इस्तेमाल के लिए हर एक की एक कॉपी मिलेगी। संविदाकर्ता के हस्ताक्षर करने पर, बैंक का इंजीनियर उसे हर ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन की एक कॉपी और कार्य के

दौरान जारी की गई सभी आगे की ड्राइंग की एक कॉपी मुफ़्त में देगा। संविदाकर्ता को अगर ऐसी ड्राइंग की और कॉपी चाहिए, तो उसके लिए उसे पैसे देने होंगे। संविदाकर्ता कार्य की सभी ड्राइंग की एक कॉपी अपने पास रखेगा और बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को हर सही समय पर वह मिल सकेगी। संविदाकर्ता को अंतिम सर्टिफ़िकेट जारी करने से पहले, उसे तुरंत बैंक के इंजीनियर को सभी ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन वापस कर देने होंगे। बताई गई दरें निविदा भाग। खुलने की तारीख से एक साल तक वैध रहेंगी।

संविदाकर्ता को अपने खर्च पर सभी ज़रूरी चीज़ें देनी होंगी

खंड 4. संविदाकर्ता अपने खर्च पर ड्राइंग के मकसद और मतलब के हिसाब से कार्य को ठीक से करने के लिए ज़रूरी सभी चीज़ें देगा। मात्राओं का अनुसूची और स्पेसिफिकेशन, साथ में यह भी कि उन्हें उसमें खास तौर पर दिखाया या बताया गया है या नहीं, बशर्ते कि उनसे इसका सही अंदाज़ा लगाया जा सके और अगर संविदाकर्ता को ड्राइंग में या ड्राइंग, मात्राओं के अनुसूची और स्पेसिफिकेशन के बीच कोई अंतर मिलता है, तो वह तुरंत और लिखकर बैंक के इंजीनियर को बताएगा जो तय करेगा कि किसका पालन किया जाए।

प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट

खंड 5. संविदाकर्ता को कार्य से जुड़े लेजिस्लेचर के किसी भी अधिनियम के प्रावधान और किसी भी प्राधिकारी, और किसी भी पानी, बिजली सप्लाई और दूसरी कंपनियों और/या प्राधिकारी के रेगुलेशन और बाय-लॉज़ का पालन करना होगा, जिनके सिस्टम से स्ट्रक्चर को जोड़ने का प्रपोज़ल है, और ड्रॉइंग या स्पेसिफिकेशन्स में कोई भी बदलाव करने से पहले, जो ऐसा करने के लिए ज़रूरी हो सकता है, बैंक के इंजीनियर को लिखित नोटिस देना होगा, जिसमें किए जाने वाले बदलाव और उसे करने का कारण बताना होगा और उस पर इंस्ट्रक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर संविदाकर्ता को दस दिनों के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, तो वह संबंधित प्रावधान, रेगुलेशन या बाय-लॉज़ के अनुसार कार्य करेगा, और इस तरह ज़रूरी किसी भी बदलाव से खंड 13 के तहत निपटा जाएगा। संविदाकर्ता को बैंक के इंजीनियर को उन सभी नोटिस की जानकारी देनी होगी जो इन अधिनियम, रेगुलेशन या बाय-लॉ के तहत किसी भी प्राधिकारी को दिए जाने हैं और उस प्राधिकारी या किसी भी पब्लिक कार्यालय को कार्य के संबंध में लगने वाली सभी फीस देनी होगी, और रसीदें बैंक के इंजीनियर के पास जमा करनी होंगी।

संविदाकर्ता, पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों के खिलाफ बैंक को हर्जाना देगा, और ऐसे दावों से होने वाली सभी कार्रवाई का बचाव करेगा, और इसके संबंध में कानूनी तौर पर लगने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, नुकसान, लागत और हर तरह के चार्ज खुद देगा।

कार्य शुरू करना

खंड 6. संविदाकर्ता कार्य की रूपरेखा तैयार करेगा और उसकी सही और परफेक्ट रूपरेखा तैयार करने और उसके सभी हिस्सों की सही जगह, लेवल, डाइमेंशन और

अलाइनमेंट के लिए ज़िम्मेदार होगा और कार्य शुरू करने से पहले मंज़ूरी लेगा। अगर संविदाकर्ता अपने कार्य में फेल हो जाता है, तो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए कोई भी गलती/ डिफेक्ट उसके अपने खर्चे पर ठीक किया जाएगा।

विवरण के अनुसार सामग्री और कारीगरी

खंड 7. सभी मटीरियल और कारीगरी, जहाँ तक मिल सके, क्वांटिटी के अनुसूची और/या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए अपने-अपने टाइप की होनी चाहिए और बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए, और संविदाकर्ता बैंक के इंजीनियर के कहने पर उसे सभी इनवॉइस, अकाउंट, रसीदें और दूसरे वाउचर देगा ताकि यह साबित हो सके कि मटीरियल इसके मुताबिक है। संविदाकर्ता कार्य में इस्तेमाल करने से पहले, अपने खर्च पर किसी भी मटीरियल का टेस्ट, IS के नियमों के अनुसार जानी-मानी लेबर से करवाएगा और/या करवाएगा।

तकनीकी स्टाफ और कर्मचारियों का रोजगार

खंड 8. <u>संविदाकर्ता का सुपरविज़न, टेक्निकल स्टाफ़ और कर्मचारी।</u> संविदाकर्ता कार्य के दौरान और उसके बाद जब तक बैंक का इंजीनियर ज़रूरी समझे, तब तक सभी ज़रूरी पर्सनल सुपरविज़न देगा, जब तक कि परिशिष्ट में बतायी गयी "दोष दायित्व अवधि" खत्म न हो जाए। संविदाकर्ता, पूरे चल रहे कार्य के दौरान, एक काबिल, क्वालिफाइड (सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या डिग्री) और संबंधित अनुभवी (कम से कम 5 साल या 3 साल) इंजीनियर को भी रखेगा, जो कार्य के दौरान साइट पर लगातार मौजूद रहेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसे प्रतिनिधि को दिए गए कोई भी निर्देश, इंस्ट्रक्शन या नोटिस संविदाकर्ता को दिए गए माने जाएंगे। इंजीनियर कार्य में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के रोज़ाना इस्तेमाल को बनाए रखने, उसके रिकॉर्ड रखने, कार्य की सही गुणवत्ता बनाए रखने वगैरह के लिए भी ज़िम्मेदार होगा।

कामगारों की बर्खास्तगी

खंड 9. संविदाकर्ता, बैंक के इंजीनियर के कहने पर, अपने कार्य पर रखे गए किसी भी ऐसे व्यक्ति को तुरंत कार्य से निकाल देगा जो बैंक के इंजीनियर की राय में नाकाबिल हो या जिसने खुद गलत कार्य किया हो और ऐसे लोगों को कंसल्टेंट की इजाज़त के बिना दोबारा कार्य पर नहीं रखा जाएगा।

कार्यों तक पहुंच

खंड 10. बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को हर सही समय पर कार्य और/या वर्कशॉप, फैक्ट्री या दूसरी जगहों पर जाने की आज़ादी होगी, जहाँ सामान पड़ा है या जहाँ से उसे लिया जा रहा है और संविदाकर्ता बैंक, बैंक के इंजीनियर और उनके प्रतिनिधियों को सामान और कारीगरी के निरीक्षण, जाँच और टेस्ट के लिए हर ज़रूरी सुविधा देगा। सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा अधीकृत न किए गए किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय कार्य पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

सहायक प्रबंधक/प्रबंधक	खंड 11. असिस्टेंट मैनेजर (टेक.)/मैनेजर (टेक.) का मतलब वह व्यक्ति होगा जिसे बैंक ने अपॉइंट किया है और भुगतान किया है और जो बैंक के इंजीनियर की गैर-मौजूदगी में कामों का निरीक्षण करने के लिए बैंक के इंजीनियर के आदेश पर कार्य करता है; संविदाकर्ता असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) को कामों और मटीरियल का निरीक्षण करने और समय और मटीरियल की जांच और माप के लिए हर सुविधा और मदद देगा। न तो असिस्टेंट मैनेजर (टेक.) और न ही बैंक के इंजीनियर के किसी रिप्रेजेंटेटिव के पास कार्य शुरू करने या संविदा की ज़रूरतों को रद्द करने, बदलने, बढ़ाने या कम करने, या किसी भी दिन के कार्य, जोड़ने, बदलाव, डेविएशन या कमी, या किसी भी अतिरिक्त कार्य को मंज़ूरी देने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसा अधिकार बैंक के इंजीनियर के लिखित आदेश से बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी से खास तौर पर दिया गया हो।
असाइनमेंट और सबलेटिंग	खंड 12. संविदा में शामिल सभी कार्य संविदाकर्ता ही करेगा और संविदाकर्ता, बैंकों की पहले से लिखी हुई मंज़ूरी के बिना, सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा या उसका कोई हिस्सा/शेयर या उसमें कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर, अहस्ताक्षर या अंडर-लेट नहीं करेगा और कोई भी अंडरटेकिंग संविदाकर्ता को संविदा की पूरी और पूरी ज़िम्मेदारी से या कार्य के चलने के दौरान उसकी एक्टिव सुपरिंटेंडेंस से राहत नहीं देगी।
बदलाव, जोड़ना, हटाना वगैरह।	खंड 13. कोई भी बदलाव, चूक या बदलाव इस संविदा को खराब नहीं करेगा, लेकिन अगर बैंक के इंजीनियर को कार्य के दौरान किसी भी समय कार्य में कोई बदलाव, कुछ जोड़ना या कुछ छोड़ना या उसमें इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के प्रकार या गुणवत्ता में कोई बदलाव करना सही लगे, तो वह संविदाकर्ता को लिखकर इसकी सूचना देगा। संविदाकर्ता ऐसी सूचना के अनुसार, जैसा भी मामला हो, बदलाव करेगा, कुछ जोड़ेगा या कुछ नहीं हटाएगा, लेकिन संविदाकर्ता बैंक के इंजीनियर की पहले से लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करेगा, कार्य में कोई बदलाव, कुछ जोड़ना या कुछ छोड़ना या संविदा, शर्त, स्पेसिफिकेशन या संविदा ड्रॉइंग के किसी भी नियम से कोई बदलाव नहीं करेगा और ऐसे अतिरिक्त, कुछ बदलने, कुछ जोड़ने या कुछ न हटाने की कीमत सभी मामलों में बैंक के इंजीनियर द्वारा खंड 17 के नियमों के अनुसार बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी से तय की जाएगी। और उसे संविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।
मात्राओं की अनुसूची	खंड 14. क्वांटिटी का अनुसूची, जब तक कुछ और न कहा गया हो, उसे स्टैंडर्ड मेथड ऑफ़ मेज़रमेंट के हिसाब से तैयार किया हुआ माना जाएगा। डिस्क्रिप्शन या क्वांटिटी में कोई गलती या क्वांटिटी के अनुसूची से आइटम्स के छूट जाने से यह संविदा खराब नहीं होगा, बल्कि उसे ठीक किया जाएगा और खंड 17 के तहत पता चली उसकी वैल्यू को संविदा अमाउंट में जोड़ा या घटाया जाएगा (जैसा भी मामला हो), बशर्ते कि संविदाकर्ता

के रेट्स के अनुसूची में कोई गलती, अगर कोई हो, तो उसे ठीक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

मात्राओं की अनुसूची की पर्याप्तता

खंड 15. संविदाकर्ता को निविदा देने से पहले कार्यों के लिए अपनी निविदा की शुद्धता और पर्याप्तता और मात्रा की अनुसूची और/या दरों और कीमतों की अनुसूची में बताई गई कीमतों के बारे में स्वयं संतुष्ट माना जाएगा, जिन दरों और कीमतों में कार्यों के उचित समापन के लिए आवश्यक सभी मामले और चीजें शामिल होंगी।

कार्यों का मापन

खंड 16. प्रभारी अभियंता, जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो, किए गए कार्य के संविदा के अनुसार माप द्वारा मूल्य का पता लगाएगा और निर्धारण करेगा।

सारा मेज़रमेंट मेज़रमेंट बुक और/या लेवल फील्ड बुक में दर्ज किया जाएगा ताकि संविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके।

सभी मेज़रमेंट और लेवल, इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव और संविदाकर्ता या उनके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव मिलकर कार्य के दौरान समय-समय पर लेंगे और ऐसे मेज़रमेंट पर इंजीनियर-इन-चार्ज और संविदाकर्ता या उनके रिप्रेज़ेंटेटिव अपनी मंज़ूरी के तौर पर हस्ताक्षर और तारीख डालेंगे। अगर संविदाकर्ता को रिकॉर्ड किए गए किसी भी मेज़रमेंट पर एतराज़ है, तो उस बारे में कारण बताते हुए एक नोट बनाया जाएगा और दोनों पार्टियों को उस पर हस्ताक्षर करना होगा।

अगर किसी वजह से, संविदाकर्ता या उसका अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव मौजूद नहीं है और इंचार्ज इंजीनियर या उसके रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा मेज़रमेंट रिकॉर्ड करने का कार्य रोक दिया जाता है, तो इंचार्ज इंजीनियर और नियोक्ता इस वजह से हुए किसी भी नुकसान या डैमेज के लिए संविदाकर्ता का कोई क्लेम नहीं मानेंगे। अगर संविदाकर्ता या उसका अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव को तीन (3) दिन पहले लिखकर नोटिस दिए जाने के बाद भी, ऐसे मेज़रमेंट के समय मौजूद नहीं रहता है या मेज़रमेंट की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर काउंटरहस्ताक्षर नहीं करता या ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, तो उसकी गैरमौजूदगी में इंचार्ज इंजीनियर या उसके रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऐसे मेज़रमेंट को संविदाकर्ता द्वारा एक्सेप्ट किया हुआ माना जाएगा।

संविदाकर्ता को, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, लेवल मापने और रिकॉर्ड करने के लिए हर ज़रूरी उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देनी होगी।

जब तक काम का कोई आम या डिटेल्ड ब्यौरा साफ़ तौर पर इसके उलट न दिखाए, तब तक माप, माप के स्टैंडर्ड तरीके या किसी आम या लोकल रिवाज़ के किसी भी नियम के

बावजूद, स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए तरीके के हिसाब से लिया जाएगा। जिन चीज़ों के स्पेसिफिकेशन्स नहीं आते, उनके मामले में माप, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स (IS 1200) या किसी दूसरे ज़रूरी कोड ऑफ़ प्रैक्टिस द्वारा जारी किए गए माप के स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से लिया जाएगा और अगर किसी चीज़ के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो आपसी सहमति से तय तरीका अपनाया जाएगा।

संविदाकर्ता को, काम को ढकने या किसी और तरह से काम की पहुंच से बाहर रखने से पहले, इंजीनियर-इन-चार्ज या काम के इंचार्ज उसके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव को कम से कम सात दिन का नोटिस देना होगा।
किसी भी काम को इस उद्देश्य से नापना कि उसे मापा जा सके और उसे ढकने या माप की पहुंच से बाहर रखने से पहले उसके सही माप लिए जा सकें और किसी भी काम को प्रभारी इंजीनियर या कार्य के प्रभारी उसके अधिकृत प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना न तो ढका जाएगा और न ही माप की पहुंच से बाहर रखा जाएगा, जो उपरोक्त सात दिनों की अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा, और यदि कोई काम ऐसी सूचना दिए बिना या प्रभारी इंजीनियर की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना ढका जाता है या माप की पहुंच से बाहर रखा जाता है, तो उसे संविदाकर्ता के खर्चे पर खोला जाएगा, या ऐसा न करने पर ऐसे काम या सामग्री के लिए कोई भुगतान या भत्ता नहीं दिया जाएगा, जिससे उसे निष्पादित किया गया था।

इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके अधीकृत प्रतिनिधि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, खुद या विभाग के किसी दूसरे अधिकारी के ज़रिए, मिलकर या किसी और तरह से रिकॉर्ड किए गए मेज़रमेंट की जाँच करवा सकते हैं और ऊपर बताए गए सभी नियम मेज़रमेंट या लेवल की ऐसी जाँच पर लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि किसी भी काम के आइटम के मेज़रमेंट को मेज़रमेंट बुक में रिकॉर्ड करना और/या अंतरिम, ऑन अकाउंट या अंतिम बिल में उसका भुगतान करना, उस काम या मटीरियल के काफ़ी होने का निश्चित सबूत नहीं माना जाएगा जिससे वह जुड़ा है, और न ही यह संविदाकर्ता को किसी भी ज़्यादा मेज़रमेंट या देखे गए डिफेक्ट की दायित्व अवधि के पूरा होने तक लायबिलिटी से मुक्त करेगा।

कम्प्यूटरीकृत माप पुस्तिका

खंड 16A. इंजीनियर-इन-चार्ज, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो, संविदा के अनुसार किए गए काम की वैल्यू का पता लगाएगा और मापकर तय करेगा।
फाइनेंशियल वैल्यू वाली सभी चीज़ों के सभी मेज़रमेंट संविदाकर्ता द्वारा एंटर किए जाएंगे और साथ में दिए गए मेज़रमेंट बुक के प्रोफॉर्मा III के अनुसार A-4 साइज़ के पेज वाली

कंप्यूटराइज्ड मेज़रमेंट बुक के रूप में इकट्ठा किए जाएंगे, ताकि संविदा के तहत किए गए सभी कामों का पूरा रिकॉर्ड मिल सके।

काम के दौरान, समय-समय पर संविदाकर्ता या उसके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा रिकॉर्ड किए गए सभी ऐसे मेज़रमेंट और लेवल को संविदाकर्ता को इंजीनियर - इन -चार्ज या उसके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव से चेक करवाना होगा। इंजीनियर-इन-चार्ज या उसके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा ज़रूरी करेक्शन किए जाने के बाद, मेज़रमेंट शीट संविदाकर्ता को वापस कर दी जाएंगी ताकि वे करेक्शन शामिल कर सकें और इंजीनियर-इन-चार्ज और/या उसके अधीकृत रिप्रेज़ेंटेटिव और संविदाकर्ता या उनके रिप्रेज़ेंटेटिव द्वारा उनकी मंज़ूरी के टोकन के तौर पर तारीख वाले हस्ताक्षर के लिए इंजीनियर-इन-चार्ज को दोबारा जमा कर सकें।

जब भी बिल का भुगतान होना हो, तो संविदाकर्ता शुरू में कंप्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट शीट का ड्राफ़्ट जमा करेगा और इन मेज़रमेंट को इंजीनियर-इन-चार्ज और/या उसके अधीकृत प्रतिनिधि से चेक/टेस्ट चेक करवाया जाएगा। इसके बाद, संविदाकर्ता इन चेक/टेस्ट चेक के दौरान किए गए बदलावों को अपने ड्राफ़्ट कंप्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट में शामिल करेगा, और नियोक्ता को एक कंप्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट बुक जमा करेगा, जो ठीक से बाउंड होगी, और जिसके पेज मशीन नंबर वाले होंगे। इसके बाद इंजीनियर-इन-चार्ज और/या उसका अधीकृत प्रतिनिधि इस MB को चेक करेगा, और अपने चेक/टेस्ट चेक के लिए ज़रूरी सर्टिफ़िकेट रिकॉर्ड करेगा।

संविदाकर्ता जो अंतिम, सही, कंप्यूटराइज़्ड मेज़रमेंट बुक देगा, जो ठीक से बाउंड हो, जिसके पेज मशीन नंबर वाले हों, वह 100% सही होनी चाहिए, और उसके बाद मेज़रमेंट में कोई कटिंग या ओवर-राइटिंग की इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई गलती दिखती है, तो संविदाकर्ता को नियोक्ता से पहले की MB कैंसल करवाने के बाद, उसके पेज ठीक से मशीन नंबर वाले और बाउंड होकर एक नई कंप्यूटराइज़्ड MB जमा करनी होगी। इसके बाद, MB को कार्यालय के रिकॉर्ड में लिया जाएगा, और कंप्यूटराइज़्ड MB के रजिस्टर के अनुसार एक नंबर दिया जाएगा। यह भुगतान के लिए कार्यालय में बिल जमा करने से पहले किया जाना चाहिए। संविदाकर्ता नियोक्ता के संबंधित अधिकारियों द्वारा रेफरेंस और रिकॉर्ड के लिए ऐसी कंप्यूटराइज़्ड MB की दो अतिरिक्त कॉपी जमा करेगा।

संविदाकर्ता नियोक्ता को अलग से अपना कंप्यूटराइज़्ड कॉस्टा का एब्स्ट्रैक्ट भी देगा, जो साथ में दिए गए फॉर्मेट में होगा और इन मेज़रमेंट के आधार पर बिल, जो ठीक से बाउंड होगा और जिसके पेज मशीन नंबर वाले होंगे, साथ ही बिल की दो अतिरिक्त कॉपी भी देगा। इसके बाद, नियोक्ता इस बिल को प्रक्रिया करेगा और मेज़रमेंट के लिए बनी मेज़रमेंट बुक की तरह ही कंप्यूटराइज़्ड रिकॉर्ड के अनुसार एक नंबर देगा।

संविदाकर्ता, बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के, इंजीनियर-इन-चार्ज या उसके प्रतिनिधि को मेज़रमेंट/लेवल की चेकिंग के लिए हर ज़रूरी उपकरण, लेबर और दूसरी चीज़ों में पूरी मदद देगा।

जब तक काम का कोई आम या डिटेल्ड ब्यौरा साफ़ तौर पर इसके उलट न दिखाए, तब तक माप, माप के स्टैंडर्ड तरीके या किसी आम या लोकल रिवाज़ के किसी भी नियम के बावजूद, स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए तरीके के हिसाब से लिया जाएगा। जिन चीज़ों के स्पेसिफिकेशन्स नहीं आते, उनके मामले में माप, ब्यूरो ऑफ़ इंडियन स्टैंडर्ड्स या किसी दूसरे ज़रूरी कोड ऑफ़ प्रैक्टिस द्वारा जारी किए गए माप के स्टैंडर्ड तरीके के हिसाब से लिया जाएगा और अगर किसी चीज़ के लिए ऐसा कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, तो आपसी सहमति से तय तरीका अपनाया जाएगा।

संविदाकर्ता किसी भी काम के मेज़रमेंट को ढकने या चेकिंग और/या टेस्ट चेकिंग की पहुँच से बाहर रखने से पहले, इंचार्ज इंजीनियर या काम के इंचार्ज उसके अधीकृत रिप्रजेंटेटिव को कम से कम सात दिन का नोटिस देगा ताकि उसे ढकने या चेकिंग और/या टेस्ट चेकिंग मेज़रमेंट की पहुँच से बाहर रखने से पहले उसकी जाँच और/या टेस्ट चेकिंग की जा सके और उसके सही डाइमेंशन लिए जा सकें। और इंचार्ज इंजीनियर या काम के इंचार्ज उसके अधीकृत रिप्रजेंटेटिव की लिखित मंज़ूरी के बिना किसी भी काम को ढकेगा या मेज़रमेंट की पहुँच से बाहर नहीं रखेगा। रिप्रजेंटेटिव सात दिनों के अंदर काम का निरीक्षण करेगा, और अगर कोई काम बिना नोटिस दिए या इंचार्ज इंजीनियर की लिखित मंज़ूरी लिए बिना ढका जाता है या चेकिंग और/या टेस्ट चेकिंग मेज़रमेंट की पहुँच से बाहर रखा जाता है, तो उसे संविदाकर्ता के खर्चे पर खोला जाएगा, या ऐसा न करने पर ऐसे काम या जिस मटीरियल से उसे किया गया था, उसके लिए कोई भुगतान या अलाउंस नहीं दिया जाएगा।

इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके अधीकृत प्रतिनिधि खुद या विभाग के किसी दूसरे अधिकारी से संविदाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड किए गए मेज़रमेंट की जांच करवा सकते हैं और मेज़रमेंट या लेवल की ऐसी जांच पर ऊपर बताए गए सभी नियम लागू होंगे।

इस संविदा की यह भी एक शर्त है कि मेज़रमेंट बुक में काम के किसी भी आइटम के मेज़रमेंट की चेकिंग और/या टेस्ट चेकिंग और/या अंतिम बिल के कारण बीच में उसका भुगतान, उस काम या मटीरियल के काफ़ी होने का निश्चित सबूत नहीं माना जाएगा जिससे वह जुड़ा है और न ही यह संविदाकर्ता को किसी भी ज़्यादा मेज़रमेंट या किसी भी कमी की लायबिलिटी से तब तक राहत देगा जब तक कमी की दायित्व अवधि पूरा नहीं हो जाता।

अतिरिक्त चीज़ों वगैरह की कीमतों का पता लगाना

खंड 17. संविदाकर्ता, जब अधीकृत हो, और जब बैंक के इंजीनियर बैंक की मंज़ूरी से लिखकर निर्देश दें, तो ड्रॉइंग में दिखाए गए, या स्पेसिफिकेशन्स में बताए गए, या क्वांटिटीज़ के अनुसूची में शामिल कामों में कुछ जोड़ सकता है, कुछ हटा सकता है या उनमें बदलाव कर सकता है, लेकिन संविदाकर्ता ऐसे ऑथराइज़ेशन या निर्देश के बिना कुछ भी नहीं जोड़ेगा, कुछ नहीं हटाएगा या उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा दिया गया कोई ज़ुबानी अधिकार या निर्देश, अगर वे सात दिनों के अंदर लिखकर कन्फ़र्म करते हैं, तो उसे लिखकर दिया गया माना जाएगा।

किसी अतिरिक्त के लिए कोई क्लेम तब तक मंज़ूर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह खंड 5 के प्रावधान के तहत या बैंक के इंजीनियर के अधिकार से, जैसा कि यहाँ बताया गया है, बैंक की सहमति से न किया गया हो। ऐसे किसी भी अतिरिक्त को यहाँ अधीकृत अतिरिक्त कहा गया है और इसे नीचे दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

a) (i) मूल निविदा में निवल दरें या मूल्य अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन का निर्धारण करेंगे जहां ऐसा अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति का है और उसमें मूल्यांकित कार्य के समान परिस्थितियों में निष्पादित किया गया है।

   (ii) सभी वस्तुओं के लिए दरें, जहाँ तक संभव हो, मात्राओं की मूल्य अनुसूची में दी गई दरों से निकाली जानी चाहिए।

b) ओरिजिनल निविदा की नेट कीमतों से छोड़ी गई चीज़ों की वैल्यू तय होगी, अगर किसी चूक से उन शर्तों में बदलाव होता है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं, तो उनकी कीमतों का वैल्यूएशन इसके उप-खंड (c) के तहत किया जाएगा।

c) जहां अतिरिक्त काम पहले बताए गए तरीके से एक जैसे नहीं हैं और/या एक जैसी शर्तों के तहत किए गए हैं या जहां चूक उन शर्तों में बदलाव करती है जिनके तहत काम के बाकी आइटम किए जाते हैं या अगर पूरे संविदा के काम या उसके किसी हिस्से की रकम के मुकाबले किसी चूक या बढ़ोतरी की रकम ऐसी है कि बैंक के इंजीनियर की राय में, प्राइस अनुसूची ऑफ़ क्वांटिटीज़ या निविदा में दी गई कीमत की नेट दर या काम के किसी आइटम के लिए संविदाकर्ता द्वारा सोचे गए नुकसान या खर्च से ज़्यादा है या ऐसी चूक या बढ़ोतरी की वजह से यह गलत या लागू नहीं होता है, तो बैंक का इंजीनियर बैंक से पहले से लिखकर मंज़ूरी लेकर ऐसी दूसरी दर या कीमत तय करेगा जो उसे हालात के हिसाब से सही और उचित लगे।

d) जहां अतिरिक्त काम को ठीक से मापा या वैल्यू नहीं किया जा सकता, वहां संविदाकर्ता को प्राइस्ड अनुसूची ऑफ़ क्वांटिटीज़ के निविदा में बताए गए नेट दर के हिसाब से दिन के काम की कीमतें दी जाएंगी, या अगर ऐसा नहीं बताया गया है, तो जिलों के लोकल दिन के काम की दरों और मज़दूरी के हिसाब से, बशर्ते कि दोनों ही मामलों में, रोज़ का समय (और अगर बैंक के इंजीनियर को चाहिए, तो काम करने वाले का नाम) और इस्तेमाल किए गए सामान को बताने वाले वाउचर, काम पूरा होने के अगले हफ़्ते के आखिर तक या उससे पहले बैंक के इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को वेरिफ़िकेशन के लिए दिए जाएं।

e) संविदा के संबंध में माप और मूल्यांकन परिशिष्ट में बताए गए "फाइनल माप की अवधि" के अंदर पूरा किया जाएगा, या अगर नहीं बताया गया है तो खंड 21 में बताए गए संविदा के काम के पूरा होने के तीन महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।

f) यह भी साफ़ किया जाता है कि ऐसे सभी अधीकृत अतिरिक्त आइटम के लिए, जिनके दर निविदा से नहीं निकाले जा सकते, संविदाकर्ता को CPWD पर किए गए दर एनालिसिस या "एक्चुअल कॉस्ट बेसिस" के आधार पर दर जमा करने होंगे, साथ ही

एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, संविदाकर्ता के ओवरहेड और प्रॉफ़िट के लिए 15% देना होगा। ऐसे आइटम एस्केलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

g) संविदाकर्ता को ध्यान देना चाहिए कि जब तक कुछ और न कहा जाए, निविदा पूरी तरह से आइटम दर के आधार पर है और उनका ध्यान इस बात पर दिलाया जाता है कि हर आइटम के दर सही, काम करने लायक और खुद से चलने वाले होने चाहिए। क्वांटिटी के अनुसूची में दी गई क्वांटिटी लगभग काम की कुल सीमा बताती है, लेकिन यह किसी भी हद तक अलग हो सकती है और इसे छोड़ा भी जा सकता है, जिससे संविदा की कुल वैल्यू बदल सकती है। हालांकि, कार्य के वास्तविक निष्पादन के दौरान यदि मात्रा निविदा मात्रा के 25% से अधिक हो जाती है, तो परियोजना के अभियंता के प्राधिकार द्वारा और बैंक की सहमति से, निविदा मात्रा के 25% से अधिक ऐसी वस्तुओं की मात्रा को कार्य की अतिरिक्त वस्तु माना जाएगा, जिसके लिए संविदाकर्ता सीपीडब्ल्यूडी पर किए गए दर विश्लेषण या वास्तविक लागत के आधार पर +15% स्थापना शुल्क, संविदाकर्ता के ओवरहेड और लाभ के लिए समर्थित नई दरें प्रस्तुत करेगा। कार्य की ऐसी सभी वस्तुओं की दरें, वर्तमान होने के कारण, निविदा में दिए गए वृद्धि फॉर्मूले के अनुसार कीमतों या सामग्री और श्रम दरों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन के लिए पात्र नहीं होंगी। यदि बैंक के पूर्ण विवेक पर स्वीकृत निविदा से कार्य की किसी भी वस्तु को छोड़ दिया जाता है,

अनफिक्स्ड मटीरियल को बैंक की प्रॉपर्टी माना जाता है।

खंड 18. जहाँ किसी सर्टिफ़िकेट में (जिसका संविदाकर्ता को भुगतान मिल गया है), बैंक के इंजीनियर ने काम के लिए और/या काम पर या उसके आस-पास रखे गए किसी भी बिना ठीक किए गए सामान की कीमत शामिल की है, तो ऐसा सामान बैंक की प्रॉपर्टी बन जाएगा और बैंक के इंजीनियर की लिखी हुई इजाज़त के बिना, काम पर इस्तेमाल के अलावा उसे हटाया नहीं जाएगा। ऐसे सामान के किसी भी नुकसान या क्षति के लिए संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होगा।

अनुचित कार्यों को हटाना

खंड 19. काम के चलने के दौरान, बैंक को समय-समय पर लिखकर आदेश देने का अधिकार होगा कि आदेश में बताए गए सही समय या समय के अंदर काम को हटा दिया जाए, या कोई भी ऐसा मटीरियल जो बैंक के इंजीनियर की राय में बैंक के इंजीनियर के स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के अनुसार नहीं है, सही मटीरियल बदला जाए, और ऐसे किसी भी काम को हटाया जाए और ठीक से दोबारा किया जाए जो ड्रॉइंग और स्पेसिफिकेशन्स या निर्देशों के अनुसार नहीं है और संविदाकर्ता तुरंत अपने खर्चे पर ऐसे आदेश को पूरा करेगा। अगर संविदाकर्ता ऐसे आदेश को पूरा करने में चूक करता है, तो बैंक के पास इसे पूरा करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रखने और पैसे देने का अधिकार होगा; और इसके बाद होने वाले या उससे जुड़े सभी खर्च, जैसा कि बैंक के इंजीनियर द्वारा सर्टिफाइड

किया गया हो, संविदाकर्ता उठाएगा, या बैंक संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है, या जो मिलने वाला हो सकता है।

वर्चुअल पूर्णता के बाद दोष

खंड 20. कोई भी खराबी, सिकुड़न, दरारें, जमाव, रंग उड़ना, लीकेज/सीपेज या दूसरी कमियां जो परिशिष्ट में बताए गए "दोष दायित्व अवधि" के अंदर या, अगर कुछ नहीं बताया गया है, तो काम लगभग पूरा होने के बारह महीने के अंदर, बैंक के इंजीनियर की राय में, संविदा के हिसाब से नहीं बने मटीरियल या कारीगरी की वजह से होती हैं, उन्हें बैंक के इंजीनियर के लिखे हुए निर्देशों पर और उसमें बताए गए सही समय के अंदर, संविदाकर्ता अपने खर्च पर ठीक करेगा और डिफॉल्ट होने पर बैंक ऐसे दोषों, सिकुड़न, जमाव या दूसरी कमियों को ठीक करने और ठीक करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, और इसके कारण या उससे जुड़े सभी नुकसान और खर्च संविदाकर्ता को भरने होंगे और वहन करने होंगे और ऐसा नुकसान, हानि और खर्च बैंक उससे वसूल कर सकता है या बैंक के इंजीनियर के लिखे हुए प्रमाणपत्र पर संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है। या बैंक, संविदाकर्ता द्वारा ऐसे बदलाव और उसे पूरा करने के बदले में, संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से, बैंक के इंजीनियर द्वारा तय की गई रकम, ऐसे काम में बदलाव की लागत के बराबर काट सकता है और अगर खंड 31 के तहत रखी गई रकम काफ़ी नहीं है, तो बाकी रकम संविदाकर्ता से वसूल कर सकता है, साथ ही बैंक ने इससे जुड़े जो भी खर्च किए हों, उन्हें भी वसूल कर सकता है।

अगर किसी सब-संविदाकर्ता के काम या सप्लाई किए गए मटीरियल में कोई खराबी दिखती है, जिसे बैंक के इंजीनियर ने खंड 12 और 22 के अनुसार नॉमिनेट या अप्रूव किया है, तो संविदाकर्ता को उसे ठीक करना होगा, जैसे कि वह काम या मटीरियल संविदाकर्ता ने किया हो या सप्लाई किया हो और वह इस खंड और खंड 2 के नियमों के तहत हो। बैंक के इंजीनियर द्वारा किसी भी प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने या कोई अकाउंट पास करने के बावजूद, संविदाकर्ता इस खंड के नियमों के तहत ज़िम्मेदार रहेगा।

काम में बाहर से वॉटरप्रूफिंग की गारंटी होनी चाहिए और ट्रीट की जा रही बिल्डिंग की बाहरी सतह से कोई लीकेज/सीपेज /नमी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी फ्लैट में बाहरी सतह से सीपेज/लीकेज/नमी होती है, तो उसे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के तुरंत ट्रीट किया जाएगा। ऐसी कमियों को ठीक न करने पर संविदाकर्ता को अपने रिस्क और खर्च पर काम करवाना होगा।

वर्चुअल पूर्णता और दोष दायित्व अवधि का प्रमाणपत्र

खंड 21. काम तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक बैंक का इंजीनियर लिखकर यह सर्टिफ़ाई न कर दे कि वे लगभग पूरे हो गए हैं। दोष दायित्व अवधि ऐसे सर्टिफ़िकेट की तारीख से शुरू होगा।

नामित उप-संविदाकर्ता

खंड 22. सभी स्पेशलिस्ट, मर्चेंट, ट्रेड्समैन और दूसरे लोग जो किसी भी सामान की सप्लाई और फिक्सिंग का काम करते हैं, जिसके लिए प्राइम कॉस्ट प्राइस या प्रोविजनल रकम क्वांटिटी के अनुसूची और/या स्पेसिफिकेशन में शामिल हैं, जिन्हें बैंक के इंजीनियर नॉमिनेट या चुन सकते हैं, उन्हें संविदाकर्ता द्वारा काम पर रखे गए उप-संविदाकर्ता घोषित किया जाता है और उन्हें यहां नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता कहा गया है।

किसी भी नामित उप-संविदाकर्ता को कार्यों के संबंध में नियोजित नहीं किया जाएगा, संविदाकर्ता के खिलाफ उचित आपत्तियां नहीं उठाएगा या (सिवाय इसके कि बैंक के इंजीनियर और संविदाकर्ता अन्यथा सहमत हों) जो ऐसा संविदा नहीं करेगा।

a) यह कि नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता, उप-संविदा के संबंध में संविदाकर्ता को उन्हीं ज़िम्मेदारियों से बचाएगा, जो संविदाकर्ता इस संविदा के संबंध में निभाता है।

b) नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता, उप-संविदाकर्ता, उसके नौकरों या एजेंट की किसी भी लापरवाही या उसके या उनके द्वारा किसी भी मचान या दूसरे प्लांट, संविदाकर्ता की प्रॉपर्टी या लागू किसी भी वर्कमैन कम्पनसेशन अधिनियम के गलत इस्तेमाल के दावों के खिलाफ संविदाकर्ता को हर्जाना देगा।

c) नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को बैंक के इंजीनियर का प्रमाणपत्र मिलने के चौदह दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी प्रमाणपत्र जारी होने से पहले, संविदाकर्ता, अनुरोध करने पर, बैंक के इंजीनियर को यह प्रूफ देगा कि पिछले प्रमाणपत्र में शामिल नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता के सभी अकाउंट्स ठीक से डिस्चार्ज हो गए हैं, जिसके डिफॉल्ट पर बैंक, बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र पर उसका भुगतान कर सकता है और संविदाकर्ता को मिलने वाली किसी भी रकम में से उसकी रकम काट सकता है। इस पावर का इस्तेमाल करने से बैंक और उप-संविदाकर्ता के बीच संविदा की प्राइवेसी नहीं बनेगी।

बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति

खंड 23. बैंक के पास यह अधिकार है कि वह अपने इंजीनियर की सहमति से किसी भी ऐसे काम के लिए जगह और साइट के किसी भी हिस्से का इस्तेमाल कर सकता है जो इस संविदा में शामिल नहीं है, और जिसे वह किसी और से करवाना चाहता है। संविदाकर्ता ऐसे काम को करने के लिए सभी ज़रूरी सुविधाएँ देगा, लेकिन बैंक के साथ खास इंतज़ाम के अलावा उसे ऐसे काम को करने के लिए कोई प्लांट या सामान देने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा काम इस तरह से किया जाएगा कि संविदा में शामिल कामों की तरक्की में कोई रुकावट न आए और संविदाकर्ता ऐसे काम से होने वाले किसी भी नुकसान या देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

व्यक्तियों और संपत्ति को हुए

खंड 24. संविदाकर्ता, लोगों, जानवरों या चीज़ों को लगी किसी भी चोट या नुकसान और प्रॉपर्टी के सभी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा, जो संविदाकर्ता या किसी उप-संविदाकर्ता

नुकसान के संबंध में बीमा

या किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता या उनके किसी भी कर्मचारी की तरफ़ से किसी भी फ़ैक्टर की चूक से हो सकता है। इस खंड के तहत ज़िम्मेदारी में, दूसरी बातों के अलावा, स्ट्रक्चर को हुए किसी भी नुकसान को भी कवर किया जाएगा, चाहे वह काम के ठीक पास हो या कहीं और; सड़कों, गलियों, फुटपाथों, पुलों को हुए किसी भी नुकसान के साथ-साथ इस संविदा का विषय बनने वाली बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए नुकसान को भी। संविदाकर्ता बारिश, हवा, पाला या मौसम की दूसरी खराबियों की वजह से इस संविदा का विषय बनने वाली बिल्डिंग और दूसरे स्ट्रक्चर और कामों को हुए किसी भी नुकसान के लिए भी ज़िम्मेदार होगा। संविदाकर्ता बैंक को क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति करता रहेगा तथा पूर्वोक्त किसी भी चोट या क्षति से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान और व्यय के संबंध में और किसी भी कानून के तहत या अन्यथा चोट या क्षति के संबंध में किए गए किसी भी दावे के विरुद्ध और ऐसे दावों के परिणामस्वरूप किसी भी पुरस्कार या मुआवजे या क्षति के संबंध में भी उसे हानिरहित रखेगा।

संविदाकर्ता अपने खर्च पर, बैंक द्वारा अनुमोदित एक बीमा कंपनी के साथ काम के लगभग पूरा होने तक इसे लागू करेगा और बनाए रखेगा। सभी जोखिम पॉलिसी भूकंप के खतरे सहित संविदा की पूरी रकम का इंश्योरेंस, बैंक और संविदाकर्ता के जॉइंट नाम पर (पॉलिसी में संविदाकर्ता का नाम पहले रखा जाएगा) संविदाकर्ता के लिए सभी रिस्क पॉलिसी के तहत करवाना और काम शुरू करने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक में जमा करवाना।

संविदाकर्ता इस खंड में बताए गए हर तरह के नुकसान की भरपाई करेगा ताकि पूरे काम को हर तरह से पूरा और सही तरीके से पूरा करना, ताकि प्रॉपर्टी या तीसरे पक्ष को हुए नुकसान के सभी दावों की भरपाई हो सके या उन्हें पूरा किया जा सके।

संविदाकर्ता, काम के संबंध में या उसके नतीजे में होने वाली किसी भी चीज़ के लिए बैंक के खिलाफ किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए सभी दावों के लिए बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा। और अपने खर्च पर, संविदा के लगभग पूरा होने तक, बैंक द्वारा मंज़ूर एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, बैंक और संविदाकर्ता (पॉलिसी में संविदाकर्ता का नाम पहले रखा जाएगा) के जॉइंट नाम से एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाएगा और बनाए रखेगा, और काम शुरू होने से पहले ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को जमा कर देगा। पॉलिसी के तहत कवरेज की कम से कम लिमिट किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये और किसी एक दुर्घटना या घटना के लिए प्रॉपर्टी के नुकसान के लिए 5 लाख रुपये होगी, जिसकी कुल लिमिट 10 लाख रुपये होगी। संविदाकर्ता, बैंक पर किए जा सकने वाले सभी दावों के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा, चाहे वह वर्कमैन्स कम्पनसेशन अधिनियम के तहत हो या किसी दूसरे लागू कानून के तहत, इस संविदा के चलने के दौरान या संविदाकर्ता या उप-संविदाकर्ता के किसी भी कर्मचारी के संबंध में कॉमन लॉ के तहत। और संविदा के लगभग पूरा होने तक या बैंक द्वारा मंज़ूर किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ऐसे जोखिमों के खिलाफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने खर्च पर लागू करेगा और बनाए

रखेगा और इस संविदा के चलने के दौरान समय-समय पर ऐसी पॉलिसी या पॉलिसियों को बैंक के पास जमा करेगा।

अगर संविदाकर्ता ऊपर बताए गए तरीके से इंश्योरेंस नहीं करता है, तो बैंक ऐसा इंश्योरेंस कर सकता है और भुगतान किए गए प्रीमियम को संविदाकर्ता को मिलने वाले या मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

संविदाकर्ता किसी भी ऐसी लायबिलिटी के लिए ज़िम्मेदार होगा जो ऊपर बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं होती है, और किसी भी व्यक्ति, जानवर या इस संविदा को ठीक से पूरा न करने पर हुए सभी दूसरे नुकसानों के लिए भी, चाहे नुकसान किसी भी वजह से हुआ हो।

संविदाकर्ता काम से जुड़े किसी भी दावे या कार्रवाई से होने वाले सभी खर्चों, चार्ज या शुल्कों और उससे होने वाले किसी भी नुकसान या मुआवज़े के लिए भी बैंक को हर्जाना देगा और हर्जाना देता रहेगा।

संविदाकर्ता के खिलाफ बैंक के दूसरे अधिकारों पर कोई असर डाले बिना, बैंक संविदाकर्ता को मिलने वाली किसी भी रकम में से बैंक द्वारा दिए गए किसी भी नुकसान, मुआवज़े की लागत, चार्ज और दूसरे खर्चों की रकम काटने का हकदार होगा, जो इस खंड के तहत संविदाकर्ता को देने हैं।

इस खंड के तहत ली गई पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट होने पर, संविदाकर्ता पूरी सावधानी से नष्ट या खराब हुए काम को फिर से बनाने या रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसे में, ऐसे नुकसान के लिए इंश्योरेंस कंपनी से मिले सभी पैसे संविदाकर्ता को दिए जाएंगे और संविदाकर्ता नष्ट या खराब हुए सामान को फिर से बनाने या रिपेयर करने में हुए खर्च के लिए कोई और भुगतान पाने का हकदार नहीं होगा।

नुकसान के बाद दोबारा बनाने या ठीक करने के मामले में, संविदाकर्ता को काम पूरा करने के लिए बैंक के इंजीनियर की सलाह के अनुसार समय बढ़ाने का हक होगा, लेकिन, यहां बताए गए किसी भी क्लेम के सेटलमेंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आखिर में दी गई रकम में किसी भी कमी या कमी के लिए बैंक से प्रतिपूर्ति का हक नहीं होगा।

इस खंड के तहत अपनी ज़िम्मेदारी पर कोई असर डाले बिना, संविदाकर्ता सभी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता से काम के अपने-अपने हिस्से के लिए, इस खंड के नियमों के अनुसार एक जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी लागू करवाएगा और बैंक को ऐसी पॉलिसी दिखाएगा या बनवाएगा। संविदाकर्ता किसी नॉमिनेटेड उप-संविदाकर्ता को साइट पर काम शुरू करने की इजाज़त तब तक नहीं देगा जब तक कि बताई गई इंश्योरेंस पॉलिसी जमा न कर दी जाए। अगर उप-संविदाकर्ता साइट पर काम शुरू करने से पहले ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेता है, तो संविदाकर्ता उस उप-संविदाकर्ता से जुड़े किसी भी क्लेम या नुकसान के लिए ज़िम्मेदार होगा।

संविदाकर्ता को ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी होंगी:

1) पूरे संविदा पीरियड के लिए पूरे संविदा वैल्यू के लिए संविदाकर्ता की ऑल रिस्क पॉलिसी

2) साइट पर तैनात सभी वर्कमैन के लिए वर्कमैन कम्पनसेशन पॉलिसी

3) थर्ड पार्टी लायबिलिटी पॉलिसी, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार:

क) घायल व्यक्तियों के लिए – प्रति दुर्घटना प्रति व्यक्ति ₹2 लाख

b) संपत्ति के नुकसान के लिए – ₹5 लाख प्रति दुर्घटना

शुरू होने और खत्म होने की तारीख।

खंड 25. संविदाकर्ता को परिशिष्ट में बताई गई "शुरू होने की तारीख" पर या बैंक के इंजीनियर द्वारा बताई गई किसी बाद की तारीख पर साइट पर आने की इजाज़त दी जाएगी और वह उसके तुरंत बाद काम शुरू कर देगा और उसे रेगुलर तौर पर आगे बढ़ाएगा और पूरा करेगा (ऐसे पेंटिंग या दूसरे सजावटी काम को छोड़कर जिन्हें बैंक का इंजीनियर परिशिष्ट में बताई गई "पूरा होने की तारीख" पर या उससे पहले टालना चाहे, लेकिन इसके बाद दिए गए समय बढ़ाने के नियमों के अधीन)।

काम पूरा न होने पर तय नुकसान

खंड 26. अगर संविदाकर्ता परिशिष्ट में दिए गए तय समय के अंदर या खंड 27 के तहत किसी बढ़े हुए समय के अंदर काम पूरा नहीं कर पाता है और बैंक का इंजीनियर लिखकर सर्टिफ़ाई करता है कि उसकी राय में काम सही तरीके से पूरा हो जाना चाहिए था, तो संविदाकर्ता को बैंक को परिशिष्ट में "लिक्विडेटेड डैमेज" के तौर पर बताई गई रकम उस समय के लिए देनी होगी, जब तक वह काम अधूरा रहेगा और बैंक संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से ऐसे डैमेज की रकम काट सकता है।

विलंब और समय विस्तार

खंड 27. अगर बैंक के इंजीनियर की राय में काम में देरी होती है (a) ज़बरदस्ती या (b) किसी बहुत खराब मौसम की वजह से या (c) आस-पास के या पड़ोसी मालिकों या पब्लिक प्राधिकारीज़ की तरफ़ से की गई कार्रवाई या धमकी या उनके साथ विवाद की वजह से, जो संविदाकर्ता की अपनी गलती के अलावा किसी और वजह से हुआ हो या (d) बैंक या बैंक के इंजीनियर द्वारा हायर या नॉमिनेट किए गए दूसरे संविदाकर्ता या ट्रेड्समैन की वजह से काम में देरी होती है, जिनका ज़िक्र क्वांटिटीज़ और/या स्पेसिफिकेशन के अनुसूची में नहीं है या (e) खंड 2 के अनुसार बैंक के इंजीनियर के निर्देशों की वजह से या (f) सिविल हंगामे, काम करने वालों के लोकल मेल-जोल या हड़ताल या लॉकआउट की वजह से, जिससे किसी भी बिल्डिंग ट्रेड पर असर पड़ रहा हो या (g) संविदाकर्ता को बैंक के इंजीनियर से ज़रूरी निर्देश समय पर न मिलने की वजह से, जिसके लिए उसने खास तौर पर लिखकर अप्लाई किया था या (h) दूसरे कारणों से जिन्हें बैंक का इंजीनियर संविदाकर्ता के कंट्रोल से बाहर सर्टिफ़ाई कर सकता है या (i) अगर काम की कीमत संविदाकर्ता की कीमत से ज़्यादा हो। अगर तय मात्रा में बदलाव की वजह से कीमत में बदलाव होता है, तो बैंक का इंजीनियर, बैंक से लिखकर मंज़ूरी लेकर संविदाकर्ता के काम को पूरा करने

के लिए सही और सही समय बढ़ा सकता है। इसके लिए संविदाकर्ता को संविदा की तय तारीख से कम से कम 07 दिन पहले समय बढ़ाने के कारणों का ज़िक्र करते हुए बैंक की काबिल प्राधिकारी को समय और उसकी अवधि बढ़ाने के लिए अप्लाई करना होगा। ऐसी हड़ताल या तालाबंदी के मामले में, संविदाकर्ता फिर भी देरी को रोकने की लगातार कोशिश करेगा और काम को आगे बढ़ाने के लिए बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए वह सब करेगा जो ज़रूरी हो सकता है।

संविदाकर्ता ने बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन नहीं किया

खंड 28. अगर संविदाकर्ता, बैंक के इंजीनियर से लिखित नोटिस मिलने के बाद, जिसमें दस दिनों के अंदर कम्प्लायंस की ज़रूरत बताई गई है, आगे की ड्राइंग और/या बैंक के इंजीनियर के निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो बैंक ऐसे किसी भी काम को करने के लिए दूसरे लोगों को काम पर रख सकता है और उन्हें पैसे दे सकता है, जो इसे पूरा करने के लिए ज़रूरी हो, और इससे जुड़े सभी खर्च बैंक, बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र पर संविदाकर्ता से कर्ज़ के तौर पर वसूल करेगा या संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी पैसे में से काट सकता है।

बैंक द्वारा संविदा की समाप्ति

खंड 29. यदि संविदाकर्ता, एक व्यक्ति या फर्म होकर कोई "दिवालियापन का कार्य" करता है, या दिवालिया घोषित किया जाता है या एक निगमित कंपनी होने के नाते उसके खिलाफ अनिवार्य समापन का आदेश जारी किया जाएगा या स्वैच्छिक रूप से या न्यायालय की देखरेख में समापन के लिए एक प्रभावी प्रस्ताव पारित किया जाएगा और ऐसे दिवालियापन या समापन के कार्यों में आधिकारिक समनुदेशिती या परिसमापक, जैसा भी मामला हो, उसे ऐसा करने की आवश्यकता वाले नोटिस के सात दिनों के भीतर बैंक के इंजीनियर की उचित संतुष्टि के लिए यह दिखाने में असमर्थ होगा कि वह संविदा को पूरा करने और उसके लिए सुरक्षा देने में सक्षम है, यदि बैंक के इंजीनियर द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाता है।

या अगर संविदाकर्ता (चाहे वह कोई व्यक्ति, फर्म या इनकॉरपोरेटेड कंपनी हो) संविदाकर्ता के खिलाफ कोर्ट से प्रॉपर्टी संलग्न करने की कार्रवाई या कोई और प्रक्रिया झेलता है।

या इस संविदा के तहत किसी भी भुगतान को संविदाकर्ता के किसी भी क्रेडिटर द्वारा या उसकी ओर से संलग्न होने दिया जाएगा।

या बैंक की लिखित सहमति के बिना इस संविदा को अहस्ताक्षर या सबलेट नहीं करेगा।

या इस संविदा या इसके तहत संविदाकर्ता को मिलने वाले किसी भी भुगतान पर चार्ज या बोझ नहीं डालेगा।

या अगर बैंक का इंजीनियर बैंक को लिखकर सर्टिफ़ाई करे कि संविदाकर्ता,

i. संविदा छोड़ दिया है, या

ii. काम शुरू करने में नाकाम रहा है, या इन शर्तों के तहत बिना किसी कानूनी बहाने के बैंक के इंजीनियर से काम शुरू करने का नोटिस मिलने के बाद चौदह दिनों के लिए काम रोक दिया है।

iii. काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाने में नाकाम रहा है और ऐसी सही प्रोग्रेस करने में नाकाम रहा है जिससे काम तय समय में पूरा हो सके, या

iv. बैंक के इंजीनियर से लिखित नोटिस मिलने के सात दिन बाद भी साइट से सामान नहीं हटाया या काम को हटाकर उसकी जगह नया काम नहीं लगाया, कि बैंक के इंजीनियर ने इन शर्तों के तहत सामान या काम को खराब और रिजेक्ट कर दिया है, या

v. इस संविदा के तहत संविदाकर्ता को बताए गए सभी कामों या बातों को मानने और पूरा करने में सात दिन तक लगातार लापरवाही की है या नाकाम रहा है, जिसके लिए संविदाकर्ता को लिखकर नोटिस दिया गया होगा कि वह उनका पालन करे या पूरा करे।

तब और ऐसे किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पिछली छूट के बावजूद, संविदाकर्ता को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, संविदा तय कर सकता है, लेकिन इससे बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियों और देनदारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पूरा संविदा वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि संविदा इस तरह तय नहीं किया गया था, और जैसे कि बाद में किए गए काम संविदाकर्ता ने या उसकी ओर से किए गए थे। और इसके अलावा, बैंक अपने एजेंट या नौकरों के ज़रिए काम में घुसकर, उस जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर पड़े सभी प्लांट, औज़ार, मचान, शेड, मशीनरी, भाप और दूसरे बिजली के बर्तन और सामान को अपने कब्ज़े में ले सकता है, और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कर सकता है या अपने नौकरों और काम करने वालों के ज़रिए काम को आगे बढ़ाने और पूरा करने के लिए या किसी दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने के लिए रख सकता है, और संविदाकर्ता किसी भी तरह से ऐसे दूसरे संविदाकर्ता या दूसरे व्यक्ति या लोगों को काम पूरा करने और काम खत्म करने के लिए रखे गए सामान और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकने या रुकावट डालने के लिए कोई काम, बात या चीज़ नहीं करेगा। जब काम पूरा हो जाएगा या उसके तुरंत बाद, बैंक का इंजीनियर संविदाकर्ता को अपना बचा हुआ सामान और प्लांट हटाने के लिए लिखकर नोटिस देगा, और अगर संविदाकर्ता नोटिस मिलने के चौदह दिनों के अंदर ऐसा करने में नाकाम रहता है, तो बैंक उसे पब्लिक ऑक्शन में बेच सकता है, और मिली हुई कुल रकम संविदाकर्ता को क्रेडिट दे सकता है। इसके बाद बैंक का इंजीनियर यह पता लगाएगा और लिखकर सर्टिफ़ाई करेगा कि बैंक को या बैंक द्वारा दिए जाने वाले प्लांट और सामान की कीमत (अगर कुछ है) और काम पूरा करने में बैंक को जो खर्च या नुकसान हुआ है, उसके लिए बैंक को क्या देना होगा और अगर कोई रकम संविदाकर्ता की है, तो वह रकम, जो इस तरह सर्टिफ़ाई की जाएगी, बैंक द्वारा संविदाकर्ता को या

संविदाकर्ता द्वारा बैंक को, जैसा भी मामला हो, दी जाएगी, और बैंक के इंजीनियर का सर्टिफ़िकेट पार्टियों के बीच आख़िरी और निश्चित होगा।

संविदाकर्ता द्वारा संविदा की समाप्ति

खंड 30. अगर बैंक के इंजीनियर के प्रमाणपत्र के तहत बैंक को देने वाली रकम का भुगतान, संविदाकर्ता द्वारा बैंक को पहले बताई गई रकम के भुगतान की लिखित सूचना देने के तीस दिन बाद भी बकाया और बिना भुगतान के रहता है, या अगर बैंक ऐसे किसी प्रमाणपत्र को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है, या अगर बैंक संविदाकर्ता को मना कर देता है, या अगर बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश पर या किसी कोर्ट के किसी आदेश या दूसरे आदेश से काम तीन महीने के लिए रोक दिया जाता है, तो और ऐसे किसी भी मामले में संविदाकर्ता को बैंक के इंजीनियर के ज़रिए बैंक को लिखित सूचना देकर संविदा तय करने की आज़ादी होगी, और वह बैंक से किए गए सभी कामों के लिए और संविदा के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या सामान से हुए किसी भी नुकसान के लिए भुगतान वसूलने का हकदार होगा।
ऐसे भुगतान की रकम तय करने में संविदाकर्ता के ओरिजिनल निविदा में दिए गए नेट दर को फॉलो किया जाएगा या जहां वे लागू नहीं हो सकते, वहां खंड 17 के अनुसार वैल्यूएशन किया जाएगा। इसके.

प्रमाणपत्र और भुगतान

खंड 31.

(ए) संविदाकर्ता को बैंक द्वारा समय-समय पर किश्तों में अंतरिम प्रमाणपत्रों के तहत भुगतान किया जाएगा, जो बैंक के इंजीनियर द्वारा संविदाकर्ता को निष्पादित कार्यों के लिए जारी किए जाएंगे, जब बैंक के इंजीनियर की राय में, परिशिष्ट में 'अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए कार्य का मूल्य' के रूप में नामित अनुमानित मूल्य (या बैंक के इंजीनियर के उचित विवेक पर कम) इस संविदा के अनुसार निष्पादित किया गया है, हालांकि, परिशिष्ट में नामित ऐसे मूल्य के प्रतिशत को "अंतरिम प्रमाणपत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत" के रूप में तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि कुल रखी गई राशि परिशिष्ट में "कुल "प्रतिधारण धन" के रूप में नामित राशि तक नहीं पहुंच जाती, जिसके बाद किश्तें बाद में निष्पादित और भवन में तय किए गए कार्य के पूरे मूल्य तक होंगी। बैंक का इंजीनियर अपने विवेक पर अंतरिम प्रमाणपत्र में ऐसी राशि शामिल कर सकता और संविदाकर्ता, बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित में जारी किए जाने वाले अंतिम सर्टिफ़िकेट के अनुसार अंतिम बैलेंस के भुगतान का हक़दार होगा, जो इस परिशिष्ट में "डिफ़ेक्ट दायित्व अवधि" के तौर पर बताई गई अवधि के वर्चुअल पूर्णता की तारीख से खत्म होने पर या उस अवधि के खत्म होने के तुरंत बाद होगा जब काम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा और सभी डिफेक्ट इसके असली इरादे और मतलब के अनुसार ठीक कर दिए जाएंगे, जो भी बाद में हो, बशर्ते कि बैंक के इंजीनियर द्वारा काम के चलने के दौरान या उनके पूरा होने पर या उसके बाद कोई भी सर्टिफ़िकेट जारी करने से संविदाकर्ता को खंड 2 और 20 के तहत

उसकी लायबिलिटी से राहत नहीं मिलेगी, और काम या मटीरियल से जुड़े फ्रॉड, बेईमानी, या धोखाधड़ी से छिपाने या सर्टिफ़िकेट में बताए गए किसी भी मामले में संविदाकर्ता को उसकी नाकाबिलियत से राहत नहीं मिलेगी, और सभी मामलों में।

और काम या सामान में ऐसी कमियां जो ठीक से जांच करने पर पता नहीं चलतीं। बैंक के इंजीनियर का कोई भी प्रमाणपत्र अपने आप में इस बात का निश्चित सबूत नहीं होगा कि कोई भी काम या सामान जिससे वह जुड़ा है, संविदा के मुताबिक है। न ही संविदाकर्ता का उन रकमों पर कोई दावा होगा जिन्हें बैंक के इंजीनियर ने किसी अंतरिम बिल में सर्टिफ़ाई किया हो और बैंक ने चुकाया हो और जो बाद में पता चले कि देने लायक नहीं हैं। इस मामले में बैंक का फ़ैसला आख़िरी और मानने वाला होगा।

(b) संविदाकर्ता को अपने सभी रनिंग अकाउंट बिल और फाइनल बिल के साथ, एक स्टेटमेंट जमा करना होगा जिसमें बिल की तारीख तक खरीदे गए सीमेंट, स्टील और दूसरे बिल्डिंग मटीरियल के विवरण और क्वांटिटी दिखाई गई हो, ताकि बैंक द्वारा ऐसे बिलों के सेटलमेंट से पहले उसे वेरिफ़ाई किया जा सके।

(c) अगर काम या उसका कोई हिस्सा उसकी संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा रहा है, तो बैंक के इंजीनियर के पास कोई भी प्रमाणपत्र रोकने का अधिकार होगा।

(d) बैंक का इंजीनियर उसके द्वारा जारी किए गए किसी भी पिछले प्रमाणपत्र में कोई भी सुधार कर सकता है।

काम का इंश्योरेंस नहीं कराता है और वर्चुअल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होने तक उसे इंश्योरेंस में नहीं रखता है, तो बैंक का इंजीनियर भुगतान का कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं करेगा।

(छ) बैंक के इंजीनियर प्रमाणपत्र पर भुगतान परिशिष्ट में निर्दिष्ट अवधि के भीतर "प्रमाणपत्रों के सम्मान की अवधि" के रूप में किया जाएगा, जब ऐसे प्रमाणपत्र बैंक को सौंप दिए गए हों।

विलम्बित भुगतान

खंड 32. बैंक के इंजीनियर के दिए गए किसी भी प्रमाणपत्र के तहत बैंक द्वारा संविदाकर्ता को दी जाने वाली कोई भी रकम, अगर परिशिष्ट में बताए गए "प्रमाणपत्र जारी करने के समय" के अंदर नहीं चुकाई जाती है, तो उस पर परिशिष्ट में बताए गए "देरी से भुगतान के लिए ब्याज दर" के तौर पर बताई गई दर से उस तारीख से, जिस तारीख को बैंक द्वारा ऐसी रकम चुकाई जानी चाहिए थी, भुगतान होने तक ब्याज लगेगा।

मामले का अंतिम निर्णय बैंक द्वारा किया जाएगा

खंड 33. खंड 1, 2, 3, 7, 12, 19, 27 (a, c, d, e, f) के तहत सभी या किसी भी मामले के बारे में फ़ैसला, राय, निर्देश, सर्टिफ़िकेट (भुगतान को छोड़कर) (जिन मामलों को यहां छूट वाले मामले कहा गया है) आख़िरी और निश्चित होगा और पार्टियों पर लागू होगा और इसके ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं होगी। बैंक के इंजीनियर का कोई दूसरा फ़ैसला, राय, निर्देश,

सर्टिफ़िकेट या वैल्यूएशन या बैंक के इंजीनियर का इनमें से कुछ भी देने से मना करना, खंड 34 के तहत आर्बिट्रेशन और रिव्यू के अधिकार के तहत होगा, ठीक वैसे ही जैसे सभी मामलों में (रेफ़रेंस खोलने के नियमों सहित) बैंक के इंजीनियर का फ़ैसला होता है।

मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा

खंड 34. संविदा या काम करने से जुड़े किसी भी तरह के सभी झगड़े और मतभेद (चाहे काम चलने के दौरान हों या काम लगभग पूरा होने की तारीख से 12 महीने के अंदर और चाहे संविदा छोड़ने या तोड़ने का फैसला होने के 12 महीने पहले या उसके अंदर) को विवाद वाले मामले की पूरी जानकारी देते हुए भेजा जाएगा, जैसे कि मात्रा, दर, क्लेम की गई रकम और उसका कारण, और बैंक इसे सुलझाएगा, जो अपना फैसला लिखकर बताएगा। ऐसा फैसला फाइनल प्रमाणपत्र या किसी और तरह से हो सकता है। किसी भी उम्मीद वाले मामले के बारे में बैंक का फैसला आखिरी होगा और खंड 33 में बताए अनुसार उस पर अपील नहीं की जा सकेगी। लेकिन अगर संविदाकर्ता किसी मामले से खुश नहीं है, तो संविदाकर्ता ऐसे फैसले का नोटिस मिलने के 28 दिनों के अंदर उस पर अपील कर सकता है। ऐसे लिखे हुए नोटिस में वे मामले बताए जाएंगे, जिन पर विवाद या मतभेद है और जिनके बारे में ऐसा लिखा हुआ नोटिस दिया गया है। अगर दोनों पार्टियां सहमत होती हैं, तो इस मकसद के लिए एक ही मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा। अगर सिंगल मध्यस्थ के अपॉइंटमेंट पर कोई करार नहीं हो पाता है, तो दोनों पार्टी अपनी तरफ से एक-एक व्यक्ति को मध्यस्थ के तौर पर नॉमिनेट करेंगी। पार्टियों द्वारा नॉमिनेट किए गए दो मध्यस्थ एक और व्यक्ति को तीसरे मध्यस्थ या अंपायर के तौर पर नॉमिनेट करेंगे। मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स के पास, जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रमाणपत्र, राय, फैसले, रिक्विजिशन या नोटिस को खोलने, रिव्यू करने और रिवाइज़ करने का अधिकार होगा, सिवाय उन मामलों के जिनका ज़िक्र पिछले खंड में किया गया है, और उन सभी विवादित मामलों को तय करने का अधिकार होगा जिन्हें आर्बिट्रेशन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा और जिनके बारे में पहले बताया गया नोटिस दिया गया होगा।

मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, रेफरेंस पर एंटर करने की तारीख से एक साल के अंदर (या पार्टियों की सहमति से उनके द्वारा तय किए गए किसी और बढ़े हुए समय के अंदर) अपना अवॉर्ड देंगे। अगर आर्बिट्रेशन की कार्रवाई के दौरान पार्टियां आपसी सहमति से अपने मतभेदों का विवाद सुलझा लेती हैं, तो पार्टियों द्वारा करार का जॉइंट मेमोरेंडम भरने पर, मध्यस्थ या आर्बिट्रेटर्स, जैसा भी मामला हो, ऐसे करार हिसाब से अवॉर्ड देंगे।

ऐसे किसी संदर्भ पर, संदर्भ और पुरस्कार से संबंधित लागत पर निर्णय क्रमशः मध्यस्थ या मध्यस्थों के विवेक पर होगा, जैसा भी मामला हो, जो इसकी राशि निर्धारित कर सकते हैं या पार्टी और पार्टी के बीच उस पर कर लगाने का निर्देश दे सकते हैं, और यह निर्देश देंगे कि इसे किसके द्वारा और किस मामले में वहन किया जाएगा और भुगतान किया जाएगा।

यह प्रस्तुतीकरण भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन के अर्थ में मध्यस्थता के लिए प्रस्तुतीकरण माना जाएगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का पुरस्कार, जैसा भी हो, अंतिम होगा और पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। यह सहमति हुई है कि संविदाकर्ता मध्यस्थता के लिए भेजे गए किसी ऐसे मामले, प्रश्न या विवाद के कारण कार्यों को करने में देरी नहीं करेगा, लेकिन सभी उचित तत्परता के साथ कार्यों को आगे बढ़ाएगा और मध्यस्थ या मध्यस्थों का निर्णय दिए जाने तक बैंक के निर्णय का पालन करेगा। मध्यस्थ या मध्यस्थों का कोई भी पुरस्कार, जैसा भी हो, संविदाकर्ता को कार्यों के वास्तविक कार्यान्वयन के संबंध में बैंक के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के अपने दायित्वों से मुक्त नहीं करेगा। बैंक और संविदाकर्ता इसके द्वारा यह भी सहमत हैं कि इस खंड के तहत मध्यस्थता संविदा के तहत कार्रवाई के किसी भी अधिकार से पहले की शर्त होगी।

अंतिम बिल की टेक्निकल जांच का अधिकार।

खंड 35. बैंक को यह अधिकार होगा कि वह बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति या संगठन से काम की टेक्निकल जांच करवाए और संविदाकर्ता के अंतिम बिल की जांच करे, जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह शामिल हों। अगर इस जांच के नतीजे में या किसी और वजह से कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई या ज़्यादा सर्टिफ़ाई की गई पाई जाती है, तो बैंक के लिए यह कानूनी होगा कि वह इस काम के लिए या भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत कहीं और संविदाकर्ता द्वारा किए जा रहे किसी भी दूसरे काम के लिए संविदाकर्ता को दिए जाने वाले किसी भी भुगतान से वह रकम वसूल करे।

बैंक को कामगारों को दिया गया मुआवज़ा वापस पाने का अधिकार है।

खंड 36. अगर किसी भी वजह से, बैंक, वर्कमैन्स कम्पनसेशन अधिनियम, 1923 के नियमों, या उसके किसी कानूनी बदलाव या फिर से लागू होने की वजह से, संविदाकर्ता द्वारा काम करने के लिए रखे गए किसी वर्कर को कम्पनसेशन देने के लिए मजबूर है, तो बैंक संविदाकर्ता से दिए गए कम्पनसेशन की रकम वसूलने का हकदार होगा, और इस अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंक को जमानत राशि से या इस संविदा के तहत संविदाकर्ता को बैंक द्वारा दी जाने वाली किसी भी रकम में से काटकर या किसी और तरह से ऐसी रकम या उसका कोई भी हिस्सा वसूलने की आज़ादी होगी। बैंक, संविदाकर्ता के लिखकर अनुरोध करने और ऐसे दावे का विरोध करने के नतीजे में बैंक पर जो भी खर्च आ सकता है, उसे बैंक को देने के अलावा, इस अधिनियम के तहत अपने खिलाफ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए मजबूर नहीं होगा।

कार्य का परित्याग

खंड 37. अगर निविदा स्वीकार होने के बाद किसी भी समय, बैंक किसी भी वजह से पूरे काम या उसके किसी हिस्से को नहीं करवाना चाहता है, तो बैंक का इंजीनियर संविदाकर्ता

को लिखकर नोटिस देगा। संविदाकर्ता को पूरे काम से हुए किसी भी मुनाफ़े या फ़ायदे के लिए मुआवज़े या किसी और तरह के भुगतान का दावा करना होगा।

बैंक का अधिकार अगर संविदाकर्ता की मौत हो जाती है तो संविदा खत्म करने के लिए

खंड 38. इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर कोई असर डाले बिना, अगर संविदाकर्ता, जो एक व्यक्ति है, की मौत हो जाती है, तो बैंक के पास संविदा खत्म करने का विकल्प होगा, और ऐसी समाप्ति के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

मार्जिनल नोट्स

खंड 39. मार्जिनल नोट्स और इसके कैच लाइन्स और इसके अनुबंध सिर्फ़ आसानी से रेफरेंस के लिए हैं और इन मौजूदा नोट्स और इसके अनुबंध के मतलब में इन्हें किसी भी तरह से ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

अप्रकटन संधि

खंड 40. संविदाकर्ता सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी जानकारी, मटीरियल और नियोक्ता के इंफ्रास्ट्रक्चर/सिस्टम/इक्विपमेंट वगैरह के बारे में किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं बताएगा, जो करार के संबंध में अपनी संविदा की जिम्मेदारियों को पूरा करने के दौरान संविदाकर्ता के पास या जानकारी में आए या आए, और उसे हर समय पूरी तरह से गोपनीय रखेगा। संविदाकर्ता संविदा के विवरण को प्राइवेट और गोपनीय रखेगा, सिवाय इसके कि इसके तहत जिम्मेदारियों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए यह ज़रूरी हो। संविदाकर्ता नियोक्ता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना किसी भी ट्रेड या टेक्निकल पेपर या कहीं और काम की कोई भी डिटेल्स प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित होने नहीं देगा, या शेयर नहीं करेगा। संविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के डिस्क्लोज़र के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को हर्जाना देगा। ऊपर बताई गई बातों का पालन न करने को संविदाकर्ता की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और नियोक्ता को नुकसान का दावा करने और कानूनी उपाय करने का अधिकार होगा।

संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी ज़रूरी कदम उठाएगा ताकि यह निश्चित हो सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी न बताने की ज़िम्मेदारी पूरी तरह से पूरी हो।

किसी भी वजह से इस करार के एक्सपायर होने या खत्म होने के बाद भी, अप्रकटन और गोपनीयता के संबंध में संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियां बनी रहेंगी।

कार्यस्थल पर महिलाओं के

खंड 41.

(i) संविदाकर्ता/एजेंसी 'काम की जगह पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और शिकायत) अधिनियम, 2013' के नियमों का पूरी तरह पालन करने के लिए पूरी तरह

लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम	ज़िम्मेदार होगी। बैंक के कैंपस में किसी भी कर्मचारी के साथ लैंगिक उत्पीड़न होने पर, संविदाकर्ता/एजेंसी द्वारा बनाई गई इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के सामने शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदाकर्ता/एजेंसी शिकायत के संबंध में इस अधिनियम के तहत ज़रूरी कार्रवाई निश्चित करेगी। (ii) संविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी की तरफ़ से बैंक के किसी भी कर्मचारी के ख़िलाफ़ लैंगिक उत्पीड़न की कोई भी शिकायत बैंक द्वारा बनाई गई क्षेत्रीय शिकायत कमिटी द्वारा संज्ञान में ली जाएगी। (iii) अगर घटना में संविदाकर्ता के कर्मचारी शामिल हैं, तो संविदाकर्ता को किसी भी पैसे के मुआवज़े के लिए ज़िम्मेदार होना होगा, जैसे कि अगर संविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा लैंगिक हिंसा साबित हो जाती है, तो बैंक के कर्मचारी को कोई भी पैसे की राहत। (iv) संविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को काम की जगह पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए ज़िम्मेदार होगा।
फर्मों को बोली लगाने से रोकना	खंड 42. बोली लगाने वाले को इन वजहों से बोली लगाने से रोका जा सकता है: (i). अगर यह तय होता है कि बोली लगाने वाले ने ईमानदारी के नियम का उल्लंघन करते हुए ये काम किए हैं या गलतियाँ की हैं: a. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा पाने के लिए या खरीद प्रक्रिया को किसी और तरह से प्रभावित करने के लिए, सीधे या परोक्ष रूप से रिश्वत, इनाम या तोहफ़ा या कोई भी ज़रूरी फ़ायदा देने, मांगने या लेने की पेशकश करना। b. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह कर सकती है या गुमराह करने की कोशिश कर सकती है ताकि फाइनेंशियल या दूसरा फायदा मिल सके या किसी ज़िम्मेदारी से बचा जा सके। c. कोई भी मिलीभगत, बोली में हेराफेरी या एंटी-कॉम्पिटिटिव व्यवहार जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को खराब कर सकता है। d. खरीद प्रक्रिया में गलत फ़ायदा उठाने या अपने फ़ायदे के लिए प्रोक्योर करने वाली कंपनी द्वारा बोली लगाने वाले को दी गई जानकारी का गलत इस्तेमाल करना। e. बोली लगाने वाले और खरीदने वाली कंपनी के किसी भी अधिकारी के बीच निविदा या संविदा पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी फाइनेंशियल या

बिज़नेस लेन-देन: जो खरीदने वाली कंपनी के फैसले पर सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से असर डाल सकता है।

f. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या उसकी संपत्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने के लिए कोई दबाव या धमकी।

g. किसी खरीद प्रक्रिया की किसी भी जांच या ऑडिटिंग में बाधा डालना।

h. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या संविदा सुरक्षित करने के लिए झूठी घोषणा करना या झूठी सूचना प्रदान करना;

i. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट का खुलासा करने में नाकाम रहे।

j. i) के प्रावधानों के संबंध में किए गए किसी भी पिछले उल्लंघन या किसी भी सार्वजनिक खरीद संस्थान / इकाई द्वारा निषिद्ध किए जाने का खुलासा करने में विफल रहा।

(ii). बोलीकर्ता द्वारा ईमानदारी के कोड के उल्लंघन के अलावा कोई भी ऐसा काम या चूक, जिसके लिए बैंक की राय में डिबारमेंट ज़रूरी है, जैसे कि घटिया मटीरियल की सप्लाई, मटीरियल की सप्लाई न होना, काम छोड़ देना, काम की घटिया गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन न करना वगैरह।

(iii). अगर बोली लगाने वाले को (a) प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन अधिनियम, 1988 के तहत; या (b) इंडियन पीनल कोड या उस समय लागू किसी दूसरे कानून के तहत, किसी पब्लिक खरीद संविदा को पूरा करते समय जान-माल का नुकसान करने या पब्लिक हेल्थ को खतरा पैदा करने के जुर्म में दोषी ठहराया गया हो।

(iv) इस बारे में, बोलीकर्ता को अपने लेटर हेड पर अंडरटेकिंग / डिक्लेरेशन / प्रमाणपत्र की एक कॉपी जमा करनी होगी, जिसे अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता ने सील करके और हस्ताक्षर करके **अनुबंध V** में दिए गए फॉर्मेट में जमा करना होगा।

तारीख: - संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान: - नाम और पता:

ईमेल:

फ़ोन:

संविदा की विशेष शर्तें

1. काम पूरा करने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा, जो कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10वें दिन से माना जाएगा। हालांकि, दर निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से एक साल तक वैध रहेगा। संविदाकर्ता को काम शुरू करने से पहले एक डिटेल्ड कार्य प्रोग्राम तैयार करना होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर्स से अप्रूव करवाना होगा और प्लांट्स, टूल, टैकल, लेबर फोर्स वगैरह के लिए सही सपोर्ट के साथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से सपोर्ट मिलना चाहिए। निविदा देने वाले को बैंक के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और ऑर्गनाइज़ेशन के मौजूदा प्रोसीजर को फॉलो करते हुए समय से पहले स्टाफ के लिए वर्कपास, मटीरियल के लिए गेट पास वगैरह लेने का इंतज़ाम करना चाहिए। इसकी वजह से काम में होने वाली देरी को बैंक बर्दाश्त नहीं करेगा।

2. निविदा देने वाले को अपने खर्च पर काम करने वालों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा, ज़रूरी लेबर लाइसेंस लेना होगा, अपने काम करने वालों को मिनिमम वेज अधिनियम के हिसाब से भुगतान करना होगा और संविदा लेबर अधिनियम के सभी नियमों का पालन करना होगा। मज़दूरों को साइट पर रुकने की इजाज़त नहीं होगी।

3. संविदाकर्ता को काम की जगह पर सारा सामान, औजार और पौधे वगैरह ऊपर उठाने और मलबे और बचाए गए सामान के साथ नीचे उतारने का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा, ताकि कोई धूल, परेशानी, फैलाव और सुरक्षा का खतरा न हो। इसके लिए, संविदाकर्ता को अपनी स्कीम बैंक से काफी पहले मंज़ूर करवानी होगी और सुझाए गए किसी भी बदलाव को शामिल करना होगा। साइट पर एक ट्रक से ज़्यादा मलबा जमा नहीं होने दिया जाएगा। मलबा बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार जगह पर रखा जाएगा और उसे बोरियों वगैरह में रखा जाएगा।

4. एक्सीडेंट रोकने के लिए, संविदाकर्ता को अपने खर्च पर, रहने वालों की सेफ्टी और सुविधा के लिए ज़रूरी समय पर सही और काफ़ी पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग लगानी होगी और काम के दौरान उसे अच्छी हालत में रखना होगा और जहाँ ज़रूरी हो, रात में उस पार्टीशन नेट / पार्टीशन फैब्रिक / फेंसिंग में अच्छी रोशनी रखनी होगी। संविदाकर्ता को काम के दौरान बैंक की प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करनी होगी। संविदारों से अनुरोध है कि वे अपने फायदे के लिए काम के नेचर और क्वांटिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए साइट का निरीक्षण करें।

5. संविदाकर्ता को बिल्डिंग के अंदर कोई भी मलबा रखने की इजाज़त नहीं होगी। इंचार्ज इंजीनियर की पहले से मंज़ूरी लेकर ज़रूरी इंतज़ाम पहले से कर लेने होंगे ताकि सारा मलबा सही ढलानों से ज़मीन पर ले जाया जा सके और बैंक की जगह से ले जाने से पहले, जहाँ भी कहा जाए, वहाँ ढेर लगा दिया जाए।
6. बनाए जाने वाले वर्क प्लेटफॉर्म ऐसे होने चाहिए जो कामगार और सुपरवाइज़र्स के सुरक्षित काम करने में मदद करें और साथ ही कम से कम तीन से चार लेवल पर एक साथ लेबर्स, सामान और मलबे को सहारा दे सकें।
7. संविदाकर्ता को काम शुरू होने से पहले संविदा के तहत किए जाने वाले अलग-अलग कामों के लिए अपना टाइम अनुसूची जमा करना होगा।

8. संविदाकर्ता को बिल्डिंग के अंदर धूल और गंदगी का शोर/परेशानी कम से कम रखने की कोशिश करनी होगी। संविदाकर्ता को धूल-मुक्त माहौल बनाए रखने के लिए रोज़ाना अपने खर्च पर जगह की सफ़ाई भी करनी होगी।

9. रिपेयर का काम उन बिल्डिंग्स में करना है जिनमें लोग रहते हैं। संविदाकर्ता को जितना हो सके, रहने वालों को कम से कम परेशानी देने के लिए अपना बेस्ट देना होगा।

10. संविदाकर्ता को मौजूद पानी/बिजली के इस्तेमाल का अपना इंतज़ाम खुद करना होगा और उसका सही इस्तेमाल करना होगा।

11. अगर लोकल बॉडीज़ से कोई परमिशन चाहिए, तो संविदाकर्ता को लेनी होगी। ओरिजिनल भुगतान की रसीद जमा करने के बाद इसके चार्ज वापस कर दिए जाएंगे।

12. इच्छुक संविदाकर्ता किसी भी बैंक के वर्किंग डे पर विभाग से कोटेशन ड्रॉइंग, स्पेसिफिकेशन्स वगैरह के बारे में कोई भी स्पष्टीकरण ले सकते हैं।

13. निविदा देने वाला कृपया ध्यान दें कि काम दिन के समय (या बैंक के निर्देशों के अनुसार) करना होगा। इसलिए, इसमें शामिल पूरा काम इस तरह से किया जाएगा कि बताई गई जगह पर रहने वालों को कम से कम परेशानी हो। **संविदाकर्ता किसी भी तरह के तोड़ने के काम के लिए कोई इलेक्ट्रिकल वाइब्रो-हैमर या मैकेनिकल हैमर इस्तेमाल नहीं करेगा**। रोज़ाना सफाई संविदाकर्ता को करनी होगी। ऐसा न करने पर यह काम संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाया जाएगा।

14. काम के लिए सारा सामान सीढ़ियों से या बाहर से पुली अरेंजमेंट से वर्किंग एरिया में लाया जाएगा। ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी वेस्टेज को ज़रूरत के हिसाब से और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार बार-बार साफ किया जाएगा। बैंक के निर्देशों के बाद भी मलबा साफ न करने पर उसे हटाना संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर होगा।

15. सभी तोड़ने का काम और शोर करने वाले काम दिन के समय किए जाएंगे। अगर बैंक कहे तो दिन में काम तय समय पर करना होगा। संविदाकर्ता को सारा सामान सीढ़ियों से लाना होगा। संविदाकर्ता दर बताते समय ऊपर बताई गई बातों पर ध्यान देगा और तय समय में काम पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा।

16 मज़दूरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सीढ़ियों और रास्तों को रोज़ाना ठीक से साफ़ किया जाएगा, ताकि बैंक के इंजीनियर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। ऐसा न होने पर, यह काम बैंक को संविदाकर्ता के रिस्क और खर्च पर करवाना होगा।

17. **प्राइस एडजस्टमेंट**: बेसिक प्राइस के तहत दिया गया मटीरियल, अगर कोई हो, तो प्राइस एडजस्टमेंट के लिए माना जाएगा। ऐसे अनुमोदित मटीरियल के दर बैंक के इंजीनियर से ठीक से अप्रूव किए जाएंगे, जिसमें GST शामिल नहीं है। संविदाकर्ता को कंहस्ताक्षरमेंट के सभी पेड परचेज़ बिल RA/फाइनल बिल के साथ देने/संलग्न करने होंगे। प्राइस एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन अनुमोदित परचेज़ दर और मटीरियल के बेसिक दर (GST को छोड़कर) के बीच के अंतर को संबंधित निविदा आइटम में बताई गई अनुमानित मात्रा से गुणा करके की जाएगी, जिसमें 15% संविदाकर्ता के ओवरहेड और अंतर पर प्रॉफ़िट शामिल होगा। प्राइस एडजस्टमेंट करते समय बर्बादी पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, संविदाकर्ता हैंडलिंग और इस्तेमाल के कारण मटीरियल की बर्बादी का ठीक से आकलन करेंगे और कोट किए गए दर का मूल्यांकन करते समय इसे शामिल करेंगे।

18. नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह फ़ाइनल बिल के भुगतान के समय काम और संविदाकर्ता के फ़ाइनल बिल (जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट आदि शामिल हों) की तकनीकी जांच करवाए। अगर इस जांच या किसी अन्य तरीके से यह पता चलता है कि कोई रकम ज़्यादा भुगतान की गई है या ज़्यादा सर्टिफ़ाई की गई है, तो नियोक्ता के लिए उस रकम की वसूली करना कानूनी रूप से सही होगा।

19. निविदा में दिए गए दर में काम शुरू होने से पहले और काम पूरा होने के बाद साइट को साफ करने, काम के दौरान डबल मचान लगाने और लगाने और काम के बाद उसे हटाने, सभी औजारों और सामान, सामान और मजदूरों, लोडिंग और अनलोडिंग, स्टोरेज का इंतज़ाम, रात और दिन में निगरानी और रोशनी, रविवार और छुट्टियों के दिनों में भी, प्लंबिंग और बिजली सप्लाई का इंतज़ाम (बैंक के परिसर में मौजूद सोर्स से पानी और बिजली मिल सकती है), जनता की सुरक्षा और दीवारों, इमारतों और दूसरी सभी चीज़ों की सुरक्षा शामिल होगी। संविदाकर्ता ज़रूरत पड़ने पर या जब ऐसा करने का आदेश दिया जाएगा, तो ऐसी सभी सेंटरिंग, मचान, स्टेजिंग वगैरह को हटा देगा और काम के दौरान और बैंक की संतुष्टि के लिए खराब हुई सभी चीज़ों को पूरी तरह से ठीक कर देगा। दिए गए दर साइट पर मापे जाने वाले पूरे काम के लिए माने जाएंगे। दर भी पक्के होंगे और एक्सचेंज में बदलाव, मजदूरों की शर्तों, रेलवे माल ढुलाई में उतार-चढ़ाव या किसी भी तरह की शर्तों के अधीन नहीं होंगे।

20. काम पूरा करने के लिए, जगह के अंदर एक जगह पर टैपिंग पॉइंट पर बिजली और पानी मुफ़्त में दिया जाएगा। संविदाकर्ता को ज़रूरी जगहों पर टैपिंग का इंतज़ाम खुद करना होगा। लेकिन, संविदाकर्ता को यह निश्चित करना होगा कि बिजली और पानी की बेवजह बर्बादी न हो। किसी भी हादसे से बचने के लिए संविदाकर्ता को ज़रूरी सुरक्षा के उपाय करने होंगे। अगर इस मामले में संविदाकर्ता की तरफ से कोई ढिलाई बरती जाती है, तो बैंक उस पर जुर्माना लगाएगा।
21. सफल निविदा भरने वाले को आदेश में दिए गए काम को पूरी तरह से शुरू करने से पहले, मंज़ूर किए गए रंग-रूप (कलर स्कीम) के सैंपल लगाकर बैंक के इंजीनियर से उन्हें मंज़ूर करवाना होगा। बैंक के इंजीनियर द्वारा सुझाए गए किसी भी बदलाव को बिना किसी आपत्ति के लागू करना होगा।

22. सफल निविदा देने वाले को काम के लिए ज़रूरी सारा सामान खुद खरीदना होगा। जहाँ तक हो सके, सामान फर्स्ट/प्रीमियम गुणवत्ता का होना चाहिए जो ज़रूरी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। निविदा देने वाले को बैंक से पहले मंज़ूरी लेने के बाद, अनुमोदित ब्रांड और/या ई-निविदा खंड में दिए गए विनिर्माता के सामान की लिस्ट में बताए गए मेक/विनिर्माता का सामान इस्तेमाल करना होगा। बैंक को लिस्ट में अनुमोदित ब्रांड नामों में से कोई भी ब्रांड का सामान चुनने की आज़ादी होगी। बल्क में खरीदने से पहले किसी भी सामान के सैंपल को मंज़ूरी दिला लेनी चाहिए।

23. ऊपर बताए गए काम से निकलने वाले मलबे/धूल या किसी भी तरह की बर्बादी को बैंक के इंजीनियर के कहने पर और ज़रूरत के हिसाब से बार-बार साफ़ किया जाएगा और ऊपर बताए गए नवीनीकरण में मज़दूरों द्वारा इस्तेमाल की गई सीढ़ियों, रास्तों सहित पूरी जगह को रोज़ाना साफ़/साफ़ किया जाएगा, ताकि बैंक के इंजीनियर संतुष्ट हो सकें, इसके लिए कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होगा। पूरा मलबा/बेकार सामान बैंक की जगह से बाहर ले जाया जाएगा और उसे बैंक की जगह के अंदर या आस-पास कहीं भी नहीं फेंका जाना चाहिए। अगर लोकल कॉर्पोरेशन को कोई मलबा दिखता है तो इसके लिए पूरी तरह से संविदाकर्ता ज़िम्मेदार होंगे और जुर्माना लगाई जाएगी।

24. काम के घंटों के बाद किसी भी मज़दूर को कैंपस के अंदर रहने की इजाज़त नहीं होगी।

25. सामान रखने के लिए टेम्परारी लॉक करने लायक स्टोरेज स्पेस, संविदाकर्ता तय जगह पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर, टेम्परारी तौर पर बना सकता है। लेकिन, स्टोर में रखे सामान के लिए बैंक ज़िम्मेदार नहीं होगा, यह संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारी होगी। स्टोर को ठीक से मेंटेन किया जाएगा और काम पूरा होने के बाद उसे बैंक को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में (जैसे उसे सौंपते समय था) सौंप दिया जाएगा। साइट पर लाए गए सामान की गुणवत्ता और क्वांटिटी के निरीक्षण के लिए तुरंत बैंक के इंजीनियर को बताया जाएगा।

26. निविदा देने वाले कृपया ध्यान दें कि काम नॉर्मल वर्किंग आवर्स में किया जाएगा, जिसमें रहने वालों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए पहले से प्लानिंग की जाएगी, और बैंक के इंजीनियर्स से सलाह करके काम का सही क्रम बनाया जाएगा। काम तय समय में पूरा करना होगा और किसी भी हालत में देर से काम करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

27. बैंक का इंजीनियर साइट पर लाए गए पेंटिंग मटीरियल का अकाउंट वेरिफ़ाई करेगा। संविदाकर्ता को सही रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए डिलीवरी चालान/इनवॉइस वगैरह समेत सभी डिटेल्स बैंक के इंजीनियर को देनी होंगी। पूरा पेंटिंग का काम पूरा होने के बाद, बैंक का इंजीनियर यह देखेगा कि पेंट बनाने वाली कंपनी ने जितनी थ्योरेटिकल खपत बताई थी, उतना पेंट काम में इस्तेमाल हुआ है या नहीं। हालांकि, ज़्यादा या कम होने वाला बदलाव मंज़ूर होगा।

28. सभी ज़रूरी सुरक्षा उपाय जैसे कि सही सेफ्टी नेट से ढकना, धूल से बचाने वाले कपड़े, रिपेयर के काम के दौरान पास की खिड़कियों को प्लाईवुड से ढकना, काम करने वालों को सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट वगैरह जैसे सुरक्षा गियर का इस्तेमाल करना होगा। बोली लगाने में दिलचस्पी रखने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उसी हिसाब से कोटेशन दें।

29. रीपेंटिंग का काम समय-समय पर सुपरविज़न में सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की कारीगरी के साथ किया जाएगा और काम के दौरान अनुमोदित पेंट बनाने वालों के टेक्निकल एक्सपर्ट/रिप्रेजेंटेटिव द्वारा समय-समय पर इसकी सुपरविज़न और मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। सरफेस को अनुमोदित मेक पेंट बनाने वालों के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार तैयार किया जाएगा और प्राइमर और ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट के अगले कोट लगाने से पहले बैंक के इंजीनियर से इसकी जांच और अनुमोदन लिया जाएगा। बिडिंग संविदार्स को सलाह दी जाती है कि वे साइट का निरीक्षण करें और क्वांटिटी के अनुसूची के अनुसार अपने दर कोट करने से पहले काम की मात्रा और स्कोप से खुद को परिचित कर लें।

30. बोली लगाने वाले संविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे साइट का निरीक्षण करें और आने से पहले अपनी असली मात्रा का पता लगा लें और क्वांटिटी के अनुसूची के अनुसार अपने दर बताएं। काम मिलने के बाद, इंडिकेटिव और असली मात्रा में अंतर का कोई भी क्लेम बैंक स्वीकार नहीं करेगा। संबंधित आइटम के लिए माप, क्वांटिटी के अनुसूची में बताई गई उनकी यूनिट के अनुसार किया जाएगा और संविदाकर्ता द्वारा इन आइटम के लिए बताए गए आइटम दर के अनुसार भुगतान किया जाएगा। संविदाकर्ता की आसानी के लिए, काम के अलग-अलग आइटम की अनुमानित मात्रा निविदा दस्तावेज के साथ दिए गए भाग । में दी गई है। संविदाकर्ता साइट पर आकर अपने दर बताने से पहले उसे देख सकते हैं और असली मात्रा का पता लगा सकते हैं। काम मिलने के बाद बैंक कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं करेगा।

31. सभी बिडिंग वेंडर्स को सलाह दी जाती है कि वे साइट पर जाएं और अगर कोई दिक्कत/शक हो, तो उसे प्री-बिड बैठक के समय ज़रूर बताएं ताकि आगे की जानकारी मिल सके। अगर बिडिंग वेंडर प्री-बिड बैठक में या उससे पहले कोई दिक्कत नहीं उठाते हैं या कोई सफाई नहीं मांगते हैं, तो यह माना जाएगा कि बोलीकर्ता को टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी तरह पता हैं और किसी भी हालत में संविदा के टर्म्स एंड कंडीशंस में बदलाव की कोई और अनुरोध नहीं मानी जाएगी।

32. संविदाकर्ता सिर्फ़ निविदा में दिए गए अनुमोदित ब्रांड के मटीरियल का ही इस्तेमाल करेंगे। बैंक को दिए गए नामों में से कोई भी ब्रांड का मटीरियल चुनने की आज़ादी होगी।

33. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST): बताई गई दरों में GST शामिल होगा।

34. फर्म काम करने के लिए सही स्किल्ड/लाइसेंस्ड वायरमैन रख सकती है और काम की देखरेख फर्म के क्वालिफाइड सुपरवाइजर/इंजीनियर कर सकते हैं।

35. पावर वायरिंग को लाइट वायरिंग से अलग और अलग रखा जाएगा। पावर और लाइट वायरिंग के

लिए पाइप अलग-अलग होंगे।

36. एक बिंदु में छत गुलाब, स्विच और समाप्ति सहित प्रकाश / प्रशंसक / घंटी आदि के लिए तारों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य शामिल होगा।

37. पॉइंट वायरिंग के लिए कोई लीनियर मेज़रमेंट नहीं होगा। पॉइंट्स को नंबरों में मापा जाएगा।

38. वायरिंग में, स्विच बोर्ड या पॉइंट आउटलेट को छोड़कर, कहीं भी जोड़ लगाने की इजाज़त नहीं है।

39. पूरी वायरिंग को छिपाकर करना होगा जब तक कि बैंक के इंजीनियर ने कुछ और न बताया हो। फर्म को कंड्यूट, जी आई बॉक्स वगैरह को छिपाने के बाद दीवार की सतह को पास की दीवार की सतह से मैच करने के लिए फिनिश करना होगा।

40. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सार्वजनिक खरीद प्रभाग द्वारा जारी दिनांक 23 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. क्रमांक 6/18/2019-पीपीडी के माध्यम से डाले गए जीएफआर 2017 के नियम 144 (xi) का अनुपालन, इसके अंतर्गत जारी किए गए सार्वजनिक खरीद आदेश और उनके बाद के संशोधन अनिवार्य होंगे। इस संबंध में, बोलीकर्ता अपने लेटर हेड पर वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र की एक प्रति **अनुबंध IV** में दिए गए प्रारूप में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत मुहरबंद और हस्ताक्षरित प्रस्तुत करेंगे। यदि बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो उसका/उसकी निविदा/कार्य आदेश तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, और बयाना राशि/प्रदर्शन बैंक गारंटी/जमानत राशि को जब्त करने सहित कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती

स्थान: संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और सील
दिनांक: नाम और पता

इसके पूर्व संदर्भित परिशिष्ट

यहां पहले बताई गई शर्तों के खंडों का संदर्भ और संदर्भ बोलीकर्ताओं के लिए सामान्य नियम और निर्देश, संविदा की सामान्य शर्तें और संविदा की विशेष शर्तें

दोष दायित्व अवधि	बारह महीने
दर की वैधता	निविदा खुलने की तारीख से एक साल तक भाग।
निविदा की वैधता	भाग-I खोलने की तिथि से तीन महीने
अंतिम माप की अवधि	वर्चुअल पूर्णता की तारीख से तीन महीने, जिसमें अंतिम बिल का सेटलमेंट भी शामिल है।
प्रारंभण की तिथि	कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के अंदर।
पूरा होने की तारीख	शुरू होने की तय तारीख से **90 दिन या शुरू होने की असली तारीख, जो भी पहले हो।**
परिसमाप्त क्षति की दर की दर से	लिक्विडेटेड डैमेज की रिकवरी अनुमानित लागत मूल्य के 0.25% की दर से, काम पूरा होने में देरी होने पर हर हफ़्ते की दर से होगी और संविदा की रकम के ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक होगी।
अंतरिम के लिए कार्यों का मूल्य प्रमाण पत्र	₹7 लाख
अवधारण प्रतिशत	5% (DLP के सफल होने तक रखा जाएगा)
प्रदर्शन बैंक गारंटी	5% (काम वर्चुअली पूरा होने पर जारी किया जाएगा)
प्रमाणपत्र जारी करने की अवधि भुगतान के लिए	चालू खाते के बिल के लिए एक महीना और बिल सेटलमेंट सहित फाइनल बिल के लिए तीन महीने
विलंबित भुगतान के लिए ब्याज	तीन प्रतिशत प्रति वर्ष

तारीख: - संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और सील

स्थान: - नाम और पता:

काम के दायरे में **"पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण, पहली मंज़िल बीएमओपी आरबीआई कोलकाता" शामिल है,** जो बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के लिए तैयार किए गए स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार होगा। नीचे दिए गए स्पेसिफिकेशन्स संविदा का हिस्सा होंगे और इन्हें स्पेसिफिकेशन्स के सप्लीमेंटल माना जाएगा, न कि उनसे अलग, सिवाय इसके कि यहां खास तौर पर बताया गया हो।

1. पेंटिंग का काम

(a) पेंटिंग का काम वैध स्टैंडर्ड्स, कोड और रेगुलेशंस के लेटेस्ट रिविज़न के अनुसार किया जाना है।

(b) संविदाकर्ता को काम करने के लिए ज़रूरी सारा सामान और काम के औज़ार देने होते हैं। जैसे, पेंटिंग, सफाई के सॉल्वैंट्स, डाइल्यूशन सॉल्वैंट्स, ब्रश, खास सामान, मचान, सीढ़ियाँ, कलेक्टिव प्रोटेक्शन मटीरियल वगैरह। पेंटिंग के काम को ज़्यादा जोखिम वाला काम माना जाता है और काम शुरू करने से पहले संविदाकर्ता को एक सुरक्षा और पर्यावरण बचाव प्लान बनाना होता है।

(सी) पेंट/कोटिंग और सॉल्वैंट्स का भंडारण: कोटिंग्स और सॉल्वैंट्स को हवादार कंटेनर या भंडारण कक्ष में और परिवेश के तापमान में संग्रहित किया जाएगा

(d) लेयर लगाने का तरीका: सतहों पर लेयर एक के बाद एक लगाई जाएंगी और हर लेयर लगाने के बीच पेंट/कोटिंग बनाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सूखने का समय रखा जाएगा। बनाने वाली कंपनी के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इस स्पेसिफिकेशन में बताई गई कम से कम मोटाई का ध्यान रखा जाएगा।

(e) आम सावधानियां: बोल्ट, नट, स्टड बोल्ट, स्क्रू को पेंट नहीं किया जाएगा और गलती से पेंट होने पर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जब तक कि क्लाइंट ऐसा न कहे। टैग प्लेट, नेम प्लेट को पेंट नहीं किया जाएगा और गलती से पेंट होने पर कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। संविदाकर्ता सारी हटाई गई धूल, जंग, गिरे हुए सॉल्वैंट्स और पेंट और सॉल्वैंट्स के बचे हुए हिस्से को इकट्ठा करके संविदाकर्ता की साइट से हटा देगा। इन सभी चीज़ों को लोकल नियमों के हिसाब से नष्ट कर दिया जाएगा या जमा कर दिया जाएगा। संविदाकर्ता को क्लाइंट की साइट के हिस्सों या सतहों पर पेंट और/या सॉल्वैंट के किसी भी तरह के फैलाव से बचना होगा। इन हिस्सों पर फैलाव से बचने के लिए, संविदाकर्ता पेंटिंग के काम के दौरान (ज़रूरत पड़ने पर) हिस्सों को ढक देगा।

(f) जंग या दूसरी बाहरी चीज़ों को साफ़ करना और हटाना: स्टील की सफाई और जंग हटाना: जिन सभी सतहों पर कोटिंग की जाएगी, उन्हें अच्छी तरह से साफ़ और तैयार किया जाएगा ताकि धूल, मिल स्केल, रोलिंग प्रक्रिया के दौरान लगाई गई प्रोटेक्टिव कोटिंग, जंग, ग्रीस, तेल, नमी और दूसरी बाहरी चीज़ें हटाई जा सकें, ताकि यह निश्चित हो सके कि कोटिंग सतह पर चिपकी रहे और जब तक नॉर्मल लाइफ़टाइम की उम्मीद है, तब तक चले।

(g) लकड़ी पर पेंटिंग करते समय, सबसे पहले काम से गोंद या सफेदी के धब्बे जैसे सभी उभारों को स्टॉपिंग नाइफ और डस्टर से सावधानी से हटाया जाएगा, जिसके बाद सभी गांठों को तेल और सफेद जिंक की एक या ज़्यादा परतों से भर दिया जाएगा और गोंद के साइज़ को गर्म करके लगाया जाएगा और सूखने पर सैंड पेपर या प्यूमिस स्टोन से रगड़ा जाएगा।

(h) प्राइमिंग कोट लगाने से पहले कंक्रीट/प्लास्टर की सतह को अच्छी तरह सुखाया जाएगा।

(i) जब स्टील के काम को प्राइम किया जाएगा तो वह या तो निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार होगा या सफेद जिंक के चार भागों के वजन के एक कोट के साथ दो बार उबले हुए अलसी के तेल के एक भाग को मिलाकर प्रदान किया जाएगा।

लकड़ी के काम में सभी छेद, दरारें और कील के सिरों को पुट्टी से बंद कर दिया जाएगा, और अनियमितताओं को सैंड पेपर और प्यूमिस पत्थर से कम किया जाएगा।

(k) लोहे के काम को पहले जंग और गंदगी से अच्छी तरह साफ किया जाएगा, जिसके बाद प्राइमर के तौर पर सिर्फ लाल लेड का इस्तेमाल किया जाएगा।

(l) सभी रंग इंग्लिश में बने या सबसे अच्छे ब्रश से एक जैसा और ठीक से लगाना है। रंग के हर कोट को अच्छी तरह सूखने देना है, फिर अगला कोट लगाना है और आखिरी कोट को छोड़कर बाकी सभी को प्यूमिस स्टोन से हल्का सा रगड़ना है।

(m) ब्रश से बालों के कोई निशान काम पर नहीं रहने चाहिए या पैनलों के कोनों, मोल्डिंग के कोण आदि में कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए।

(n) गुणवत्ता के बारे में शक होने पर, अगर इंचार्ज इंजीनियर ज़रूरी समझे, तो संविदाकर्ता द्वारा सप्लाई किए गए पेंट का टेस्ट IS 101-1964 में बताए गए अनुमोदित लैब में करवाया जाएगा।

(o) अनुमोदित ब्रांड और मैन्युफैक्चर के पेंट, ऑयल, वार्निश वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे। सिर्फ़ विनिर्माता से मिला रेडी मिक्स पेंट ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कोई मिलावट न हो। अगर किसी वजह से रेडी मिक्स पेंट को पतला करना ज़रूरी हो, तो विनिर्माता द्वारा रिकमेंड किया गया या इंजीनियर-इन-चार्ज के बताए गए थिनर ब्रांड का इस्तेमाल किया जाएगा।

(p) अनुमोदित पेंट, ऑयल या वार्निश को संविदाकर्ता काम की जगह पर उनके ओरिजिनल कंटेनर में सीलबंद हालत में लाएगा। मटीरियल एक बार में इतनी मात्रा में लाया जाएगा कि पूरे काम या कम से कम दो हफ़्ते के काम के लिए काफ़ी हो। खाली कंटेनर को काम की जगह से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक काम का संबंधित आइटम पूरा न हो जाए और इंजीनियर-इन-चार्ज से परमिशन न मिल जाए।

(q) काम शुरू करना: पेंटिंग तब तक शुरू नहीं की जाएगी जब तक इंजीनियर-इन-चार्ज पेंट किए जाने वाले काम की चीज़ों को देख न लें, उनकी सही गुणवत्ता से खुद को संतुष्ट न कर लें और पेंटिंग का काम शुरू करने की

मंज़ूरी न दे दें। प्राइमिंग कोट को छोड़कर, पेंटिंग का काम आम तौर पर बिल्डिंग के बाकी सभी काम लगभग खत्म होने के बाद ही शुरू किया जाएगा। पेंट का काम शुरू होने से कम से कम एक दिन पहले कमरों को अच्छी तरह से झाड़ देना चाहिए और पूरी बिल्डिंग को साफ कर देना चाहिए।

(r) सतह की तैयारी: सतह को अच्छी तरह से साफ़ किया जाएगा और धूल हटाई जाएगी। पेंटिंग शुरू करने से पहले सभी जंग, गंदगी, पपड़ी, धुएं के छींटे, मोर्टार की बूंदें और ग्रीस को अच्छी तरह से हटा दिया जाएगा। पेंटिंग शुरू करने से पहले, तैयार सतह को निरीक्षण के बाद इंजीनियर-इन-चार्ज से मंज़ूरी मिलनी चाहिए।

(s) इस्तेमाल के लिए छोटे कंटेनर में डालने से पहले, पेंट को उसके कंटेनर में अच्छी तरह से हिलाया जाना चाहिए, लगाते समय भी पेंट को छोटे कंटेनर में लगातार हिलाया जाना चाहिए ताकि इसका गाढ़ापन एक जैसा रहे।

(t) पेंटिंग को क्रॉसिंग और ले-ऑफ़ के ज़रिए एक जैसा और आसानी से लगाया जाएगा, जिसमें लकड़ी के दानों की दिशा में क्रॉसिंग और ले-ऑफ़ किया जाएगा। क्रॉसिंग और ले-ऑफ़ में उस जगह को पेंट से कवर करना, पहली बार सतह पर ज़ोर से ब्रश करना और फिर बारी-बारी से उल्टी दिशा में, दो या तीन बार ब्रश करना और आखिर में उसी दिशा में राइट-एंगल पर हल्के से ब्रश करना शामिल है। इस प्रक्रिया में, ले-ऑफ़ खत्म होने के बाद ब्रश के कोई निशान नहीं रहने चाहिए। क्रॉसिंग और ले-ऑफ़ की पूरी प्रक्रिया में एक कोट लगेगा।

(u) बचा हुआ पेंट स्टॉक टिन में वापस नहीं डाला जाएगा। जब इस्तेमाल में न हो, तो कंटेनर को ठीक से बंद रखा जाएगा। ब्रश से बालों के निशान या पैनल के कोनों, मोल्डिंग के एंगल वगैरह में पेंट के जमाव से काम पर कोई निशान नहीं छोड़ा जाएगा।

(v) दरवाज़ों और खिड़कियों को पेंट करते समय, कांच के शीशों के चारों ओर लगी पुट्टी को भी पेंट करना होगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि कांच पर पेंट के कोई दाग वगैरह न रह जाएं। शटर के ऊपरी हिस्से और ऐसी ही छिपी हुई जगहों पर सतहों को पेंटिंग में नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि, शटर के निचले किनारे पर, जहां पेंटिंग करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, पेंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और न ही इस वजह से कोई कटौती की जाएगी, लेकिन शटर लगाने से पहले निचले किनारे पर अनुमोदित मेक के प्राइमर के दो कोट किए जाएंगे।

बोल्ट, नट, रिवेट ओवरलैप इत्यादि पर पेंट करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्राइमर और पेंट्स के अन्य कोट के लिए अतिरिक्त विनिर्देश संबंधित शीर्षकों के तहत विस्तृत विनिर्देशों के अनुसार होंगे।

(x) ब्रश और कंटेनर: काम के बाद, ब्रश को तारपीन से धोकर पेंट और अलसी के तेल से पूरी तरह साफ़ कर लेना चाहिए। जिस ब्रश में पेंट सूख गया है, वह खराब हो जाता है और उसे किसी भी हालत में पेंटिंग के काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब कंटेनर इस्तेमाल में न हों, तो उन्हें बंद और हवा से दूर रखना चाहिए ताकि पेंट गाढ़ा न हो और धूल से भी बचा रहे। जब पेंट इस्तेमाल हो जाए, तो कंटेनर को तारपीन से धोना चाहिए और मुलायम साफ़ कपड़े से पोंछकर सुखाना चाहिए, ताकि वे साफ़ हो जाएं और दोबारा इस्तेमाल किए जा सकें।

(y) माप (IS 1200 के अनुसार) लंबाई और चौड़ाई को एक cm तक सही मापा जाएगा। एरिया की गणना sqm में की जाएगी (दशमलव के दो स्थानों तक सही), जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

2. **इंटीरियर इमल्शन पेंटिंग** :

(a) सरफेस की तैयारी: मौजूदा पेंट या किसी दूसरी प्रोटेक्टिव फिल्म को हटाने के लिए सरफेस को अच्छी तरह से खुरचकर साफ किया जाएगा। किसी भी बड़े पैच की मरम्मत या दरार को काटकर ठीक किया जाएगा। भरने से पहले दरारों को अच्छी तरह गीला किया जा सकता है या दरारों के किनारों पर प्राइमिंग पेंट लगाया जा सकता है ताकि पानी ज़्यादा सोख न सके और बाद में भराई सिकुड़ न जाए। पेंटिंग से पहले, बारीक दरारों को डिस्टेंपर या इनेमल पुट्टी से भरा जा सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि फिनिश क्या होनी चाहिए। सरफेस पर ग्रीसी या ऑयली धब्बे मंज़ूर तरीके से हटाए जाने चाहिए। व्हाइट वॉश लगाने से पहले चॉक और ग्लू का एक कोट लगाया जा सकता है।

(b) एप्लीकेशन: इंटीरियर इमल्शन पेंट को रोलर या स्प्रे पंप से, अगर मंज़ूरी हो, तो तय संख्या में कोट में लगाया जाएगा। हर कोट लगाने का तरीका यह होगा कि रोलर को पहले दाईं ओर से हॉरिजॉन्टली और फिर बाईं ओर से स्ट्रोक किया जाए और इसी तरह अगला स्ट्रोक नीचे से ऊपर की ओर और दूसरा ऊपर से नीचे की ओर लगाया जाए। अगला कोट लगाने से पहले हर कोट को सूखने दिया जाएगा।

3. **इनेमल पेंटिंग**:

लकड़ी की सतह:

(i) सतह की तैयारी:

(a) पुराने लकड़ी के काम में सतह तैयार करते समय, जमा हुई गंदगी, मैल, फफूंदी, नमी की वजह से उगी हुई चीज़ें वगैरह हटा दी जाएँगी और सतह की कमियों की जाँच की जाएगी। गोंद या सफेदी के धब्बे जैसे सभी उभारों को स्टॉपिंग नाइफ़ से ध्यान से हटाकर साफ़ किया जाएगा, जिसके बाद सभी गांठों को नॉटिंग सॉल्यूशन से भर दिया जाएगा। राल वाली या ढीली गांठों को हटा दिया जाएगा और खाली जगहों को पुराने लकड़ी के टुकड़े से भर दिया जाएगा और बाकी सतहों के साथ बराबर कर दिया जाएगा।

(b) पहले से पेंट की हुई लकड़ी की सतह, अगर वह चिकनी और अच्छी हालत में है, तो उसे व्हाइट स्पिरिट या दूसरे डिटर्जेंट से साफ़ किया जाएगा। सतहों को एब्रेसिव पेपर से रगड़ें, धोएँ, साफ़ करें, ताज़े पानी से हटाएँ और सतहों को सूखने दें। खराब और ढीली पुट्टी को बदल दिया जाएगा।

(c) पेंटिंग का काम जितना हो सके सूखे और गर्म मौसम में किया जाना चाहिए। काम के अनुसूची के हिसाब से सतहों पर पेंट के दो कोट लगाए जाने चाहिए।

(ii) पेंट की तैयारी और आवेदन पूरी तरह से पेंट निर्माताओं की सिफारिशों के अनुसार होगा।

4. **स्टील वर्क पर इनेमल पेंटिंग**:

(i) सतह की तैयारी: सतह को सभी तरह के स्केल, जंग, गंदगी, पुराने पेंट, ग्रीस और दूसरी कमियों से अच्छी तरह साफ़ किया जाएगा, और स्टील वायर ब्रश से खुरचकर और ब्रश करके साफ़ किया जाएगा। अगर ज़रूरी हो, तो सतह को चिपिंग या किसी दूसरे जाने-माने तरीके, जैसे सैंड ब्लास्टिंग और जलाकर साफ़ किया जाएगा। सतह को पूरी तरह सुखाया जाएगा।

(ii) पेंट की तैयारी और आवेदन पूरी तरह से पेंट निर्माताओं की सिफारिशों के अनुसार होगा

5. **सीआई, जीआई, एस्बेस्टस आदि पाइप और फिटिंग की पेंटिंग**

(a) पेंट – पेंट, जब तक कुछ और न बताया गया हो, अनुमोदित मेक और शेड का फर्स्ट गुणवत्ता इनेमल पेंट होगा। प्राइमर कोट रेड ऑक्साइड या कोई भी अनुमोदित उपयुक्त मेटैलिक प्राइमर रेडी मिक्स और अनुमोदित मैन्युफैक्चर का होगा।

(b) सतहों की तैयारी – सभी जंग और पपड़ी को खुरचकर या स्टील वायर ब्रश से ब्रश करके हटा दिया जाएगा। सारी धूल और गंदगी को ध्यान से और अच्छी तरह से पोंछ दिया जाएगा। अगर सतह गीली है, तो उसे धूप में सुखाया जाएगा।

(c) लगाना – सतह तैयार करने के बाद, प्राइमर का एक कोट लगाया जाएगा। ध्यान रखें कि सतह पूरी तरह से ढक जाए, जोड़ों पर खास ध्यान दें।

(d) जब प्राइमर कोट सूख जाए और सतहों पर नमी, गंदगी, धूल वगैरह जमने से पहले, पाइपों पर मनचाहे शेड का पेंट लगाया जाएगा। यह ब्रश से किया जाएगा और पेंट को एक जैसा फैलाया जाएगा। सतह पर दो या उससे ज़्यादा कोट लगाए जाएंगे और आखिर में यह एक जैसा दिखेगा।

6. **सैनिटरी प्लंबिंग कार्य**

a.CI पाइप IS स्टैंडर्ड के हिसाब से होंगे और छिपे हुए/खुले काम के लिए अनुमोदित भारी गुणवत्ता के सैंड कास्ट आयरन पाइप होंगे। इनमें ज़रूरी लंबाई के पाइप इस्तेमाल होंगे। इनमें ISI मेक के स्पेशल या मिट्टी/वेस्ट लाइन के लिए कोई दूसरा अनुमोदित मेक होगा। इसमें सभी फिटिंग और स्पेशल जैसे बेंड, जंक्शन, डोर टी के साथ या बिना, वगैरह होंगे और लेड कॉल्क्ड जॉइंट्स होंगे।

b. CPVC पाइप (SDR 11) जिसमें गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए थर्मल स्टेबिलिटी हो, जिसमें सभी CVPC प्लेन और ब्रास थ्रेडेड फिटिंग शामिल हैं, यानी पाइप को 1.00m की दूरी पर क्लैंप से फिक्स करना। इसमें पाइप या फिटिंग को एक स्टेप CPVC सॉल्वेंट सीमेंट से जोड़ना और चेज़ को काटने और उन्हें ठीक करने का खर्च शामिल है, जिसमें जोड़ों की पूरी टेस्टिंग भी शामिल है।

c. PVC पाइप (HDPE, ओरिप्लास्ट या बैंक से मंज़ूर कोई और) sch. 80 गुणवत्ता/UPVC पाइप, जिसमें सभी ज़रूरी फिटिंग जैसे PVC/UPVC टीज़, एल्बो, बेंड, GI क्लैंप, हुक वगैरह हों। इसमें दीवार या फ़र्श में छिपाना, कटिंग चार्ज और डैमेज ठीक करना भी शामिल है।

d. M/s Pidilite, M/s Fosroc, M/s Sika, या विनिर्माता के बताए अनुसार किसी दूसरे बराबर के अनुमोदित मेक के दो कंपाउंड बेस्ड वॉटर प्रूफ़िंग पॉलिमर/ केमिकल के दो कोट लगाना और लगाना; ट्रीट की गई सतह को 72 घंटे तक पोंडिंग मेथड से टेस्ट करना।

e. स्वीकृत गुणवत्ता वाले विट्रिफाइड टाइलें प्रदान करना और बिछाना, आकार 750 x 750 मिमी या अनुमोदित निर्माता और छाया के किसी भी अनुमोदित आकार की, आवश्यक डिजाइन और पैटर्न में मौजूदा फर्श पर सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट:4 मोटी रेत) की 20 मिमी मोटी परत पर, अनुमोदित निर्माता/इपॉक्सी ग्राउट के टाइल संयुक्त यौगिक के साथ जोड़ना, जिसमें टाइलों के रंग से मेल खाने के लिए वर्णक का उपयोग करके जोड़ों को भरना, सफाई, उचित रेखा और स्तर बनाए रखना, ढलान आदि सभी पूर्ण।

f. फ़्लोरिंग में अनुमोदित विनिर्माता की अनुमोदित साइज़, फ़िनिश और शेड वाली सिरेमिक / विट्रिफ़ाइड नॉन-स्किड, नॉन-स्लिप टाइलें सप्लाई करना और बिछाना, 20mm मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 रेत) बेडिंग पर ज़रूरी लेवल, स्लोप और पैटर्न पर बिछाना, सीमेंट स्लरी में सेट करना, मैचिंग पिगमेंट के साथ मिक्स किए गए इपॉक्सी ग्राउट से अच्छी तरह जोड़ना, सफ़ाई, क्योरिंग वगैरह पूरा करना।

g. डैडो (Dado) में अनुमोदित विनिर्माता की अनुमोदित साइज़, फिनिश और शेड वाली सिरेमिक / विट्रिफाइड ग्लॉसी / मैट फिनिश टाइल्स सप्लाई और फिक्स करना, औसतन 12mm मोटी सीमेंट मोर्टार (1:3) बिछाना, सीमेंट स्लरी में सेट करना, जिसमें मैचिंग शेड के पॉलीमर सीमेंट ग्राउट या पॉलीमर और मैचिंग पिगमेंट के साथ मिक्स किए गए इपॉक्सी ग्राउट के साथ जॉइंटिंग करना, क्लीनिंग, क्योरिंग, डैमेज को ठीक करना, क्लीनिंग वगैरह सब पूरा करना।
h. सभी एक्सेसरीज़ जैसे सैनिटरी फिटिंग्स, जैगुआर फ्यूजन सीरीज़ या अनुमोदित इक्विवेलेंट की होंगी।

7. मचान: मचान मज़बूत और मज़बूत होनी चाहिए, ठीक से बंधी होनी चाहिए, जिसके ऊपर प्लेटफ़ॉर्म लगाया जाएगा जिस पर मज़दूर/ लेबर सभी ऊंचाइयों पर काम करेंगे। मचान का काम अनुसूची के तहत संबंधित आइटम के काम का हिस्सा माना जाएगा और इस संबंध में किसी भी हालत में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में लापरवाही के कारण प्रॉपर्टी को हुए किसी भी नुकसान या किसी भी जान के नुकसान के लिए संविदाकर्ता अकेला ज़िम्मेदार होगा।

गुणवत्ता नियंत्रण

1. गुणवत्ता: कार्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों को संबंधित बीआईएस और उनके संबंधित प्रकार की सर्वोत्तम गुणवत्ता के अनुसार यहां निर्दिष्ट किया जाएगा और अनुमोदित किया जाएगा और इसके बाद निर्धारित परीक्षणों का सख्ती से पालन किया जाएगा या, जहां परीक्षण सूची विनिर्देश में निर्धारित नहीं किए गए हैं, द्वारा अनुमोदित प्रासंगिक भारत मानकों के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के साथ। अभियंता,

2. निरीक्षण और परीक्षण: - कार्य में शामिल करने से पहले सभी मटीरियल का निरीक्षण और टेस्टिंग किया जाएगा, जैसा कि संविदा की शर्तों और स्पेसिफिकेशन्स में कहीं और बताया गया है। सभी टेस्ट के लिए सभी सैंपल की कीमत, स्टैंडर्ड्स से जुड़े हुए, संविदा रेट्स में शामिल मानी जाएगी। काम में कोई भी मटीरियल तब तक इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक उसे पहले इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि से मंज़ूरी न मिल जाए। साइट पर सप्लाई किए गए मटीरियल के लॉट के साथ मटीरियल के लिए विनिर्माता का टेस्ट प्रमाणपत्र होगा, जिसे बैंक के इंजीनियर के कहने पर टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है।

3. सैंपल- काम में इस्तेमाल होने वाले या शामिल किए जाने वाले और संविदाकर्ता द्वारा सप्लाई किए जाने वाले सभी मटीरियल के सैंपल इंजीनियर या उनके प्रतिनिधि किसी भी समय मंगवा सकते हैं।

4. स्वतंत्र परीक्षण- सप्लायर के काम, टेस्ट और एनालिसिस की जांच करने के लिए, इंजीनियर/बैंक द्वारा नियुक्त टेस्टिंग हाउस या एनालिस्ट समय-समय पर किसी भी मटीरियल का इंडिपेंडेंट टेस्ट और एनालिसिस कर सकते हैं। टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का प्रक्रिया संबंधित IS कोड में बताया गया होगा। संविदाकर्ता अपने खर्चे पर इंजीनियर के बताए अनुसार टेस्टिंग हाउस या एनालिस्ट को मटीरियल सप्लाई और सुपुर्द करेगा। अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि को ठीक नहीं लगता है, तो पेश किया गया मटीरियल रिजेक्ट कर

दिया जाएगा। सभी टेस्ट का खर्च संविदाकर्ता उठाएगा। संविदाकर्ता।

5. इंजीनियर-इन-चार्ज काम मिलने के बाद कंक्रीट के कामों के लिए गुणवत्ता कंट्रोल फ़ॉर्मेट दे सकता है। संविदाकर्ता ध्यान देगा कि उसे ऐसे सभी फ़ॉर्मेट अपनाने होंगे।

6. इसके अलावा, अगर संविदाकर्ता के अपने QC फ़ॉर्मेट हैं, तो वह उन्हें ज़रूरी समझे जाने वाले बदलावों और इंजीनियर-इन-चार्ज की मंज़ूरी के बाद अपना सकता है।

7. किसी भी मामले में संविदाकर्ता को संविदा मिलने के बाद अपना डिटेल्ड गुणवत्ता एश्योरेंस प्लान जमा करना होगा। इसे इंजीनियर-इन-चार्ज रिव्यू करेगा, सही तरीके से बदलेगा और मंज़ूरी देगा।

8. निरीक्षण : - सभी मटीरियल, कारीगरी और तैयार कंस्ट्रक्शन का लगातार निरीक्षण और इंजीनियर-इन-चार्ज की मंज़ूरी लेनी होगी। इंजीनियर-इन-चार्ज द्वारा रिजेक्ट किए गए मटीरियल को 3 (तीन) वर्किंग डेज़ के अंदर साइट से साफ़ तौर पर हटा दिया जाएगा और संविदाकर्ता उसे तुरंत बदल देगा, जिसके लिए मालिक को कोई अतिरिक्त खर्च नहीं देना होगा।

9. सफ़ाई- कंक्रीट का काम पूरा होने पर, काम से निकले सभी फॉर्म, इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन टूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग और कोई भी मलबा, लकड़ी के टुकड़े वगैरह हटा दिए जाएंगे और जगह को साफ़ छोड़ दिया जाएगा।

माप का तरीका (IS 1200 के अनुसार) :
लंबाई और चौड़ाई एक cm तक सही मापी जाएगी। एरिया की गिनती sqm (दशमलव के दो स्थानों तक सही) में की जाएगी, जब तक कि कुछ और न कहा गया हो। पेंट की गई सतहों की 10 sq. decimeter (0.1 sqm) से ज़्यादा नहीं होने वाली छोटी चीज़ों को गिना जाएगा, जो इसी तरह के पेंट किए गए काम के साथ न हों। चौड़ाई या परिधि में 10 cm तक की पेंटिंग और इसी तरह के पेंट किए गए काम के साथ न होने पर रनिंग मीटर में दी जाएगी और ज़रूरत पड़ने पर लाइन में कटिंग भी शामिल होगी। नोट: ट्रस, कंपाउंड गर्डर, स्टैंचियन, जाली और इसी तरह के काम के हिस्से, हालांकि, सदस्यों के आकार या परिधि पर ध्यान दिए बिना sq. meters में दिए जाएंगे। पेंटिंग के काम में प्राइमिंग कोट ऑफ़ पेंटिंग शामिल किया जाएगा।
जॉइनरी और स्टील वर्क वगैरह की पेंटिंग, वार्निशिंग, ऑइलिंग वगैरह को मापने में, नीचे दी गई टेबल में दिए गए कोएफिशिएंट का इस्तेमाल पेएबल एरिया पता करने के लिए किया जाएगा। कोएफिशिएंट को फ्लैट मापे गए एरिया पर लागू किया जाएगा, न कि घेरे हुए एरिया पर।

अनुसूचियों की सूची (ए से डी)

अनुसूची ए - सुरक्षा कोड

1. संविदाकर्ता को प्राथमिक उपचार के सामान आसानी से रखने की जगह पर रखने होंगे, जिसमें स्टेरिलाइज़्ड ड्रेसिंग और रूई की सही सप्लाई शामिल होगी।

2. अगर चोट की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत हो, तो घायल व्यक्ति को बिना समय गंवाए पास के पब्लिक हॉस्पिटल ले जाना चाहिए।

3. जो काम ज़मीन से सुरक्षित रूप से नहीं किए जा सकते, उनके लिए काम करने वालों को सही और मज़बूत मचान दिए जाने चाहिए।

4. कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी 8 मीटर से ज़्यादा लंबी नहीं होगी। साइड रेल के बीच की चौड़ाई 30 cm (साफ़) से कम नहीं होगी और दो आस-पास के डंडों के बीच की दूरी 30 cm से ज़्यादा नहीं होगी। जब सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो सीढ़ी को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त मज़दूर लगाया जाएगा।

5. खुदाई का सामान खाई के किनारे से 1.5 मीटर या खाई की आधी गहराई के अंदर नहीं रखा जाएगा, जो भी ज़्यादा हो। सभी खाइयों और खुदाई वाली जगहों पर ज़रूरी फेंसिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी।

6. किसी बिल्डिंग के फ़र्श या काम करने वाले प्लेटफ़ॉर्म में हर खुली जगह पर लोगों या सामान को गिरने से बचाने के लिए सही तरीके से फ़ेंसिंग या रेलिंग लगाई जाती है, जिसकी कम से कम ऊंचाई एक मीटर होनी चाहिए।

7. किसी भी फ़र्श, छत या स्ट्रक्चर के दूसरे हिस्से पर इतना ज़्यादा मलबा या सामान नहीं होना चाहिए कि वह अनसेफ हो जाए।

8. डामर, सीमेंट मोर्टार या कंक्रीट और चूना मोर्टार जैसे मटीरियल को मिलाने और संभालने वाले मज़दूरों को सुरक्षा वाले जूते और रबर के दस्ताने दिए जाएंगे।

9. वेल्डिंग के काम में लगे लोगों को वेल्डर की सुरक्षा के लिए आई-शील्ड और ग्लव्स दिए जाएंगे।

10. कामगार के इस्तेमाल के लिए सही फेसमास्क दिए जाने चाहिए।

11. संविदाकर्ता काम करने वालों को ओवरऑल देगा और काम बंद होने के दौरान काम करने वालों को कपड़े धोने के लिए काफ़ी सुविधाएँ दी जाएँगी।

12. काम में इस्तेमाल होने वाली होइस्टिंग मशीनें और टैकल, उनके संलग्नमेंट, एंकरेज और सपोर्ट सहित, पूरी तरह काम करने की हालत में होने चाहिए।

13. सामान रखने या नीचे उतारने या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता की और सही मज़बूत होनी चाहिए और उनमें कोई खराबी नहीं होनी चाहिए।

14. बाहरी काम को कवर करने और कॉलोनी में रहने वालों को किसी भी तरह की चोट से बचाने के लिए अतिरिक्त सेफ्टी नेट दिया जाना है।

15. कामगार को सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी हेलमेट, एप्रन, सेफ्टी शूज़ और दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट दिए जाएंगे। किसी भी वर्कर को डबल हार्नेस सेफ्टी बेल्ट के बिना स्कैफोल्डिंग पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जाएगी।

स्थान: संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और सील

तारीख: नाम और पता

फ़ोन/मोबाइल नंबर: -

ई-मेल

अनुसूची बी - अग्नि सुरक्षा कोड

1. साइट पर इस्तेमाल होने वाली कटिंग/ड्रिलिंग मशीन और बिजली से चलने वाले दूसरे इक्विपमेंट को सही रेटिंग वाले इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग किया जाना चाहिए।
2. सिर्फ़ ISI मार्क वाले 3 पिन प्लग और दूसरे अप्लायंस और इक्विपमेंट ही इस्तेमाल किए जाएंगे।
3. इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल पावर केबल/तारों में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए और उनकी रेटिंग सही होनी चाहिए।
4. सभी बिजली के उपकरण जैसे वेल्डिंग, ड्रिलिंग, कटिंग मशीन वगैरह को काम करते समय लीकेज करंट को रोकने के लिए सुरक्षित रूप से अर्थिंग किया जाना चाहिए।
5. साइट पर आसानी से पहुंचने वाली जगह पर पानी और रेत की दो बाल्टियां रखी जाएंगी।
6. इस्तेमाल किए गए पेंट ड्रम को ठीक से बंद करने के बाद ही बताए गए स्टोर में स्टोर किया जाना चाहिए।
7. काम की ज़रूरत के हिसाब से, संविदाकर्ता काम करने वालों को काम से होने वाले हेल्थ खतरों से बचाने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज़, हैंड ग्लव्स, वेल्डर मास्क, इयर प्लग वगैरह देगा।
8. सेफ्टी बेल्ट संविदाकर्ता देगा और काम करने वाले ग्राउंड लेवल से 10' से ज़्यादा ऊंचाई पर काम करते समय इसका इस्तेमाल करेंगे।
9. लिफ्ट लॉबी और सीढ़ियों के पास के किसी भी रास्ते का इस्तेमाल किसी भी तरह का सामान/कचरा रखने/डंप करने के लिए नहीं किया जाएगा।
10. सीढ़ियों के दोनों दरवाज़े आम तौर पर बंद रखे जाएंगे।
11. किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को उसकी तय जगह से हटाया/शिफ्ट नहीं किया जाएगा।
12. जब इक्विपमेंट इस्तेमाल में न हो, तो मेन से पावर सप्लाई बंद कर दी जाएगी।
13. काम से निकलने वाली लकड़ी की छीलन और बुरादा रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
14. काम से निकलने वाले किसी भी मलबे को रोज़ाना इकट्ठा किया जाएगा, साइट से हटाया जाएगा और सही तरीके से तय जगह पर स्टोर किया जाएगा।
15. कार्यालय के समय के बाद काम करने वाले मज़दूरों को संविदाकर्ता बैटरी से चलने वाली इमरजेंसी लाइट/टॉर्च देगा।

स्थान: संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और सील

तारीख: नाम और पता

फ़ोन/मोबाइल नंबर: -

ईमेल:

अनुसूची सी- स्वीकृत सामग्रियों की सूची		
स्वीकृत सामग्रियों की सूची		
क्रमांक	**सामग्री**	**स्वीकृत निर्माता / ब्रांड नाम और मॉडल**
1.	सैनिटरी फिटिंग	जैगुआर की कॉन्टिनेंटल सीरीज़ या मंज़ूर समकक्ष
2.	जलरोधी रसायन	सिका टॉप सील 107, फॉसरोक या कोई भी मंज़ूर बराबर।
3.	CPVC पाइप (SDR 11)	एस्ट्रल, सुप्रीम, या कोई भी मंज़ूर बराबर।
4.	पीवीसी/यूपीवीसी/एचडीपीई पाइप	सुप्रीम, एस्ट्रल या कोई स्वीकृत समतुल्य
5.	सीआई पाइप	ALC, BIC या ISI:3989 के बराबर मंज़ूर करें
6.	सिरेमिक टाइलें/विट्रिफाइड टाइलें	एचआर जॉनसन, कजारिया, आरएके या कोई भी स्वीकृत समकक्ष
7.	वॉश बेसिन	मेसर्स जैगुआर, पैरीवेयर, हिंदवेयर या कोई भी स्वीकृत समकक्ष
8.	दीवार पर लटका हुआ EWC और छिपा हुआ सिस्टर्न	जैगुआर या कोई स्वीकृत समकक्ष
9.	ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट	बर्जर सिल्क ब्रीथ ईज़ी, एशियन रॉयल शाइन, जिसमें कम VOC गणवत्ता हो या कोई अनुमोदित बराबर
10	सीमेंट	लाफार्ज, एसीसी, अल्ट्राटेक या कोई समकक्ष अनुमोदित
11	लेमिनेट्स	सेंचुरी, मेरिनो, एडवांस या मंज़ूर समकक्ष
12	चिपकने	फेविकोल मरीन या स्वीकृत समकक्ष
13	समुद्री प्लाईवुड	सेंचुरी क्लब प्राइम, या स्वीकृत समकक्ष
14	एसएस फिटिंग/हिंज/एक्सेसरीज़	हेटिच, हैफेल, गोदरेज या समकक्ष अनुमोदित।
15	हैंडल	हेटिच, HAFELE, गोदरेज या इसके बराबर मंज़ूर।
16	मूत्रालय	जगुआर या उसके बराबर मंज़ूर।

17	काँच	AIS, मोदी, सेंट गोबेन या मंज़ूर समकक्ष
18	शिकंजा	GKW नेटल फोल्ड, ऑक्सिडाइज्ड या अनुमोदित इक्विवेलेंट।
19	हार्डवेयर	हेटिच, हाफेले, या मंज़ूर बराबर।
20	ताले	गोदरेज, हेटिच, हैफेल, या स्वीकृत समकक्ष
21	जिप्सम चैनल और सेक्शन	गोबेन की जिप्रोक सीरीज़ या मंज़ूर समकक्ष
22	जिप्सम फॉल्स सीलिंग नमी प्रतिरोधी (MR)	सेंट गोबेन या स्वीकृत समकक्ष
23	डब्ल्यूपीसी	सेंचुरी, अमूल्य या स्वीकृत समकक्ष

नोट: संविदाकर्ता को काम में इस्तेमाल करने से पहले सभी मटीरियल बैंक से अप्रूव करवाना होगा। सभी मटीरियल 1st गुणवत्ता के ISI मार्क वाले/ ISI स्टैंडर्ड अनुमोदित होने चाहिए। अगर बताए गए अनुमोदित ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं, तो बैंक / बैंक के इंजीनियर से अनुमोदित बराबर का मेक ही काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां भी संविदाकर्ता बराबर के मेक (यानी बताए गए के अलावा) इस्तेमाल करने का प्रपोज़ल रखता है, तो ऐसा बैंक / बैंक के इंजीनियर से पहले से अनुमोदन लेने और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्री सबूत जमा करने के बाद ही किया जाएगा। इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त खर्च और समय पूरी तरह से संविदाकर्ता का होगा और इस बारे में किसी भी तरह का क्लेम नहीं माना जाएगा।

तारीख: - संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और सील

जगह: - नाम और पता:

अनुसूची डी - साइट पर रखे जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्रम सं.	दस्तावेज़ का विवरण	टिप्पणी
1	संविदा करार. संविदा की सर्टिफाइड सच्ची कॉपी	
2	रोज़ाना के सुपरविज़न के दौरान साइट पर इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि द्वारा निर्देश जारी करने के लिए। यह बुक मशीन नंबर वाले पन्नों वाली ट्रिपल कॉपी के रूप में होगी। निर्देश रिकॉर्ड करने के बाद, एक कॉपी इंजीनियर-इन-चार्ज या उनके प्रतिनिधि लेंगे, दूसरी संविदाकर्ता लेंगे और तीसरी कॉपी बुक में रहेगी, जिस पर ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद संविदाकर्ता द्वारा नियमों का पालन रिकॉर्ड किया जाएगा।	प्रारूप 1
3	साइट पर मटेरियल रजिस्टर। संविदाकर्ता द्वारा रोज़ाना दिए गए और दिए गए मटेरियल को रिकॉर्ड करना।	प्रारूप 2
4	मटेरियल/इक्विपमेंट के लिए टेस्ट रिपोर्ट/प्रमाणपत्र, विनिर्माता से मिली टेस्ट रिपोर्ट/प्रमाणपत्र का रिकॉर्ड रखना	
5	रुकावट रजिस्टर, जिस पर साइट इंजीनियर/इंजीनियर-इन-चार्ज रिप्रेजेंटेटिव और संविदाकर्ता के रिप्रेजेंटेटिव के जॉइंट हस्ताक्षर हों।	प्रारूप 4
6	अतिरिक्त/वेरिएशन आदेश के लिए फाइल और रजिस्टर करें अतिरिक्त/वेरिएशन आइटम का रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए	प्रारूप 5

दिनांक: - संविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर स्थान: - नाम और पता:

प्रारूप 1- साइट आदेश बही

का नाम :
कार्य आदेश की तारीख:
शुरू होने की तारीख:
शुरू होने की असली तारीख:
पूरा होने की तय तारीख:
पूरा होने की असली तारीख:

क्रमांक	बैंक के इंजीनियर की टिप्पणी/निर्देश	बैंक के इंजीनियर के दिनांकित आद्याक्षर	निर्देश मिलने पर संविदाकर्ता के नाम के पहले अक्षर	दिनांक सहित की गई कार्रवाई	साइट इंजीनियर के दिनांकित आद्याक्षर	बैंक के अधिकारियों की टिप्पणी

प्रारूप 2- साइट पर सामग्री रजिस्टर

का नाम :	
कार्य आदेश की तिथि	
प्रारंभ की अनुसूची तिथि	
प्रारंभ की वास्तविक तिथि	
पूरा होने की निर्धारित तिथि	
पूरा होने की वास्तविक तिथि	

क्रमांक	तारीख	चालान संख्या	सामग्री का विवरण	मात्रा	हस्ताक्षर			टिप्पणी
					संविदाकर्ता	जेई	एएम/एमजीआर	

प्रारूप 3 - बाधा रजिस्टर

का नाम :
कार्य आदेश की तिथि
प्रारंभ की अनुसूची तिथि
प्रारंभ की वास्तविक तिथि
पूरा होने की निर्धारित तिथि
पूरा होने की वास्तविक तिथि

क्रमांक	बाधा		ओवरलैपिंग बाधा (दिन)	निवल बाधा (दिनों में)	संचयी बाधा (दिनों में)	कारण	ठेकेदारों के हस्ताक्षर	जेई	एएम/एमजीआर
	से	को							

प्रारूप 4 - अतिरिक्त/वेरिएशन के लिए फ़ाइल और रजिस्टर

कार्य का नाम:									
संविदाकर्ता का नाम:									
की रकम :									
अब तक मंज़ूर अतिरिक्त/वैरिएशन आइटम की रकम :									
अभी तक मंज़ूरी के लिए सुझाए गए अतिरिक्त/वैरिएशन आइटम का कुल संभावित फ़ाइनेंशियल असर, जिसमें मौजूदा प्रस्ताव भी शामिल है:									
क्रमांक	वस्तु का विवरण	मात्रा	इकाई	संविदाकर्ता के दावे		एएम(टेक)/एम जीआर(टेक)(साइट) का प्रस्ताव		क्षेत्रीय निदेशक की सिफारिश	
				दर	मात्रा	दर	मात्रा	दर	मात्रा

अनुबंध-I

बयाना राशि जमा/बोली सुरक्षा के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान : -_ _____

तारीख: - _____

श्री ....
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग,
कोलकाता

प्रिय महोदय,

जहाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका क्षेत्रीय कार्यालय 15, एन एस रोड, कोलकाता में है (जिसे आगे 'आरबीआई' कहा जाएगा), ने ऊपर बताए गए काम (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा जाएगा) के लिए निविदा दस्तावेज में बताई गई शर्तों और नियमों पर निविदा मंगाए हैं।

निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि निविदाकर्ता 50 लाख रुपये की बैंक गारंटी प्रस्तुत करेगा।_(रुपये केवल) बयाना राशि के रूप में जमा (ईएमडी)।

मेसर्स (निविदाकर्ता/बोलीकर्ता का नाम) _____, (इसके बाद "निविदाकर्ता/बोलीकर्ता" कहा जाएगा), जो हमारे ग्राहक/घटक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन्होंने हमसे रुपये की उक्त राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी देने का अनुरोध किया है। _____(रुपये) ____(केवल) ईएमडी के संबंध में।

अब यह गारंटी सुनिश्चित करता है:

1. हम___(बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वचन देते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि निविदाकर्ता ने निविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए निविदाकर्ता पर भी लागू होगा; आरबीआई के माँगने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के ₹1000 का भुगतान करेंगे।

_(रुपये__केवल) या कोई कम राशि जो आरबीआई द्वारा मांगी जा सकती है। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के तहत निविदाकर्ता के दायित्वों के उचित प्रदर्शन के लिए बयाना राशि जमा के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी राशि के खिलाफ हमारी देनदारी रुपये की राशि से अधिक नहीं होगी।_(रुपये केवल)।

2. हम यह भी पुष्टि करने के लिए सहमत हैं कि राशि रु. 50,000 से अधिक नहीं होगी।_(सिर्फ़ रुपये _____) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से मांगने पर, लिखित में नोटिस मिलने पर कि यह रकम उन्हें मिलनी है, भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निश्चित और मानने वाला होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम को ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर भुगतान करने का वादा करते हैं।
3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या दूसरी समझ से अलग होगी।

आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा निविदा देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी को किसी भी तरह से खत्म नहीं करेगा। यह गारंटी सिर्फ़ तभी खत्म होगी जब निविदा देने वाले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और ऐसा करने में नाकाम रहने की स्थिति में।

   अतः हमारे द्वारा अधिकतम 5000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा।_____(रुपये _____ _____केवल)।

b) इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत हमारी देयता 50 लाख रुपये से अधिक नहीं _____होगी____ केवल)।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से बताए गए काम के लिए निविदा देने में किसी भी कमी या गड़बड़ी या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी_(निविदा जमा करने की आखिरी तारीख से चार महीने) बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं शर्तों और नियमों पर रिन्यू किया जाएगा जो इसमें दिए गए हैं।

e) इन के तहत हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जब तक कि इन को ऊपर बताए गए तरीके से रिन्यू नहीं किया जाता।_या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही निश्चित सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता___

_ या किसी भी विस्तारित अवधि के दौरान, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत हमारी सभी बाध्यताओं और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

के लिए या उसकी ओर से _____ बैंक।

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर के साथ)

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकारी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुबंध II

प्रदर्शन के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा (सिक्योरिटी डिपॉजिट)

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

स्थान:_ _____

दिनांक:_

_____ श्री.....

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग,

कोलकाता

प्रिय महोदय,

कार्य का नाम:- **पुलिस गार्ड रूम की पहली मंज़िल का नवीनीकरण बीएमओपी आरबीआई कोलकाता**

चूंकि भारतीय रिज़र्व बैंक (जिसका क्षेत्रीय कार्यालय 15, एन एस रोड, कोलकाता में है और जिसे आगे "आरबीआई" कहा जाएगा) ने इस प्रोजेक्ट (जिसे आगे "संविदा" कहा जाएगा) की संविदा M/s _____ (कॉन्ट्रैक्टर का नाम) (जिसे आगे "उक्त संविदाकर्ता" कहा जाएगा, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और असाइनी भी शामिल होंगे) को दिया है।

और चूंकि संविदाकर्ता उक्त संविदा में दी गई शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए आरबीआई के पास ₹_____ (रुपये _____ मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जमा करने के लिए बाध्य है।

हम, _____ (बैंक का नाम) (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), संविदाकर्ता M/s _____ के अनुरोध पर, संविदा की शर्तों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर आरबीआई को ₹ _____ तक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी सुनिश्चित करता है

1. हम___(बैंक का नाम) इसके द्वारा आरबीआई, उनके उत्तराधिकारी, असाइनी के साथ सहमत हैं और यह वादा करते हैं कि अगर आरबीआई इस नतीजे पर पहुँचता है कि संविदाकर्ता ने संविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उसका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए संविदाकर्ता पर भी लागू होगा; आरबीआई के माँगने पर, हम आरबीआई को बिना किसी आपत्ति के, एक रकम देंगे।

   ₹_(रुपये_सिर्फ़) या आरबीआई द्वारा मांगी गई कोई भी कम रकम। हमारी गारंटी को उस संविदा के तहत संविदाकर्ता की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए परफॉर्मेंस गारंटी रकम के

बराबर माना जाएगा, लेकिन, ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी ₹ (रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी। केवल)। _____

2. हम यह भी मानते हैं कि हम यह निश्चित करेंगे कि रकम ₹__ से ज़्यादा नहीं होगी।_(सिर्फ़ रुपये) जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ आरबीआई से मांगने पर, लिखित में नोटिस मिलने पर भुगतान करेंगे, जिसमें बताया जाएगा कि यह रकम उन्हें देनी है और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और आरबीआई का नोटिस हमारे लिए आखिरी और बाध्यकारी होगा और हम इस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। बैंक, संविदाकर्ता द्वारा किसी भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या मध्यस्थ/आर्डिट्रेटर के सामने लंबित किसी भी मुकदमे या कार्यवाही में उठाए गए किसी भी विवाद/विवादों और उसके तहत देनदारी के बावजूद, आरबीआई को इस तरह मांगी गई कोई भी रकम देगा।

   यह गारंटी पूरी और साफ़ होगी। हम आरबीआई द्वारा क्लेम की गई रकम को ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर चुकाने का वादा करते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी आरबीआई और संविदाकर्ता के बीच हुए करार या एग्रीमेंट्स या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. आरबीआई की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना हम यह गारंटी रद्द नहीं करेंगे।

हम इस बात पर भी सहमत हैं कि –

a) आरबीआई की तरफ से इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस संविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में कोई भी नरमी या कमीशन, या आरबीआई द्वारा संविदाकर्ता को कोई समय देना या कोई छूट दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा। यह गारंटी सिर्फ़ संविदाकर्ता द्वारा अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने और ऐसा न करने की स्थिति में, हमारे द्वारा ₹ से ज़्यादा नहीं की रकम का भुगतान करने पर ही खत्म होगी।_____(रुपये_____केवल)।

b) यहाँ प्रस्तुत के तहत हमारी देनदारी ₹ की राशि से अधिक नहीं होगी_____ (रुपये_____केवल)।

c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों/क्लाइंट्स की तरफ से किसी भी कमी या गड़बड़ी या इसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

d) यह गारंटी तब तक लागू रहेगी_(काम पूरा होने के समय से 30 दिन आगे) बशर्ते कि अगर आरबीआई चाहे, तो इस गारंटी को उनके बताए गए समय के लिए, उन्हीं नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जाएगा जो इसमें दी गई हैं।

e) इन के तहत हमारी ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी, जब तक कि इन को ऊपर बताए गए तरीके से रिन्यू नहीं किया जाता।_या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, जिसके लिए आरबीआई का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही निश्चित सबूत है, चाहे तारीख बाद की हो। जब तक हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता

___या किसी भी विस्तारित अवधि के दौरान, इस गारंटी के तहत हमारे खिलाफ आरबीआई के सभी अधिकार जब्त कर लिए जाएंगे और हमें इसके तहत हमारी सभी बाध्यताओं और देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिसके साक्ष्य स्वरूप मैं/हम बैंक द्वारा इस गारंटी पर हस्ताक्षर किये हैं और मुहर लगायी है, दिनांक ---------- (माह) ..... . को एतद्द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाता है।

_____ (बैंक का नाम) के लिए और उसकी ओर से

अधीकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर का

नाम:

पद का नाम

बैंक की मुहर/सील

ऊपर बताए गए लोगों द्वारा बैंक की ओर से हस्ताक्षर, सील और सुपुर्द किया गया, इनकी मौजूदगी में:

गवाह 1	गवाह 2
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर .....
नाम	नाम .....
पता	पता .....

माप पुस्तिका का प्रारूप
(तीन प्रतियों में दिया जाएगा)

एमबी क्रमांक._____ पृष्ठ क्रमांक._____

निविदा आइटम सं./ निविदा पृष्ठ सं.	काम के आइटम का पूरा विवरण	मापन				मात्रा
		नहीं।	एल	बी	डी/एच	

रनिंग/फाइनल बिल के लिए लागत का सारांश

चालू बिल संख्या: .....

एमबी क्रमांक _ ____ पृष्ठ क्रमांक _____

सीरीयल नम्बर।	निविदा आइटम नं.	विवरण	मात्रा	दर ₹	इकाई	राशि ₹
1	2	3	4	5	6	7

अनुबंध IV

भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देश के बारे में बोली लगाने वाले के अंडरटेकिंग/घोषणा/प्रमाणपत्र के लिए प्रारूप

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

को,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

कार्य का नाम: पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण, पहली मंज़िल, बीएमओपी आरबीआई कोलकाता

मैं/हम ..... (नाम और पता, जिसमें निवास का देश भी शामिल है) बोलीकर्ता) ने 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 611812019-पीपीडी और उसके बाद के आदेशों / संशोधन की सामग्री को पढ़ और समझ लिया है, जो सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश के बोलीकर्ता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में जारी किया गया है।

2. मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि (बोली लगाने वाले का नाम)

i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
ii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो और सक्षम अधिकारी के पास रजिस्टर्ड हो, जिसका सर्टिफ़िकेट साथ में हो, या
iii. भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से हो, जहाँ भारत सरकार ने क्रेडिट लाइन बढ़ाई हैं, या
iv. यह भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश से है, जहाँ भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है
(ऊपर दिए गए में से जो भी लागू न हो उसे काट दें)

3. मैं/हम यह भी प्रमाणित करता/करते हूँ/करते हैं कि ..... (बोली लगाने वाले का नाम) सभी ज़रूरतें पूरी करता है इस बारे में और ऊपर बताए गए कार्यालय मेमोरेंडम और उसके बाद के आदेश/रिविज़न के तहत विचार किए जाने के योग्य है। मैं/हम यह भी वादा

करता/करते हैं कि ऐसे संविदा के मामले में भी जहाँ हमें बैंक/आरबीआई से उप-संविदा करने की इजाज़त है, मैं/हम.....(बोली लगाने वाले का नाम) भारत के साथ ज़मीनी सीमा शेयर करने वाले देशों के किसी संविदाकर्ता को कोई काम उप-संविदा नहीं करेंगे, जब तक कि ऐसा संविदाकर्ता ऊपर बताए गए कार्यालय मेमोरेंडम/आदेश में बताई गई सभी ज़रूरतें पूरी न कर ले।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि, यदि यह वचन/घोषणा/प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है अगर हमारी तरफ़ से किया गया कोई भी दावा गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारे निविदा / कार्य आदेश को रिजेक्ट / खत्म करने के लिए आज़ाद होगा और बैंक कानून के मुताबिक कोई भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी आज़ाद होगा, जिसमें बयाना राशि / परफ़ॉर्मेंस बैंक गारंटी / जमानत राशि ज़ब्त करना और / या भविष्य में बैंक द्वारा बुलाए गए निविदा में हमें हिस्सा लेने से रोकना शामिल है।

बोली लगाने वाले के अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम, रबर स्टैम्प के साथ

तारीख: स्थान:

अनुबंध- V

बोली लगाने वाले द्वारा पब्लिक संस्था(ओं) द्वारा रोक लगाने के लिए घोषणा के बारे में अंडरटेकिंग के लिए प्रारूप

(बोली लगाने वालों को अपने लेटर हेड पर सील और अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा)

को,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

कार्य का नाम: " **पुलिस गार्ड रूम का नवीनीकरण, प्रथम तल, बीएमओपी, आरबीआई कोलकाता "**

1. मैं/हम ..... (बोली लगाने वाले का नाम) घोषणा करता हूँ कि
क) मैं/हम या हमारी कोई सहयोगी फर्म* किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में नहीं डाली गई है।
भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी संस्था/इकाई को .....(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि) तक बोली लगाना)।
ख) मैंने/हमने अथवा हमारी किसी संबद्ध फर्म ने भारतीय दंड संहिता के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
भारत में किसी भी सार्वजनिक संस्थान / इकाई या किसी भी के साथ अखंडता (निविदा में उल्लिखित)
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पिछले तीन वर्षों में किसी अन्य देश में बोली लगाने में विफलता।
c) अगर हमें या हमारी किसी जुड़ी हुई फर्म को डिबार किया जाता है, तो हम बैंक को लिखकर बताएंगे।
भारत अथवा किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा निलम्बित/काली सूची में डाला गया हो या कैप्शन वाले काम के लिए काम देने से पहले।
2. मैं/हम .... (बोलीकर्ता का नाम) घोषणा करता हूँ/करते हूँ/करते हूँ/हैं कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म*
..... (संबद्ध फर्म का नाम) द्वारा निषिद्ध/निलंबित/काली सूची में डाला गया है
.... (भारत अथवा किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) और
यह लेटर .....(तारीख) तक लागू रहेगा। इस लेटर की एक कॉपी आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

तारीख

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो डिक्लेरेशन में से जो लागू न हो उसे काट दें)
*संबद्ध फर्म: एक फर्म को "संबद्ध फर्म" कहा जाएगा यदि प्रबंधन सामान्य या पर्याप्त या अधिकांश शेयर प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हैं और इस कारण इसका नियंत्रण है इसके अलावा, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्मों के रूप में माना जाएगा।

अनुबंध VI

जिन कामों के लिए निविदा देने वाले ने कम/काम न करने लायक दर बताए हैं, उनके लिए संविदा पूरा करने के लिए बैंक गारंटी का प्रोफ़ॉर्मा

स्थान
तारीख
सेवा में
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

प्रिय महोदय/महोदया,
कार्य का नाम:
जहाँ,
भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में है (जिसे आगे "नियोक्ता" कहा जाएगा) ने निविदा दस्तावेज में बताए गए टर्म्स एंड कंडीशंस पर _____ काम - जिसे आगे "काम" कहा जाएगा) के लिए निविदा इनवाइट किए हैं।
संविदा देने के लिए नियोक्ता की यह एक पहली शर्त है कि निविदा देने वाला उन कामों के ठीक से पूरे होने के लिए Rs._____/- (सिर्फ़ _____ रुपये) (जिसे आगे "कॉशन मनी" कहा जाएगा) की परफॉर्मेंस बैंक गारंटी देगा, जिनके लिए निविदा देने वाले ने कम/काम न करने लायक दर बताए हैं (जिन्हें आगे "कम दर वाले काम" कहा जाएगा)।
मेसर्स _____, (इसके बाद "निविदा" कहा जाएगा), जो हमारे लोग हैं, ने इस काम के लिए निविदा दिया है और काम देने के लिए उन्हें कम दर वाली चीज़ों के लिए परफॉर्मेंस बैंक गारंटी जमा करनी होगी और उन्होंने हमसे कहा है कि हम नियोक्ता को ____/- रुपये (सिर्फ़ __ ___ रुपये) की रकम की गारंटी दें।
अब यह गारंटी सुनिश्चित करता है:
1. हम ___ (अनुसूचित बैंक का नाम) इसके द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, उनके उत्तराधिकारियों के साथ सहमत हैं और यह ज़िम्मेदारी लेते हैं कि अगर भारतीय रिज़र्व बैंक इस नतीजे पर पहुँचता है कि निविदा देने वाले ने निविदा की बताई गई शर्तों के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, तो यह नतीजा हम पर और बताए गए निविदा देने वाले पर भी लागू होगा, तो हम भारतीय रिज़र्व बैंक की माँग पर, बिना किसी आपत्ति के भारतीय रिज़र्व बैंक को Rs.____/- (सिर्फ़ Rs ____) या कोई भी कम रकम देंगे, जिसकी भारतीय रिज़र्व बैंक माँग करे। हमारी गारंटी को, बताई गई अतिरिक्त शर्तों के तहत निविदा देने वाले की ज़िम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने के लिए कम रेटिंग वाले काम के आइटम के संतोषजनक निष्पादन के लिए कॉशन मनी के बराबर माना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी रकम के लिए हमारी ज़िम्मेदारी Rs. ____/- (सिर्फ़ Rs ____) से ज़्यादा न हो।
2. हम यह भी मानते हैं कि ऊपर बताई गई रकम ____/- रुपये (सिर्फ़ ____ रुपये) से ज़्यादा नहीं होगी, और हम बिना किसी आपत्ति या विरोध के, सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित में नोटिस मिलने पर, जिसमें बताया गया

हो कि रकम उन्हें देनी है, मांग करने पर भुगतान कर देंगे और हम कोई और सबूत या सबूत नहीं मांगेंगे और भारतीय रिज़र्व बैंक का नोटिस हमारे लिए निश्चित और ज़रूरी होगा और हम उस पर किसी भी तरह से सवाल नहीं उठाएंगे। हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्लेम की गई रकम, ऊपर बताए गए नोटिस मिलने की तारीख से एक हफ़्ते के अंदर भुगतान करने का वादा करते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी, भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदा देने वाले के बीच हुए करार या दूसरी समझ से अलग होगी।

4. यह गारंटी हम भारतीय रिज़र्व बैंक की पहले से लिखित मंज़ूरी के बिना रद्द नहीं करेंगे।

5. हम इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि:

(a) इस करार की शर्तों को लागू करने में या इस निविदा और/या इसके तहत तय किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में भारतीय रिज़र्व बैंक की तरफ से कोई भी नरमी या कमीशन, या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा देने वाले को कोई समय देना या कोई नरमी दिखाना या इससे जुड़े किसी भी दूसरे मामले में, हमें किसी भी तरह से और इस गारंटी के तहत हमारी ज़िम्मेदारी से छुटकारा नहीं दिलाएगा। यह गारंटी सिर्फ़ तभी पूरी होगी जब निविदा देने वाले अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी तरफ से Rs._ __/- (सिर्फ़ ___ रुपये) से ज़्यादा की रकम का भुगतान करके।

रूपये _ __/- (रूपये ___ मात्र) से अधिक नहीं होगी।

(c) इस करार के तहत हमारी ज़िम्मेदारी पर हमारे बताए गए लोगों की तरफ से उस काम के लिए निविदा देने में या उसके तहत उनकी ज़िम्मेदारियों में किसी भी कमी या गड़बड़ी या हमारे बताए गए लोगों के संविधान में बदलाव या विघटन का कोई असर नहीं पड़ेगा।

(d) यह गारंटी ___ (तारीख) तक लागू रहेगी, बशर्ते कि अगर भारतीय रिज़र्व बैंक चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताए गए समय के लिए, हमारे बताए गए नियमों और शर्तों पर रिन्यू किया जा सकेगा।

(e) इस गारंटी के तहत हमारी लायबिलिटी तब तक खत्म हो जाएगी जब तक कि इन लायबिलिटी को ऊपर बताए गए तरीके से ___ (तारीख) को या उस दिन जब हमारे बताए गए लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं, रिन्यू नहीं किया जाता, जिसके लिए सिर्फ़ भारतीय रिज़र्व बैंक का लिखा हुआ सर्टिफ़िकेट ही निश्चित सबूत है, जो भी तारीख बाद की हो। जब तक उस तारीख से छह महीने के अंदर या किसी बढ़ी हुई अवधि के अंदर हमारे ख़िलाफ़ कोई क्लेम या केस या एक्शन फ़ाइल नहीं किया जाता, इस गारंटी के तहत हमारे ख़िलाफ़ भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी अधिकार ज़ब्त कर लिए जाएँगे और हमें इसके तहत अपनी सभी ज़िम्मेदारियों और लायबिलिटीज़ से आज़ाद कर दिया जाएगा।

आपका विश्वासी,

_____

(अनुसूचित बैंक की मुहर)

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

(नाम, पदनाम, तारीख आदि)

नोट - इस गारंटी के लिए ___ राज्य में लागू स्टाम्प ड्यूटी की ज़रूरत होगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकारी होंगे।

भाग II - मात्राओं की बिना कीमत वाली अनुसूची

पुलिस गार्ड रूम की पहली मंज़िल का नवीनीकरण बीएमओपी आरबीआई कोलकाता

मात्राओं की अनुसूची

भारतीय रिज़र्व बैंक कोलकाता			
कार्य का नाम: पहली मंज़िल पर पुलिस गार्ड रूम के सिक्योरिटी एरिया का नवीनीकरण			
मद संख्या	विवरण	मात्रा	इकाई
	शौचालय नवीनीकरण आइटम		
1	शौचालय ढहाना: फर्श की टाइलों को मदर स्लैब तक, दीवार की टाइलों को ईंट के काम के सामने तक, बेसिन काउंटर सहित ऊर्ध्वाधर सहारे, सैनिटरी फिटिंग और जुड़नार, ईंट विभाजन दीवार, ईंट की दीवार के किनारे का विभाजन, झूठा सावधानीपूर्वक हटाना छत, माइल्ड स्टील की ग्लेज्ड खिड़कियां वगैरह, जिसमें इस्तेमाल होने वाली/बचाई गई चीज़ों को बताई गई जगह पर रखना, आस-पास के माहौल से मैच करते हुए नुकसान की भरपाई करना और केएमसी डंप यार्ड वगैरह के कानूनी नंबरों का पालन करते हुए मलबे को बैंक की जगह से बाहर फेंकना शामिल है। जैसा कि इंजीनियर-इन-चार्ज ने बताया है। (मेज़रमेंट के लिए सिर्फ़ फ़र्श, छत और आस-पास की दीवार की ऊंचाई के प्लान एरिया पर ही विचार किया जाएगा) (तोड़ने के लिए मशीनों का इस्तेमाल मना है) (कार्यालय के समय शोर करने वाले काम पर रोक लगाई जा सकती है)	350	वर्गमीटर
2	छिपे हुए / उजागर काम के लिए अनुमोदित भारी गुणवत्ता वाले 100 मिमी रेत कास्ट आयरन पाइप प्रदान करना और स्थिति में ठीक करना, आवश्यक लंबाई में पाइप का उपयोग करके आईएसआई: 3989 मेक या मिट्टी / अपशिष्ट लाइन के लिए किसी अन्य अनुमोदित मेक के साथ सभी फिटिंग और स्पेशल जैसे मोड़, जंक्शन दरवाजे के साथ या बिना टी के, आदि, सीमेंट गैस्केट जोड़ों के साथ, सीआई ट्रैप, मौजूदा लाइनों, गली ट्रैप, मैनहोल के साथ संबंध बनाना, दीवारों में छेद करना, सीमेंट कंक्रीट से उन्हें बंद करना और सीमेंट मोर्टार के साथ फिनिशिंग करना, छिपे हुए पाइपिंग कार्य के लिए पाइपों को काले बिटुमेन से पेंट करना और अनुमोदित मेक के प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो कोट के साथ और उजागर		

	पाइपिंग के काम के लिए धातु प्राइमर के एक कोट के ऊपर छाया करना, भारी गुणवत्ता वाले एमएस क्लैंप प्रदान करना और ठीक करना आदि		
ए	100 मिमी	4	आर एम
बी	75 मिमी	4	आर एम
3 ए	गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए थर्मल स्टेबिलिटी वाले 25mm नॉमिनल डायामीटर वाले CPVC पाइप (SDR 11) देना और लगाना, जिसमें सभी CVPC प्लेन और ब्रास थ्रेडेड फिटिंग शामिल हैं, यानी पाइप को 1.00m की दूरी पर क्लैंप से लगाना। इसमें पाइप या फिटिंग को एक स्टेप CPVC सॉल्वेंट सीमेंट से जोड़ना और चेज़ को काटने और उसे ठीक करने का खर्च शामिल है, जिसमें बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार जोड़ों की पूरी टेस्टिंग भी शामिल है।	45	आर एम
3 बी	ऊपर दिए गए सभी एक जैसे हैं, लेकिन 20mm नॉमिनल डायामीटर वाले पाइप के लिए	45	आर एम
4 ए	40mm डायमीटर वाले PVC पाइप (HDPE, ओरिप्लास्ट या बैंक से मंज़ूर कोई और) sch. 80 गुणवत्ता/UPVC पाइप, SCH 80 के मंज़ूर मेक के, PVC/UPVC टीज़, एल्बो, बेंड, GI क्लैंप, हुक वगैरह जैसी सभी ज़रूरी फिटिंग के साथ देना और लगाना, जिसमें दीवार या फ़र्श में छिपाना, कटिंग चार्ज और डैमेज को ठीक करना शामिल है।	8	आर एम
4 बी	110mm डायमीटर वाले PVC पाइप (सुप्रीम, एस्ट्रल या बैंक से मंज़ूर कोई और) sch. 80 गुणवत्ता के साथ देना और लगाना/ PVC/UPVC टीज़, एल्बो, बेंड, GI क्लैंप, हुक वगैरह जैसी सभी ज़रूरी फिटिंग के साथ, जिसमें दीवार या फ़र्श में छिपाना, कटिंग चार्ज और डैमेज को ठीक करना शामिल है।	30	आर एम
4सी	75mm डायमीटर वाले PVC पाइप (सुप्रीम, एस्ट्रल या बैंक से मंज़ूर कोई और) sch. 80 गुणवत्ता के साथ देना और लगाना/ सभी ज़रूरी फिटिंग जैसे PVC/UPVC टीज़, एल्बो, बेंड, GI क्लैंप, हुक वगैरह के साथ, जिसमें दीवार या फ़र्श में छिपाना, कटिंग चार्ज और डैमेज को ठीक करना शामिल है।	30	आर एम
5	धँसा हुआ फर्श		
	शौचालय, बाथटब, किचन वगैरह के धंसे हुए हिस्से पर पॉलीमर बेस्ड दो कंपाउंड वॉटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट देना और लगाना, इसके लिए सिका टॉप सील 107, मेसर्स पिडिलाइट, मेसर्स फॉसरोक, मेसर्स MC- बूचेमी या किसी दूसरी मंज़ूर बराबर की कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, नीचे दिए गए स्टेप्स में।	80	वर्गमीटर

	(i) विनिर्माता के स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से वॉटर प्रूफिंग कंपाउंड के साथ मिला हुआ 20mm मोटा वॉटर प्रूफिंग सीमेंट प्लास्टर 1:4 (1 सीमेंट : 4 मोटी रेत) देना और धंसे हुए फर्श और किनारों पर लगाना, जिसमें वॉटर प्रूफिंग सीमेंट मोर्टार वगैरह से जंक्शन/कोनों को गोल करना शामिल है। सब पूरा हो गया है।		
	(ii) धँसे हुए फ़र्श, साइड, दीवारों वगैरह पर सिका टॉप सील 107M/s पिडिलाइट, M/s फ़ॉसरोक, M/s MC- बूचेमी या किसी दूसरे बराबर के मंज़ूरशुदा मेक के वॉटर प्रूफ़िंग पॉलीमर/केमिकल के दो कंपाउंड बेस्ड पॉलीमर वॉटर प्रूफ़िंग ट्रीटमेंट के दो या ज़्यादा कोट लगाना और लगाना ; ट्रीट की गई सतह को 72 घंटे तक पोंडिंग मेथड (जितना हो सके) से टेस्ट करना।		
	(iii) उपचार को तब तक दोहराएं जब तक उपचारित सतह पर कोई रिसाव न दिखाई दे		
	नोट: 1. पूरे डूबे हुए हिस्से का वॉटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट पूरी तरह से लीकप्रूफ होना चाहिए, जैसा कि DLP पीरियड के दौरान देखा गया था। DLP के दौरान कोई भी रिसाव दिखने पर पूरा वॉटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट दोबारा करना होगा, नहीं तो PBG का इस्तेमाल किया जाएगा।		
	2. काम के सभी सब-आइटम के भुगतान के लिए सिर्फ़ फ़र्श और दीवार के एक ही मेज़रमेंट पर विचार किया जाएगा।		
6ए	पर सबसे अच्छी गुणवत्ता की, अच्छी तरह पकी हुई कटी हुई ईंटों का इस्तेमाल करके, सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 मोटी रेत) में, विनिर्माता के बताए अनुसार अनुमोदित मेक के वॉटर प्रूफ़िंग कंपाउंड के साथ मिलाकर, धँसे हुए फ़र्श पर ब्रिक बैट कोबा लगाना और बिछाना, फ़र्श लगाने के लिए सीमेंट मोर्टार की ऊपरी परत / धँसे हुए फ़र्श की ऊपरी सतह को झाड़ू से खुरदुरा करना वगैरह। बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार सब कुछ पूरा करना। नोट: मेज़रमेंट के लिए स्कैटिंग / wcpan, CI पाइप वगैरह के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।	8	सीयूएम
6ब	ईंट का काम: सुपरस्ट्रक्चर में आधी ईंट की चिनाई वाली दीवार बनाना और बनाना। इसके लिए लोकल लेवल पर मिलने वाली फर्स्ट क्लास ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। यह सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट : 4 रेत) में पार्टिशन के लिए होगा। यह मल्टीस्टोरी बिल्डिंग की सभी ऊंचाइयों पर होगा। हर तीसरी लेयर पर HB वायर नेटिंग होगी। इसमें स्कैफोल्डिंग, सही लाइन, लेवल और प्लंब बनाए रखना, ज़रूरी क्योरिंग वगैरह शामिल	62	वर्गमीटर

	हैं। यह सब बैंक के इंचार्ज इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा।		
7	प्लेन सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 (1 सीमेंट : 2 मोटी रेत : 4 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट 20mm नॉमिनल साइज़) देना और बिछाना, इसे पॉलीमर बेस्ड वॉटरप्रूफिंग एडमिक्सचर के साथ मिलाकर खाली RCC स्लैब पर गहराई भरने और उसके ऊपर विट्रिफाइड टाइल लगाने के लिए, लेबर, कैरिज, क्योरिंग सहित सब कुछ पूरा करना, जैसा कि बैंक के इंजीनियर ने बताया है। (शौचालय)	1.5	सीयूएम
8	शौचालय फ़्लोरिंग फ़्लोरिंग में अनुमोदित विनिर्माता की अनुमोदित साइज़, फ़िनिश और शेड वाली सिरेमिक / विट्रिफ़ाइड नॉन-स्किड, नॉन-स्लिप टाइलें सप्लाई करना और बिछाना, 20mm मोटे सीमेंट मोर्टार 1:4 (1 सीमेंट: 4 रेत) पर ज़रूरी लेवल, स्लोप और पैटर्न पर बिछाना, सीमेंट स्लरी में सेट करना, मैचिंग पिगमेंट के साथ एपॉक्सी ग्राउट मिलाकर अच्छी तरह से जोड़ना, बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार सफ़ाई, क्योरिंग वगैरह पूरा करना। (टाइलों की बेसिक कीमत: Rs.750/- प्रति sqm, GST छोड़कर)	20	वर्गमीटर
9	शौचालय डैडो में अनुमोदित विनिर्माता की अनुमोदित साइज़, फ़िनिश और शेड की सिरेमिक / विट्रिफ़ाइड ग्लॉसी / मैट फ़िनिश टाइल्स सप्लाई और फिक्सिंग। एवरेज 12mm मोटे सीमेंट मोर्टार (1:3) की बेडिंग सीमेंट स्लरी में सेट की जाती है, जिसमें ब्रिकफ़ेस पर 25-30mm बैकिंग सीमेंट मोर्टार होता है। इसमें मैचिंग शेड के पॉलीमर सीमेंट ग्राउट या पॉलीमर और मैचिंग पिगमेंट के साथ मिक्स किया हुआ जॉइंटिंग, क्लीनिंग, क्योरिंग, डैमेज को ठीक करना, क्लीनिंग वगैरह शामिल है। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाता है। डिसमेंटलिंग के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। (टाइल्स की बेसिक कॉस्ट Rs. 750/- प्रति sqm, GST को छोड़कर)	140	वर्गमीटर
10	वॉश बेसिन काउंटर		
10ए	मशीन से काटे गए 20mm मोटे एक तरफ पॉलिश किए हुए कडप्पा स्लैब को देना और लगाना, काउंटरटॉप ओवल शेप के बेसिन के लिए ज़रूरी साइज़ का कटआउट, 20mm डाया "A" क्लास GI. पाइप ब्रैकेट (हॉरिजॉन्टल सपोर्ट) पर सपोर्टेड, जिसमें दीवारों में चेज़ काटने और सीमेंट मोर्टार (1:3) से फिक्स करने का खर्च शामिल है। दर में एक तरफ पॉलिश किए हुए 25 mm मोटे कडप्पा पत्थर के वर्टिकल सपोर्ट को सप्लाई करने	3	वर्गमीटर

	और फिक्स करने का खर्च भी शामिल होना चाहिए, वगैरह, जो बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार पूरा हो। (कडप्पा पत्थर का बेसिक दर: Rs.520/- प्रति Sqm)		
10बी	कडप्पा स्टोन स्लैब पर अनुमोदित गुणवत्ता, रंग और शेड का कम से कम 18 mm मोटा मशीन कट मिरर पॉलिश्ड ग्रेनाइट स्टोन काउंटर स्लैब और वर्टिकल स्लैब, फेशिया वगैरह देना, बिछाना और सही जगह पर लगाना, जिसमें ओवल शेप का वॉश बेसिन लगाने के लिए ज़रूरी शेप और साइज़ का कट-आउट बनाना, किनारों को ग्राइंडिंग से बुल नोज़ शेप में फ़िनिश करना, बताए गए तरीके से कटे हुए किनारों को पॉलिश करना वगैरह, दीवारों में छेद काटना और सीमेंट मोर्टार (1:3) से लगाना वगैरह, ये सब बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूरा किया गया। (ग्रेनाइट स्लैब का बेसिक दर: Rs.2500/- प्रति Sqm)	5	वर्गमीटर
10सी	नया वॉश बेसिन ग्लेज्ड विट्रीयस चाइना ओवल शेप्ड अंडर काउंटर वॉश हैंड बेसिन जैगुआर (CNS-WHT-701) पैरीवेयर / हिंदवेयर (GARNET/ZEN)/जगुआर / हिंदवेयर / पैरीवेयर या अनुमोदित का पोर्सिलेन सिंक सप्लाई और फिक्स करना। पीने के पानी के काउंटर के लिए eqv . या किसी भी मंज़ूर ब्रांड के मंज़ूर साइज़ के साथ, जिसमें सभी तरह की फिटिंग लगाना शामिल है, जैसे 32mm dia CP वेस्ट कपलिंग, जैगुआर या उसके बराबर का बोतल ट्रैप, 15mm dia वायर नेटेड PVC कनेक्टर पाइप 600mm लंबा वगैरह। सभी बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूरे किए गए हैं। वॉश बेसिन की बेसिक कीमत Rs.2000/- हर एक, GST को छोड़कर।	3	नग
11	सैनिटरी फिटिंग और फिक्स्चर		
ए	जैगुआर (CNS-WHT-853S220SPPSM), पैरीवेयर, हिंदवेयर या किसी दूसरे अनुमोदित बराबर के पूरे सेट का अनुमोदित मेक और मॉडल सिंगल पीस यूरोपियन कमोड (P या S ट्रैप) सिस्टर्न और हाइड्रोलिक सीट कवर वगैरह के साथ सप्लाई और इंस्टॉल करना, जिसमें सभी ज़रूरी फिटिंग, एक्सेसरीज़ और हार्डवेयर शामिल हैं, जिसमें फ्लशिंग सिस्टर्न के साथ लीकप्रूफ कनेक्शन बनाना, ईंट/RCC मेंबर /दीवारें, फर्श काटना और चेज़ करना, ज़रूरत पड़ने पर पुराने P/S ट्रैप हटाना वगैरह शामिल हैं। बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा करें। हाइड्रोलिक सीट कवर के साथ वॉल हंग कमोड (बेसिक दर Rs. 12,240/- है, GST छोड़कर)	1	नग

बी	सफ़ेद कांच जैसा चाइना वॉटर क्लोसेट स्क्वैटिंग पैन (इंडियन टाइप) देना और लगाना, साथ में पैरीवेयर (C01231C/C01311C) का "S" या "P" ट्रैप या अनुमोदित eqv, जिसमें पुरानी WC सीट और "S" या "P" ट्रैप को साइट पर खोलना शामिल है, सभी ज़रूरी सामान, लेबर और खोले गए सामान को डिस्पोज़ल सहित सभी ऑपरेशन बैंक के इंजीनियर के निर्देशानुसार पूरे किए जाएंगे। ओडिशा पैन का बेसिक दर Rs 2000/- है, जिसमें GST शामिल नहीं है।	1	नग
सी	मॉडल के अनुसार ब्रास बाथरूम प्लंबिंग, सैनिटरी फिटिंग और एक्सेसरीज़, जहाँ भी लागू हो, फ्लैंज के साथ, वगैरह देना, ठीक करना और टेस्ट करना, बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार सब कुछ पूरा करना।		
	15 मिमी सीपी पीतल फिटिंग		
डी	2 वे बिब कॉक नोजल के साथ (क्वार्टर टर्न) जगुआर(CON-CHR-041KN) - या अनुमोदित eqv का नोट: बिब कॉक का बेसिक दर Rs.1494/- प्रति बिब कॉक, GST को छोड़कर	2	नग
ई	8mm डायमीटर, 1.20mt लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब और वॉल हुक वाला हेल्थ नल, अनुमोदित मेक जैगुआर (ALD-CHR-563) के अनुसार। नोट: 8mm डायमीटर, 1.20mt लंबी फ्लेक्सिबल ट्यूब और वॉल हुक वाले हेल्थ नल का बेसिक दर Rs.990 है, जिसमें GST शामिल नहीं है।	2	नग
एफ	एंगुलर स्टॉप कॉक नोट: एंगुलर स्टॉप कॉक का बेसिक दर Rs. 1080 प्रति कॉक है, GST को छोड़कर	13	नग
जी	ज़ोलोटो या किसी समान मंज़ूर 25mm डाया गेट वाल्व देना और लगाना	2	नग
एच	15mm मिक्सर (गर्म और ठंडे पानी के लिए) सेंट्रल होल बेसिन पिलर कॉक प्रेसमैटिक (जैक्वार PRS 031) नोट: मिक्सर पिलर कॉक का बेसिक दर Rs.2011 प्रति पीस है, GST को छोड़कर	3	नग
आई	जैगुआर (URS-WHT-13261H साइज़ 355x340x535mm)/ पैरीवेयर / हिंदवेयर या बैंक द्वारा मंज़ूर किए गए किसी दूसरे बराबर ब्रांड और साइज़ के सफ़ेद कांच जैसे यूरिनल देना और लगाना, फिटिंग के साथ, स्टैंडर्ड साइज़ CP ब्रास फ्लश पाइप, यूनियन और क्लैंप वाले स्प्रेडर (सभी CP ब्रास में), CI ट्रैप के अनुसार वेस्ट फिटिंग के साथ, CP ब्रास में आउटलेट ग्रेटिंग और दूसरी कपलिंग के साथ, जैगुआर या उसके बराबर का बॉटल ट्रैप, जिसमें फिटिंग की पेंटिंग और ज़रूरत के हिसाब से दीवारों और फ़र्श	2	नग

	को काटना और ठीक करना शामिल है। नोट - (यूरिनल का बेसिक दर Rs.3168/- हर एक, GST छोड़कर)		
जे	यूरिनल वाल्व ऑटो क्लोजिंग बिल्ट-इन कंट्रोल कॉक और वॉल फ्लैंज जैसे कि जैगुआर (PRS-077)/ पैरीवेयर / हिंदवेयर या बैंक द्वारा मंज़ूर कोई दूसरा बराबर का ब्रांड और साइज़, फिटिंग के साथ, स्टैंडर्ड साइज़ CP ब्रास फ्लश पाइप देना और लगाना, जिसमें फिटिंग की पेंटिंग और ज़रूरत के हिसाब से दीवारों और फ़र्श को काटना और ठीक करना शामिल है। नोट - (बेसिक दर Rs.2100/- हर एक, GST छोड़कर)	2	नग
के	यूरिनल पार्टीशन जैसे कि जैगुआर (JSE-CHR-110US450X, साइज़ 900HX450W)/ पैरीवेयर / हिंदवेयर या बैंक द्वारा मंज़ूर कोई दूसरा बराबर का ब्रांड और साइज़, फिटिंग के साथ देना और ठीक करना, जिसमें ज़रूरत के हिसाब से दीवारों और फ़र्श को काटना और ठीक करना शामिल है। नोट - (बेसिक दर Rs.4745/- हर एक, GST छोड़कर)	4	नग
एल	शावर टैप मिक्सचर नॉन टेलीफोनिक अरेंजमेंट के साथ (Jaquar-CON 219 KN) नोट: मटीरियल का बेसिक दर Rs. 4392/- है, GST छोड़कर।	2	नग
एम	शावर हेड / रोज़ राउंड शेप शावर आर्म के साथ 190mm लंबा कास्ट किया हुआ, बेस प्लेट वगैरह के साथ पूरा। (जैक्वार OHS-1709) मटीरियल का बेसिक दर Rs.2000/- है, GST को छोड़कर।	2	नग
	सीपी पीतल फिटिंग और सहायक उपकरण		
एल	सिंगल टॉवल रेल 600mm लंबी (जैक्वार ACN 1111SM) नोट: सिंगल टॉवल रेल 600mm लंबी का बेसिक दर Rs. 1170 प्रति पीस है, GST को छोड़कर	4	नग
एम	सोप डिश होल्डर JAQUAR CAN-CHR 1131N नोट: सोप डिश होल्डर का बेसिक दर Rs. 648 प्रति पीस है, GST को छोड़कर	4	नग
एन	100mm. एंटी कॉकरोच स्टेनलेस स्टील फ्लोर ट्रैप ग्रेटिंग निराली या अनुमोदित मेक ओवर ट्रैप के मुंह पर, इसे सफेद सीमेंट से फिक्स करना और गैप को ठीक से सील करना।	5	नग
ओ	फ़्लोर के रिसेस्ड एरिया में 100 mm CI/PVC नाहनी ट्रैप/ मल्टीट्रैप और CI/UPVC/PVC कंसील्ड वेस्ट पाइप को सीमेंट मोर्टार जॉइंट और पेरिशेबल आइटम से जोड़ना, सब पूरा।	5	नग

पी	वॉशबेसिन एरिया के साइज़ के हिसाब से स्टेनलेस स्टील स्टड पर लगा हुआ शीशा (दर्पण का शीशा सेंट गोबेन, AIS, मोदी गार्ड या उसके बराबर का होना चाहिए) जिसमें पूरा सेट वगैरह शामिल हो।	2.5	वर्गमीटर
क्यू	अनुमोदित मेक और मॉडल का सोप डिस्पेंसर। बेसिक दर Rs 1200/- है, जिसमें शामिल नहीं है। GST. मेक और मॉडल बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित होगा	2	नग
12	सजावटी जिप्सम झूठी छत: सभी ऊंचाइयों पर सिंगल/मल्टीलेवल झूठी छत प्रदान करना और स्थापित करना, जिसमें विशेष वर्गों से बने फ्रेम वर्क को प्रदान करना और स्थापित करना, एमएस शीट से पावर प्रेस्ड और आईएस: 277 के अनुसार 120 ग्राम / वर्गमीटर (दोनों पक्ष समावेशी) के जिंक कोटिंग के साथ गैल्वेनाइज्ड और 25 मिमी चौड़े x 1.6 मिमी मोटी आकार के कोण क्लैट से युक्त, 27 मिमी और 37 मिमी के फ्लैंज के साथ, 1200 मिमी केंद्र से केंद्र पर, एक फ्लैंज 12.5 मिमी व्यास x 50 मिमी लंबे डैश फास्टनर के साथ 6 मिमी व्यास बोल्ट के साथ छत पर तय किया गया है, क्लैट की अन्य फ्लैंज आवश्यक आकार के नट और बोल्ट के साथ आवश्यक लंबाई 25x10x0.50 मिमी के कोण हैंगर पर तय 80 मिमी की 0.5 मिमी मोटी बॉटम वेज, जिसमें प्रत्येक 10.5 मिमी के होंठ वाले 26 मिमी के पतले फ्लैंज हैं, 450 मिमी केंद्र से केंद्र पर, 2.64 मिमी व्यास x 230 मिमी लंबे जीआई तार से बने कनेक्टिंग क्लिप के साथ जीआई मध्यवर्ती चैनल के लंबवत दिशा में प्रत्येक जंक्शन पर तय किया जाएगा, जिसमें 20 मिमी और 30 मिमी लंबे फ्लैंज वाले 0.5 मिमी मोटी 27 मिमी ऊंची परिधि चैनल फिक्स करना शामिल है, 450 मिमी केंद्र पर रॉल प्लग की मदद से दीवार/विभाजन पर छत की परिधि तय की गई है, 230 मिमी अंतराल पर 25 मिमी लंबे सूखी दीवार के स्क्रू के साथ, जिसमें शामिल हैं पेरिमीटर चैनल के फ्रेम के साथ कटआउट बनाए जाएंगे, जो ठीक से फिक्स किए जाएंगे, सभी ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और इंचार्ज इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूरे होंगे, लेकिन इसमें सेंट गोबेन के 12.5 mm मोटे टेपर्ड एज वाले जिप्सम मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड या अनुमोदित इक्विवेलेंट से पेंटिंग का खर्च शामिल नहीं होगा और GI चैनल और सेक्शन सेंट गोबेन मेक या अनुमोदित इक्विवेलेंट की जिप्रोक सीरीज़ के होंगे। दर में ज़रूरी स्कॉफोल्डिंग शामिल होगी, सभी काम अच्छे तरीके से किए जाएंगे और बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार सभी सेफ्टी सावधानियां, आग से बचाव के उपाय वगैरह का पालन किया जाएगा।	220	वर्गमीटर

13ए	फैक्ट्री में बने सिंगल एक्सट्रूडेड WPC (वुड पॉलीमर कम्पोजिट) सॉलिड दरवाज़े/खिड़की/ सीओसेटरी खिड़कियां और दूसरे फ्रेम/ चौखट देना और लगाना, जिसमें वर्जिन PVC पॉलीमर, कैल्शियम कार्बोनेट और नेचुरल फाइबर (लकड़ी का पाउडर/चावल की भूसी/गेहूं की भूसी) और नॉन-टॉक्सिक एडिटिव्स होते हैं। इन्हें PVC सॉल्वेंट सीमेंट लगाने के बाद माइटर जॉइंट्स के साथ बनाया जाता है और फुल बॉडी थ्रेडेड स्टार हेडेड SS स्क्रू से स्क्रू किया जाता है, जिनकी फ्रेम डेंसिटी कम से कम 750 kg/cum हो, स्क्रू निकालने की सही ताकत हो, और आग फैलने से रोकने के लिए क्लास A कैटेगरी के हों। इनमें दीमक/बोरर प्रूफ, पानी/नमी प्रूफ और आग रोकने की खूबी हो। इन्हें इंजीनियर-इन-चार्ज के निर्देश के अनुसार ज़रूरी डायमीटर और लंबाई के MS होल्ड फास्ट/लग्स/SS डैश फास्टनर के साथ अपनी जगह पर फिक्स किया जाता है। फ्रेम का साइज़ 50x125mm है।	25	आर एम
13बी	फैक्ट्री में बना सिंगल एक्सट्रूडेड WPC (वुड पॉलीमर कम्पोजिट) सॉलिड प्लेन फ्लश डोर शटर देना और लगाना, जिसमें वर्जिन पॉलीमर, कैल्शियम कार्बोनेट और नेचुरल फाइबर (लकड़ी का पाउडर/चावल की भूसी/गेहूं की भूसी) और नॉन-टॉक्सिक एडिटिव्स हों, जिनकी कम से कम डेंसिटी 650 kg/cum हो और स्क्रू निकालने की सही ताकत हो और आग फैलने से रोकने वाला हो, क्लास A कैटेगरी का हो, जिसमें दीमक/बोरर प्रूफ, पानी/नमी प्रूफ और आग रोकने वाला हो। इसे इंजीनियर-इनचार्ज के निर्देशानुसार, ज़रूरी फुल बॉडी थ्रेडेड स्टार हेडेड काउंटर सनक SS स्क्रू के साथ ज़रूरी साइज़ के स्टेनलेस स्टील बट हिंज से लगाना। औसत मोटाई 30 mm।	10	वर्गमीटर

14	<u>शौचालय के मेन दरवाज़ों के लिए सॉलिड फ्लश दरवाज़ा:</u> दरवाज़ों के फ्रेम में पहली गुणवत्ता की टीक की लकड़ी का काम दिया गया है, जो ज़रूरी डायमीटर और लंबाई के फ्लैट आयरन होल्ड फ़ास्ट के साथ अपनी जगह पर फिक्स किया गया है। सागौन की लकड़ी की गुणवत्ता और अनुभाग का विवरण बैंक के इंजीनियर द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। 40x5 मिमी फ्लैट जीआई होल्ड फास्ट 40 सेमी लंबा प्रदान करना जिसमें 10 मिमी व्यास वाले बोल्ट, नट और लकड़ी के प्लग के साथ फ्रेम को फिक्स करना और सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक 30x10x15 सेमी 1:3:6 मिश्रण (1 सीमेंट: 3 मोटे रेत: 6 ग्रेडेड पत्थर कुल 20 मिमी नाममात्र आकार) में एम्बेड करना शामिल है। निर्माता के विनिर्देश के अनुसार स्प्रे पेंट के आवेदन से पहले आवश्यक सतह तैयारी, पुडिंग कार्य आदि पूरा करने के बाद सागौन की लकड़ी के फ्रेम को DUCO या अनुमोदित शेड के समकक्ष स्प्रे पेंट के साथ चिकना किया जाएगा। सेंचुरी क्लब प्राइम या अनुमोदित समकक्ष शटर के 30 मिमी मोटी फैक्टरी में बने आईएसआई चिह्नित बीडब्ल्यूपी फ्लश डोर, ज़रूरी स्टील स्क्रू वगैरह के साथ मोर्टिस लॉक बनाना पूरा। / ज़रूरी एक्सेसरीज़ और स्क्रू वगैरह के साथ गोदरेज या किसी अनुमोदित ब्रांड का यूनिवर्सल हाइड्रोलिक डोर क्लोजर देना और लगाना पूरा। / ज़रूरी स्क्रू वगैरह के साथ चमकदार फिनिश वाला पीतल (हैवी ड्यूटी) हैंगिंग टाइप फ्लोर डोर स्टॉपर देना और लगाना पूरा। / साल की लकड़ी के फ्रेम को विनिर्माता के स्पेसिफिकेशन के अनुसार स्प्रे पेंट लगाने से पहले, सतह की ज़रूरी तैयारी, पुडिंग का काम वगैरह पूरा करने के बाद, DUCO या अनुमोदित शेड के बराबर के स्प्रे पेंट से चिकना किया जाएगा। (दरवाजे का औसत साइज़: 2m x 2.1m)	1	नग
15	ग्रेनाइट खिड़की और दरवाज़े की चौखट, दरवाज़े की चौखट और खिड़की की चौखट पर कम से कम 18 mm मोटी मशीन कट मिरर पॉलिश्ड गैलेक्सी ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की स्लैब देना, बिछाना और सही जगह पर लगाना, ताकि बारिश का पानी वापस न बहे, इसकी गुणवत्ता, रंग और शेड मंज़ूर है, इसमें लगाने के लिए ज़रूरी आकार और साइज़ बनाना, किनारों को ग्राइंड करके बुल नोज़ शेप में फ़िनिश करना, कटे हुए किनारों को बताए गए तरीके से पॉलिश करना वगैरह, दीवारों में छेद काटना और सीमेंट मोर्टार (1:3) से लगाना वगैरह, ये सब बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार पूरा किया जाएगा। (ग्रेनाइट स्लैब का बेसिक दर: Rs.3000/- प्रति Sqm)	5	वर्गमीटर

16	सीमेंट प्लास्टर 1:4 (1 सीमेंट: 4 रेत) की मोटाई 12mm (औसत) एक परत में देना और लगाना, जिसमें जोड़ों को रेक करना, धूल हटाना और सतह की सफाई करना शामिल है, जिसमें ज़रूरी मचान बनाना, पुरानी और नई दीवारों/RCC सतह के जंक्शन के बीच जोड़ों पर कम से कम 4" चौड़ी चिकन जाली (सही कील ठोककर) लगाना, क्योरिंग वगैरह शामिल है, यह सब बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार पूरा किया गया।	150	वर्गमीटर
17	मौजूदा दीवार/सतह को हटाना/खुरचना/साफ़ करना, फ़ॉल्स सीलिंग जिप्सम बोर्ड, सीलिंग /दीवार की सतहों वगैरह पर मंज़ूर ब्रांड और बनाने वाली कंपनी की औसत मोटाई 1mm की सफ़ेद सीमेंट वाली पुट्टी के दो या ज़्यादा कोट लगाना और लगाना ताकि सतह एक जैसी और चिकनी हो जाए और प्राइमर और पेंट वगैरह लग सके। दर में जहाँ भी ज़रूरत हो, स्कैफ़ोल्डिंग के लिए भी शामिल होगा।	200	वर्गमीटर
18	छत और दूसरी सतहों पर बर्जर सिल्क ब्रीथ ईज़ी, एशियन रॉयल शाइन या अनुमोदित मेक और शेड के प्रीमियम ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट के दो या ज़्यादा कोट लगाना और लगाना, ताकि विनिर्माता के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार इंटरनल प्राइमर (सॉल्वेंट थिनेबल) के एक या ज़्यादा कोट के ऊपर एक जैसा शेड मिल सके, जिसमें ज़रूरी स्कैफोल्डिंग, सतह की तैयारी वगैरह शामिल है, जिसमें बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार सभी लीड और लिफ्ट शामिल हैं।	200	वर्गमीटर
19	मौजूदा कोटा स्टोन फ़्लोर की ग्राइंडिंग, सफ़ाई और मिरर पॉलिशिंग, स्कर्टिंग के लिए सही कटिंग स्टोन ग्राइंडिंग मशीन (पॉलिश स्टोन के 7 अलग-अलग ग्रेड का इस्तेमाल करके) और जहाँ ज़रूरत हो, हाथ से कटिंग, साथ ही दाग हटाने के लिए सीमेंट स्लरी भरना, जो मौजूदा रंग से मैच करता हो। दर में बैंक के इंजीनियर के निर्देश के अनुसार जगह से मलबा हटाना भी शामिल होगा।	160	वर्गमीटर
20	MS ग्लेज्ड खिड़कियों और स्टील फ्रेम पर अनुमोदित मेक और शेड के फर्स्ट गुणवत्ता सिंथेटिक इनेमल पेंट के दो या ज़्यादा कोट देना और लगाना, मेश विनिर्माता के स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार, लकड़ी (वुड प्राइमर)/मेटल प्राइमर (ज़िंकक्रोमेट) की एक परत के ऊपर एक जैसी शेड देने के लिए खिड़कियां, WPCV दरवाजे वगैरह लगाना, जिसमें ज़रूरी स्कैफोल्डिंग, सतह की तैयारी वगैरह शामिल है, बैंक के इंजीनियर के निर्देशों के अनुसार सभी लीड और लिफ्ट सहित पूरा करना।	80	वर्गमीटर
21	वॉल क्लैडिंग: डैडो में अनुमोदित विनिर्माता की अनुमोदित साइज़, फ़िनिश और शेड की सिरेमिक / विट्रिफ़ाइड ग्लॉसी / मैट फ़िनिश टाइल्स सप्लाई और फिक्सिंग। एवरेज 12mm मोटे सीमेंट मोर्टार (1:3) की बेडिंग, सीमेंट	140	वर्गमीटर

	स्लरी में 25-30mm या उससे ज़्यादा बैकिंग सीमेंट मोर्टार के साथ ईंट के फेस पर सेट, जिसमें मैचिंग शेड के पॉलीमर सीमेंट ग्राउट के साथ जॉइंटिंग या पॉलीमर और मैचिंग पिगमेंट के साथ मिक्स, क्लीनिंग, क्योरिंग, डैमेज को ठीक करना, क्लीनिंग वगैरह शामिल हैं। यह सब बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा किया जाता है। डिसमेंटलिंग के लिए किसी भी मशीन का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। (टाइल्स की बेसिक कॉस्ट Rs. 750/- प्रति sqm, GST को छोड़कर)		
22	स्क्रैप और बचाए जा सकने वाले सामान को वापस लेने के लिए बायबैक, जिसमें मौजूदा पुराने सैनिटरी/प्लंबिंग फिटिंग और फिक्स्चर, लकड़ी के शटर, पाइपलाइन शामिल हैं। खिड़कियाँ, फॉल्स सीलिंग सेक्शन, पुराने शौचालय के दरवाज़े वगैरह वगैरह बैंक के इंजीनियर के बताए अनुसार पूरा करें।	1	कार्य

स्थान: संविदाकर्ता के हस्ताक्षर मुहर के साथ
संपर्क नंबर सहित पता दिनांक: